राजस्थान विधान सभा

७२वीं बैठक, बुधवार, दिनांक १५ सितम्बर, सन १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में मध्यान्ह पूर्व ८-६ बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १७८४

किशनगढ़ में भी सिंचाई विभाग द्वारा परमानेन्ट गेंग की स्थापना

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में सिंचाई विभाग द्वारा परमानेन्ट गेंग कहां कहां रक्खा जाता है ?

(ख) क्या किशनगढ़ सब डिविजन में भी ऐसी व्यवस्था थी ?

(ग) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब से बन्द की गई है और किस कारण से बन्द की गई ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) सिंचाई विभाग में परमानेन्ट गेंग कहीं पर नहीं है।

(ख) किशनगढ़ सब डिविजन में सन् ५१-५२ तक ऐसी व्यवस्था थी।

(ग) तालाब तथा बन्धों का काम सिंचाई विभाग के पास आने के बाद से यह व्यवस्था जो उस समय तक चली आ रही थी, समाप्त कर दी गई क्योंकि बाद में इसकी जरूरत नहीं समझी गई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सरकार की जानकारी में है कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कई स्थानों पर मसलन फागी आदि स्थानों में अब भी परमानेन्ट गेंग की व्यवस्था है ?

Page No.2

श्री चन्दनमल वैद—जी नहीं। अगर कहीं मरम्मत की जरूरत हुई तो आदमी रख लिये जाते हैं। और काम के बाद में हटा दिये जाते हैं, परमानेन्ट तौर पर कोई नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार की यह जानकारी में है कि इस व्यवस्था के तोड़ देने पर नई व्यवस्था करने में सरकार का खर्चा बढ़ा है और काम भी देरी में होता है ?

श्री चन्दनमल वैद—व्यवस्था को तोड़ने का कोई प्रश्न नहीं है। परमानेन्ट गैंग की व्यवस्था कहीं नहीं थी, सिवाय आपके किशनगढ़ सब डिविजन के। परमानेन्ट व्यवस्था कोई नहीं तोड़ी गई। यह केवल किशनगढ़ सब डिविजन के इलाके में था क्योंकि वहां तालाब और बन्धों आदि का काम फोरेस्ट विभाग के पास था और सन् ५१-५२ में जब जैसे ही इस सिंचाई विभाग के पास यह काम आया यह व्यवस्था वहां से तोड़ दी गई।

श्री चांदमल मेहता—यह फोरेस्ट विभाग की तहत में सिंचाई विभाग कब आया ?

श्री चन्दनमल वैद—किशनगढ़ रियासत के समय में सिंचाई का कोई अलग विभाग नहीं था। वह फोरेस्ट में ही था इसलिये फोरेस्ट विभाग में किसी विभाग से आने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—मैं आपको सूचना दे दूं कि यह फोरेस्ट विभाग के मातहत नहीं था, बल्कि वह रेलवे विभाग के मातहत था।

प्रश्न संख्या १७८५

छापरवाड़ा बन्ध के पेटे में सरकारी मुलाजिमों द्वारा काश्त की जाने वाली भूमि

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) छापरवाड़ा बन्ध के पेटे में सरकारी कर्मचारी कितनी भूमि में काश्त करते हैं ?

(ख) उक्त भूमि में मुहाफिज कितने हैं और उन लोगों ने पिछले ५ साल में कब कब कितनी कितनी जमीन काश्त की है ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त जमीनें सब से बढ़िया हैं ?

(घ) उक्त मुहाफिजों का निवास-स्थान कहां कहां है ?

(ङ) क्या उक्त मुहाफिजों ने जमीनों में सिंचाई विभाग की आज्ञा से काश्त की हैं ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

Page No.3

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री)—(क) छापरवाड़ा बन्ध के पेटे में इस विभाग का कोई कर्मचारी काश्त नहीं करता।

(ख) उक्त भूमि में एक मुहाफिज है। उसने भी पिछले पांच सालों में काश्त नहीं की।

(ग) सही है।

(घ) छापरवाड़ा बन्ध।

(ड.) यह सवाल पैदा नहीं होता।

(च) यह सवाल पैदा नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि छापरवाड़ा बन्ध पर एक से अधिक मुहाफिज हैं?

श्री चन्दनमल वैद—नहीं, यह बिल्कुल गलत है। वहां केवल एक ही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उक्त मुहाफिजों ने अपने नाम से दर्ज नहीं कराकर अपने सम्बन्धियों के नाम से दर्ज करा ली है?

श्री चन्दनमल वैद—ऐसी कोई जानकारी सरकार को नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह जानने की कोशिश की जावेगी कि इन मुहाफिजों ने अपने भाई-बन्धु और सम्बन्धियों के नाम से कितनी कितनी भूमि दर्ज कराई है जिसके कि कारण से दूसरों को कुछ भी नहीं मिलती?

श्री चन्दनमल वैद—मैं बतला चुका हूँ कि सिर्फ [एक मुहाफिज है और] उसने भी पिछले पांच सालों से काश्त नहीं की है।

श्री चांदमल मेहता—उसने न की हो, पर उनके रिश्तेदारों के नाम पर काफी जमीन है। वह अपने बेटे-पोते, ताऊ, नाना-नानी आदि के नाम पर करा रक्खी है. क्या इसकी आप जांच कराने को तैयार हैं?

श्री चन्दनमल वैद—यह जरूर जांच की जा सकती है लेकिन किसी के मुहाफिज होने से ही उसके सारे रिश्तेदारों को काश्त करने से भी रोक दिया जावे ऐसा भी सम्भव नहीं मालूम पड़ता। उनको रोकने का कोई कारण नहीं हो सकता।

Page No.4

श्री चांदमल मेहता—क्या यह भी सरकार की जानकारी में है कि परमानेन्ट गैंग को तोड़ने से इमर्जेन्सी में अगर कोई काम होता है तो उसमें समय पर आदमी न मिलने से काफी काम में ढ़िलाई आती है और उस ढ़िलाई के कारण कई तालाबों की समय पर मरम्मत नहीं होने से टूटने तक की नौबत आ जाती है ?

श्री चन्दनमल वैद—ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं हुई है, बल्कि यह समझा गया है कि जिस प्रकार काम सारे राजस्थान में होता है वैसे ही यहां पर भी हो।

श्री चांदमल मेहता—क्या आप यह जांच कराने की कृपा करेंगे कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में और किशनगढ़ में जहां जहां सिंचाई विभाग में परमानेन्ट गैंग की व्यवस्था है वहां का काम और व्यवस्था ज्यादा अच्छी है बनिस्पत इसके कि जहां टेम्परेरी व्यवस्था है ?

श्री चन्दनमल वैद—किसी भी जगह परमानेन्ट गैंग की प्रथा चालू नहीं है मैंने बताया है आपको।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७८६

डाइरेक्टर आफ बेकवर्ड क्लास विभाग में रसद विभाग के कर्मचारियों के लिए स्थान

श्री चांदमल मेहता—क्या दलितवर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) डाइरेक्टर आफ बेकवर्ड्स क्लास के दफ्तर में कितने क्लर्क व अफसरों के स्थान रिक्त हैं

(ख) क्या उक्त स्थान रसद विभाग के कर्मचारियों को स्थान देने के लिये रिक्त रखे गये हैं ?

(ग) यदि हां, तो उक्त स्थान कब तक रिक्त रखे जावेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलित वर्ग विभाग मन्त्री)—(क) अफसर १८, क्लर्क ४।

(ख) उपरोक्त २२ स्थानों में से १६ स्थान रसद विभाग से कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त हैं।

(ग) यदि इसमें रसद विभाग से कर्मचारी उपलब्ध हो जायेंगे तो नियुक्तियां कर दी जायगीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यहां टेकनिक्ल पोस्ट्स भी रिक्त हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां।

श्री चांदमल मेहता—क्या टेकनिकल पोस्ट्स भी रसद विभाग के कर्मचारियों के लिए रिक्त रखी गई हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं, ऐसा नहीं था। भारत सरकार से बजट अभी अभी मन्जूर होकर आया है और वह रिक्त स्थान अब भरे जायेंगे।

श्री चांदमल मेहता—जो स्थान रिक्त हैं वह कितने अर्से से हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जैसा कि मैंने अभी बतलाया कि बजट थोड़े समय पहले आया तो फिर समय बतलाने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

प्रश्न सं० १७८७

इस वर्ष सिरोही जिले में ठेके के कूप

श्री जवानसिंह—क्या वन विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् हाल में कोयले के लिये ठेके पर दिये जाने को सिरोही जिले में कौन कौन से कितने कूप तय किये गये हैं ?

(ख) गत वर्ष इनकी संख्या कितनी थी और कितने ठेके पर दिये गये थे ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—(क) निम्नलिखित तीन कूप :—

१.	आंक का बारा	(रेंज सिरोही)
२.	घोड़ावरी	(रेंज सिरोही)
३.	भीमेला दीयाणजी	(रेंज पींडवाड़ा)

(ख) दो और दोनों ठेके पर दिये गये।

१. कूप माचलगोड़ा रेन्ज सिरोही रकबा ६६ एकड़ १०,०३२ रु० में दिया।

२. कूप कलंदरी ११० एकड़ १६,८०० रु० में नीलाम हुआ।

प्रश्न सं० १७८८

जैसलमेर जिले के अस्पतालों में डाक्टर

श्री हनवन्तसिंह (वि. सं० ५०)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे —

(क) जिला जेसलमेर के अस्पतालों में कुल कितने डाक्टर हैं ?

(ख) क्या यह संख्या पर्याप्त है ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) दो।

(ख) जी हां।

श्री हनवन्तसिंह— आपने क्या फरमाया कि सारे जिले में २ डाक्टर हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जी हां।

श्री हनवन्तसिंह—जेसलमेर जिले में कितने अस्पताल हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—दो।

श्री हनवन्तसिंह—डाक्टर कितने हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—दो।

श्री हनवन्तसिंह—की अस्पतालों में कितने कितने डाक्टर हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष—एक एक अस्पताल में कितने कितने डाक्टर हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—एक, एक।

श्री हनवन्तसिंह—क्या आप यह संख्या वहां के लिये पर्याप्त समझते हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—हां, आवश्यकता पड़ी तो और ज्यादा बढ़ा दिये जायेंगे।

श्री हनवन्तसिंह—आवश्यकता पड़ने का कोई कारण नहीं मालूम हुआ, क्या वहां लोग बीमार नहीं होते ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जहां बीमार नहीं हैं वहां डाक्टर का क्या काम ?

श्री जसवन्तसिंह—कितनी जनसंख्या के पीछे एक अस्पताल की आवश्यकता होती है, आम तौर पर ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह निश्चित नहीं किया गया है फिर भी आवश्यकतानुसार डाक्टर, अस्पताल और वैद रखे जाते हैं।

श्री हनवन्तसिंह—कब निश्चय होगा कि इतनी जनसंख्या के ऊपर इतने डाक्टर होंगे ?

श्री कुम्भाराम आर्य—आवश्यकता मजबूर करेगी जब।

श्री हनवन्तसिंह—यह आवश्यकता कब होगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जब बीमार होंगे तब।

श्री हिम्मतसिंह (ऑफ अटरू)— मरीजों की डेली अटेन्डेन्स क्या है ?

श्री हनवन्तसिंह—आजकल वहां बहुत ज्यादा बीमार होते हैं मलेरिया वगैरह से।

श्री कुम्भाराम आर्य—जैसलमेर में मलेरिया सेन्टरों की आवश्यकता नहीं है। मलेरिया वहां नहीं होता है।

श्री हनवन्तसिंह—आपको कैसे मालूम होगया कि मलेरिया जैसलमेर में नहीं होता है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—रिपोर्ट आती रहती है।

श्री हनवन्तसिंह—लास्ट महीने की रिपोर्ट क्या है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—वहां बीमारी नहीं है।

श्री हनवन्तसिंह—वहां मलेरिया बहुत ज्यादा है।

श्री कुम्भाराम आर्य—माननीय सदस्य इतने ताजे-मोटे नहीं होते अगर वहां मलेरिया होता।

श्री जसवन्तसिंह—माननीय सदस्य जैसलमेर में नहीं रहते हैं।

श्री जवानसिंह—कितनी जनसंख्या के ऊपर यह २ अस्पतालों के लिए डाक्टर रखे गये हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह चीज नहीं हो पायी है।

श्री जवानसिंह—जैसलमेर जिले की कितनी जनसंख्या है ?

श्री अध्यक्ष—यह केल्क्युलेशन का मेटर है, देख लिया जाय।

श्री कुम्भाराम आर्य—अभी कोई लाइन नहीं खींची गई है।

श्री जवानसिंह—लाइन खींची जाने का प्रयास नहीं किया गया है। यह साधारण सा प्रश्न है कि कितनी जनसंख्या के ऊपर यह दो अस्पताल नहीं हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जैसलमेर में करीब १ लाख की जनसंख्या होगी।

श्री जवानसिंह—हरेक अस्पताल के तहत कितनी जनसंख्या है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—नियम मन्जूर नहीं हो पाया है।

श्री जवानसिंह—यह नियम निश्चित नहीं हो पाया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी जनसंख्या के ऊपर यह अस्पताल हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—ऐसा कोई नियम निर्धारित नहीं है।

श्री जवानसिंह—मैं नियम नहीं पूछ रहा हूं। मैं जानकारी चाहता हूँ कि कितनी जन संख्या है हरेक अस्पताल के तहत में।

श्री कुम्भाराम आर्य—राजस्थान की पूरी जनसंख्या की औसत निकालने से यह किया जा सकता है।

श्री जवानसिंह—यह किस तरह से प्रतीत होता है कि कितनी जनसंख्या है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसी जहां की हालत होती है वैसी वहां व्यवस्था कर दी जाती है।

श्री जवानसिंह—आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल खोले जाते हैं, लेकिन मेरा यह प्रश्न है कि जनसंख्या नहीं मालूम है तो फिर क्या आधार है जिससे की आवश्यकता मालूम होती रहे।

Page No.9

श्री कुम्भाराम आर्य—वह बीमार और बीमारी पर निर्भर करता है।

श्री जवानसिंह—हरेक जगह की आवश्यकता कैसे मालूम होगी औसत बीमारों क ?

श्री कुम्भाराम आर्य—कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है।

श्री जवानसिंह—साधारणतया औसत क्या है ?

(घंटी)

श्री कुम्भाराम आर्य—किस जगह की ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७८६

डीग से कामा होकर पहाड़ी जाने वाली तथा कामा से कोसी जाने वाली सड़कों का जीर्णोद्धार

श्री मोहम्मद इब्राहीम—क्या निर्माण मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या डीग से कामा होकर पहाड़ी जाने वाली सड़क तथा कामा से कोसी जाने वाली सड़क की हालत अत्यन्त शोचनीय हो चुकी है ?

(ख) क्या यह सच है कि इस सड़क पर वर्ष भर में १५–१६ मेले होते हैं और यह यू० पी० तथा पंजाब से लगी हुई है ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क की मरम्मत पर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान देगी ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री)—(क) डीग से कामा होकर पहाड़ी जाने वाली सड़क के २८ मील में से प्रथम ४ मील बिल्कुल ठीक हालत में १२ फुट चौड़ी डामर की सड़क है। बचे हुए भाग में से ४ मील पर जीर्णोद्धार तथा टार बिछाने का कार्य इस समय प्रारम्भ करवा दिया गया है और जारी है। बाकी लम्बाई में सड़क मरम्मत तलब है।

कामा-कोसी की ६ मील लम्बी सड़क में ३ मील का जीर्णोद्धार हाल ही में करवा दिया गया है और शेष टुकड़ा मरम्मत तलब है।

[श्री चन्दनमल वैद]

(ख) जी हां।

(ग) अवश्य।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—क्या ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को मालूम है कि वहां मवेशियों के बड़े बड़े मेले होते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—मैंने अभी बताया कि 'जी हां', काम पूरा नहीं हुआ है, इतनी लंबी सड़क है।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—पहाड़ी से कामा की सड़क पर काम शुरु नहीं हुआ है, सामान ही वहां पड़ा है, तो क्या समझा जाय ?

श्री चन्दनमल वैद—४ मील पर काम शुरू कर दिया है। बाकी के लिए अगले साल विचार किया जायगा।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—आपने फरमाया कि पहाड़ी जाने वाली सड़क पर काम शुरू हो गया। मैं आप से दर्याफ्त कर रहा हूं कि पहाड़ी से कामा जो सड़क आती है वहां पर क्या हो रहा है ?

श्री चन्दनमल वैद—मैं पूरी सड़क के लिए बात कर रहा हूं। २८ मील की सड़क की बात करता हूं। अलग अलग टुकड़ों की बात नहीं करता हूं।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—मैं मालूम करना चाहता हूं कि सारी सड़क पर कब तक काम मुकम्मिल हो जायगा ?

श्री चन्दनमल वैद—धीरे धीरे काम हो रहा है और जल्दी ही मुकम्मिल हो जायगी ?

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—सड़क बिज़ीरोड (busy road) बतलाई है, फिर भी क्या उसकी १२ फीट की चौड़ाई काफी है ?

श्री चन्दनमल वैद—काफी और ना काफी का सवाल नहीं है, मैं फेक्ट बता रहा हूं।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—सवाल इसलिए पैदा होता है कि वह सड़क बहुत बिज़ी है, जो १२ फीट चौड़ी है वह बहुत कम है। क्या सरकार उसको और चौड़ी करने के लिए प्रयत्न करेगी ?

Page No.11

श्री चन्दनमल वैद—पूरी मरम्मत हो जाने के बाद ज्यादा चौड़ी कराने के बारे में सोचा जा सकता है।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—आपने फरमाया कि सड़क ४ मील टूटी हुई है तो आज तक उसकी मरम्मत क्यों नहीं की गई?

श्री चन्दनमल वैद—मैंने बतलाया कि ४ मील की मरम्मत पहले हो चुकी है। ४ मील की इस साल की जा सकती है और बाकी की मरम्मत जैसे जैसे पैसा उपलब्ध होगा वैसे वैसे कर दी जायगी।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—इस साल जो ४ मील की मरम्मत की जा रही है वह कितने साल से टूटी हुई पड़ी है?

श्री चन्दनमल वैद—कितने वर्षों के बारे में तो मुझे मालूम नहीं लेकिन सड़क हर साल टूट जाती है।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—क्या आपको यह पता है कि राजस्थान बना है तब से उसकी हालत खराब है? यहां नन्दग्राम और बरसाने का इलाका पड़ता है जहां कि लाखों आदमी जिआरत के लिए आते हैं?

श्री चन्दनमल वैद—माननीय सदस्य एक बार में एक प्रश्न पूछें। एक साथ चार २ प्रश्नों का जवाब देना मुश्किल है।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—यह पूछना चाहता हूं कि कितने दिन से वह खराब हो रही है? दिन पर दिन इसकी हालत खराब होती जा रही है। इसकी तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए।

श्री चन्दनमल वैद—ध्यान दिया जा रहा है तभी तो ४ मील की सड़क की मरम्मत हो चुकी है और बाकी के बनने के ऊपर विचार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७६०

खमनोर तहसील के पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार तथा और नये तालाब बनाना

श्री शिवदानसिंह—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

[श्री शिवदानसिंह]

(क) खमनोर तहसील में छोटे मोटे कुल कितने तालाब हैं ?

(ख) उपरोक्त तालाबों में कितने फूटे हुए हैं ?

(ग) क्या सरकार इन तालाबों को भविष्य में जल्दी ही दुरुस्त कराने की सोच रही है ?

(घ) क्या सरकार ने खमनोर तहसील में नये तालाब बनवाने की आवश्यकता के लिये जांच की है ?

(ङ) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि खमनोर तहसील में कोई अच्छे २ जलाशय वहां बहने वाली नदियों को बांधी जा कर बनाये जा सकते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) महकमा आबपाशी के आधीन तहसील खमनोर में छोटे मोटे कुल ६ तालाब हैं ।

(ख) उन तालाबों में से कोई भी टूटा हुआ नहीं है ।

(ग) यह सवाल नहीं उठता ।

(घ) जांच करने के बाद इस तहसील में बनास नदी से मोतिया गांव के पास सिंचाई की योजना तैयार की गई है ।

(ङ) जो योजना बनाई गई है उसकी सेंक्शन मिलने के बाद और मौका मिला तो और आगे काम किया जायगा ।

श्री शिवदानसिंह—क्या इस समय तालाबों का काम करवाया जा रहा है ।

श्री चन्दनमल वैद—मैंने आपको अभी बतलाया कि योजना बनाई गई । उसकी सेंक्शन होते ही काम शुरू किया जायगा ।

प्रश्न संख्या १७६१

राजस्थान के असहाय आश्रमों में दस्तकारी की शिक्षा

श्री चांदमल मेहता—क्या देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चांदमल मेहता]

(क) राजस्थान में कितने असहाय आश्रम कहां कहां चल रहे हैं ?

(ख) उक्त आश्रमों का किस किस का कितने कितने रुपया का वार्षिक खर्च का बजट है ?

(ग) उक्त आश्रमों में किस किस में कितने कितने असहाय रह रहे हैं ?

(घ) क्या असहाय व्यक्तियों को कोई दस्तकारी भी सिखाई जाती है ?

(ङ) महिलाओं के लिये क्या उक्त आश्रमों में अलग व्यवस्था है ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या (देवस्थान मंत्री)—(क) राजस्थान में ७ असहाय आश्रम चल रहे हैं, जो बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, किशनगढ़ और भरतपुर में स्थित हैं।

(ख) उक्त आश्रमों का वार्षिक खर्च का बजट तथा असहाय व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार से है :

स्थान	खर्चा	संख्या
बीकानेर	२८,३१०	४० (२४ बालक, १६ कन्याएं)
जोधपुर	६,६६६	३२
जयपुर	६३७	७
कोटा	५,०००	१७ (१५ बालक २ बालिकाएं)
बांसवाड़ा	३,६५१	१३
किशनगढ़	२,६०८	कोई भी असहाय नहीं है
भरतपुर	६००	सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई।

(ग) जोधपुर में महिलाओं के लिये एक पृथक कमरा नियत है। गवर्नेस भी नियुक्त की हुई है। बीकानेर में बालकों को बेंत तथा लकड़ी का काम व कन्याओं को सिलाई का काम सिखाया जाता है। वहां कताई तथा बुनाई का काम भी सिखाया जाता है। एक महिला निगरानी में कन्याओं के लिये अलग व्यवस्था है। कोटा में महिलाओं के लिए अलग स्थान नहीं है और न महिलाएं रखी जाती हैं। केवल बालिकाएं रखी जाती हैं। दस्तकारी आदि नहीं सिखाई जाती।

(ङ) केवल जोधपुर में।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ असहाय आश्रम बन्द करने के लिये सरकार ने आज्ञा जारी की है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ की जनता की मांग थी कि उस आश्रम में व्यवस्था ठीक नहीं होने से वहां पर लोग भरती नहीं होते हैं इसलिये वहां की व्यवस्था ठीक की जाय ? इसके बजाय उसे बंद करने का आर्डर दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वहां पर लोग भरती नहीं होते हैं इसलिये उसे बंद करना ही उचित समझा गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या आप को यह जानकारी है कि वहां पर असहाय लोग मिलते हैं और उन्होंने इसके लिये मांग की है कि व्यवस्था ठीक की जाय ? व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण लोग भरती होने से हिचकिचाते है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। मैं एक बार जब किशनगढ़ गया था तब वहां के कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि कुछ सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के हाथ में काम दे दिया जाय तो अच्छा हो, लेकिन जहां १-२ से अधिक असहाय नहीं मिलते हां वहां आश्रम रखकर खर्चा करना आवश्यक नहीं समझा गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या वहां पर इतनी अव्यवस्था थी कि एक असहाय वहां मर गया और उसको ३ दिन तक नहीं जलाया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस तरह की एक अलग सूचना दी है जो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगी, जैसा कि प्रायः नहीं हुआ करता है लेकिन फिर भी इसकी जाँच कराई जायगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या जांच कराने के बाद यह व्यवस्था करेंगे जिस कारण से असहाय भरती नहीं होते थे उन कारणों को दूर करके वहां पर भरती करना शुरू करेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, छोटी जगह है। वहां पर आदमी नहीं मिलते हैं इसलिये वापिस शुरू नहीं किया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या असहाय माननीय मंत्रीजी के पास प्रार्थना पत्र लेकर आवें तो फिर से चालू करेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। जहां आश्रम चलता है वहां जायेंगे तो भरती कर लेंगे।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री जी ने अपने कार्यकाल में कभी इन आश्रमों का इन्सपेक्शन किया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके लिये अलग अलग ऑफिसर्स नियुक्त हैं जो निरीक्षण करते रहते है, हां मैं भी दौरे पर जाता हूं तो देख लेता हूं लेकिन जब मैं किशनगढ़ गया तब वहां कोई असहाय था ही नहीं तो किसका निरीक्षण करता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि असहाय थे उस वक्त भी इन्सपेक्शन नहीं किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हो सकता है कि मेरे पूर्व के मंत्रीयों ने निरीक्षण किया हो किन्तु मेरे वक्त में तो एक भी असहाय नहीं था। इसलिये किसका निरीक्षण करता ? माननीय मित्र अब कहते हैं तो पहले इतने साल से स्थिति खराब थी तो पहले से ही कोशिश करते तो सुधर सकती थी।

श्री चांदमल मेहता—क्या मनानीय मंत्री जी की जानकारी में यह बात है कि प्रश्न पूछा गया और उसका जवाब दिया गया उससे पूर्व भी माननीय मंत्रीजी के पास इस सम्बन्ध में तजवीज भेजी गई थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष—क्या कोई तजवीज भेजी गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—तजवीज भेजने की कोई बात नहीं है। ऐसे कागज चल रहे हैं लोग नहीं मिलते हैं इसलिये हमको बंद करना पड़ा।

श्री चांदमल मेहता—क्या कुछ महीनों पहले तजवीज नहीं भेजी गई है कि अमुक कारणों से लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिये ये कारण इस तरह से दूर किये जांय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरे पास कोई तजवीज नहीं भेजी गई। मैं किशनगढ़ गया था तब कुछ लोगों ने कहा कि यहां के लोगों के हाथ में व्यवस्था दी जाय तो व्यवस्था ठीक हो सकती है। गवर्नमेंट ने यह ठीक नहीं समझा कि १-२ आदमी वहां रहें और हजारों रुपये उन पर खर्च किये जांय।

श्री चांदमल मेहता—मंत्रीजी का एक्नोलेज़मेन्ट मेरे पास मौजूद है।

श्री श्रीदास गोयल—इन आश्रमों की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसा है कि कोटा और बीकानेर में एज्युकेशन डिपार्टमेंट द्वारा व्यवस्था की जाती है, जोधपुर और किशनगढ़ में देवस्थान डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है, जयपुर में एक पब्लिक इन्सीट्यूशन काम करता है, बांसवाड़ा में बेकवार्ड क्लास वेलफेअर विभाग काम देखता है और भरतपुर में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट व्यवस्था करता है। अब सरकार का ऐसा विचार है कि इन सब आश्रमों को देवस्थान विभाग के अन्तर्गत दिया जाय।

Page No.16

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार यह उचित समझती है कि देवस्थान के अन्डर में देने के बाद जन प्रतिनिधियों को भी सुविधा दी जायगी कि वे भी इनका निरीक्षण करें ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अवश्य, सरकार यह समझती है कि जनप्रतिनिधियों के सुपुर्द यह काम किया जाय।

श्री सन्तोषसिंह—जोधपुर में दो आश्रम किस किस जगह हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने तो एक ही आश्रम बताया था आपने दो सुन लिये। मैं वहां गया हुआ हूँ। एक पहाड़ी के ऊपर से रास्ता जाता है। मुहल्ले का नाम याद नहीं है; यदि आप चाहेंगे तो जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूँ।

श्री सन्तोषसिंह—इसमें असहाय कितने आदमी, स्त्रियें और बच्चे हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं अपने उत्तर में बता चुका हूँ कि ३२ हैं जिनमें २ लड़कियें हैं।

श्री संतोषसिंह—ये लूले लंगड़े है, यह किस तरह के हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उनमें से कुछ लूले, लंगड़े हैं, कुछ ऐसे है जिनके मां बाप नहीं है, कुछ वृद्ध हैं और कुछ काम काज नहीं कर सकते।

एक माननीय सदस्य—भरतपुर में कितने असहाय आश्रम हैं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या १७६२

ईसरदा के निकट लसोड़ा (जिला स० माधोपुर) बीड़ के हरे वृक्षों का काटा जाना

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या वन विभाग मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जिला सवाई माधोपुर के अन्तर्गत ईसरदा के पास लसोड़ा बीड़ के हजारों हरे वृक्ष एक ठेकेदार द्वारा धड़ाधड़ काटे जा रहे है और लकड़ियां इकट्ठी की जा रही है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि कुछ लोगों ने उक्त बीड़ सरकार से यह कह कर लिया कि वे यहां पर एक फार्म बनायेंगे ?

Page No.17

[श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री]

(ग) यदि हां, तो क्या अन्यत्र फार्म नहीं बनाया जा सकता था ?

(घ) इस बीड़ को देने से सरकार को क्या आमदनी हुई है ?

(ङ.) क्या सरकार इस विषय में शीघ्र ही आवश्यक जांच कर उचित कदम उठावेगी ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—इसका संबंध राजस्व विभाग से है। संबंधित मंत्री जी इसका जवाब देंगे।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या यह सही है कि हरे वृक्ष काटने की इजाजत वन मंत्रीजी द्वारा नहीं दी जाती है ?

श्री अमृतलाल यादव—आपका प्रश्न दूसरा है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या जो जंगल काटे जाते हैं उनके विषय में वन विभाग से इजाजत नहीं लेनी पड़ती ?

श्री अमृतलाल यादव—यह जंगल का नहीं, बल्कि बीड़ का प्रश्न है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—किस कानून के अन्तर्गत यह बीड़ है ?

श्री अमृतलाल यादव—इस प्रश्न का उत्तर आपको संबंधित मंत्रीजी से मिलेगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या राजस्थान सरकार द्वारा यह किया गया है कि अमुक भाग राजस्व विभाग में रहेगा और अमुक वन विभाग में ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां, ऐसा ही है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि जंगल के संबंध में श्री हरिशंकर जी का प्रश्न आया है वह एक भयावह जंगल है जिसमें महाराजा ईशरदा ने लगभग १५० शेर मारे है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह जो कुछ भी है वन विभाग के अन्तर्गत नहीं है और बीड़ के नाम से राजस्व विभाग में दर्ज है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि इस जंगल के इर्द गिर्द राजस्थान सरकार के जंगल मौजूद हैं ?

Page No.18

श्री अमृतलाल यादव—यह तो माननीय सदस्य ज्यादा जानते होंगे, मैं तो सवाई माधोपुर का रहने वाला नहीं हूं।

श्री श्रीदास गोयल—क्या इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते समय जंगलात विभाग से पूरी जानकारी प्राप्त की गई थी ?

श्री अमृतलाल यादव—इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जंगल जहां हैं वहीं होंगे।

श्री श्रीदास गोयल—क्या इस प्रकार की घटनायें अन्यत्र भी हुई हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—मेरे ध्यान में कोई नहीं है। जो ध्यान में लाई जाती हैं उन पर कार्यवाही की जाती है।

श्री श्री दासगोयल—क्या अभी जानकारी प्राप्त करके बतायेंगे कि यह जंगल सवाई माधोपुर में बहुत आवश्यक है और इसका काटा जाना अहितकार है।

श्री अमृतलाल यादव—मैंने कहा कि आपको इसका जवाब मिलेगा।

एक माननीय सदस्य—क्या यह बतायेंगे कि नींदड के पहाडों में जो जंगल है......

श्री अध्यक्ष—Order ! सवाई माधोपुर से नींदड चले गये ?

श्री कपिल देव—वहां के जानवरों का क्या होगा ?

श्री अमृतलाल यादव— (अश्रव्य)

श्री श्रीदास गोयल—क्या माननीय मंत्री महोदय ने जंगल के सम्बन्ध में यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है कि जंगलात विभाग में भी यह जंगल के नाम से दर्ज है ?

श्री अमृतलाल यादव—जंगलात विभाग में दर्ज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७६३

बोहड़ा ग्राम (जिला चितोड़ गढ़) में शासकीय औषधालय की स्थापना

श्री जगत सिंह झाला—क्या स्वास्थ मंत्री निम्न लिखित प्रश्न उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

[श्री जगतसिंह झाला]

(क) क्या यह सच है कि जिला चित्तौड़गढ़ के बोहैड़ा ग्राम में कोई सरकारी दवाखाना नहीं है ?

(ख) क्या यहां की जनता ने डिस्पेन्सरी के लिये अच्छा से अच्छा मकान देने की, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ओफीसर के सामने प्रार्थना-पत्र पेश करते हुए लिखित जिम्मेदारी ली है ?

(ग) क्या सरकार यहां एक डिस्पेन्सरी या ३५ नये खुलने वाले आयुर्वेदिक औषधालयों में से एक इसी वर्ष खोलने का आदेश देगी ?

श्री कुंभाराम आर्य--(स्वास्थ मंत्री)

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

श्री जगत सिंह झाला—वहां डिस्पेन्सरी नहीं खोलने क्या कोई खास कारण हैं ?

श्री कुंभाराम आर्य—कोई खास कारण कभी पैदा नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार आवश्यकता नहीं समझती है कि वहां डिस्पेन्सरी खोली जाय ?

श्री कुंभाराम आर्य—वह वहां के हालत पर निर्भर करता है।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार ने ऐसे हालत मालूम करने की कोशिश की है कि वहां डिस्पेन्सरी खोली जाय या नहीं ?

श्री कुंभाराम आर्य—सुना नहीं।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—क्या बजट में गुंजायश नहीं है ?

श्री कुंभाराम आर्य—सवाल बजट का नहीं।

श्री जसवन्त सिंह—वहां के लोग बीमार होते हैं या नहीं ?

Page No.20

श्री कुंभाराम आर्य—इस तरह की शिकायत नहीं आई।

(हंसी)

श्री हिम्मत सिंह अटरू—क्या वहां का हिस्सा जैसलमेर से मिला हुआ है ?

(हंसी)

श्री कुंभाराम आर्य—जी नहीं।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि वहां डिस्पेन्सरी खोलने के लिये वहां की जनता को सरकार की ओर से आश्वासन दिया हुआ है ?

श्री कुंभाराम आर्य—मुझे याद नहीं, आपको याद हो तो बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७६४

धौलपुर में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण तथा केसरवाड़ा से सोने के गुरजा की सड़क का जीर्णोद्धार

श्री हंसराज जटिया—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) धौलपुर में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन कौन सी सड़कों का निर्माण हो रहा है ?

(ख) जो सड़क शीघ्र ही बनने जा रही है क्या उसके टेंडर मंजूर हो चुके हैं ?

(ग) जिन सड़कों का निर्माण हो रहा है वे कौन कौन सी हैं और कब तक खतम होंगी ?

(घ) क्या यह सत्य है कि सड़क केसरवाड़ा से लेकर सोने के गुरजा तक मरम्मत तलब है ? यदि हां तो क्या सरकार उस पर ध्यान देगी ?

श्री चन्दनमल वैद निर्माण मंत्री की अनुपस्थित में (उपमंत्री)

[श्री चन्दनमल वैद]

(क) धौलपुर यूनिट में पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित सड़कें बनाई जा रहीं हैं।

१. भरतपुर-धौलपुर की कच्ची सड़क के हिस्से को मेटल्ड सड़क बनाना।

२. धौलपुर राजाखेड़ा सड़क उटंगन नदी तक।

३. बसेरी नवाब में बाजार में पत्थर जड़ना।

४. मनिया से मुरेना गांव की कच्ची सड़क बनाना।

५. बरमन बसेरी से भूतेश्वर मंदिर की लिंक रोड बनाना।

(ख) उपर्युक्त सड़कों में से नं० १, २, ३ और ५ के टेन्डर हो चुके हैं और नं० ४ यानि मुनिया से मुरारी गांव की कच्ची सड़क के टेन्डर अभी मंजूर नहीं हुए हैं।

(ग) उपर्युक्त ४ सड़कें जिनके टेन्डर हो चुके हैं बन रही हैं और सन् १९५५-५६ में खत्म होने की संभावना है।

(घ) केसरबाग से सोने की गुरजा तक की सड़क मरम्मत तलब है। सरकार का ध्यान अवश्य इस ओर है।

प्रश्न संख्या १७६५

तहसील रामगढ़ के बांधों का जीर्णोद्धार

श्री हनवन्तसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील रामगढ़ (जिला जैसलमेर) में ऐसे कितने खडिन (बांध) हैं जो टूटे पड़े हैं और मरम्मत की जरूरत है ?

(ख) क्या इस तहसील में ऐसे खडिन भी हैं जिनको बंधवाने से कई सौ बीघा जमीन में गेहूँ चने हो सकते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद (उपमन्त्री)—(क) और (ख) इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

श्री जवानसिंह—इन खडिन में कभी पानी भी आता है ?

श्री चन्दन मल वैद्—इसकी जांच की जा रही है।

श्री हनवन्तसिंह्—यह जांच कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री चन्दन मल वैद्—यह दूसरे की सम्पत्ति है, हमारी सम्पत्ति नहीं है। यह तो जांच के बाद ही बताया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—इनका प्रश्न है कि जांच कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री चन्दनमल वैद—अभी जांच शुरू की गई है।

श्री हनवन्त सिंह्—प्रश्न पूछने के बाद से लेकर अब तक इस सम्बन्ध में जांच क्यों नहीं की गई ?

श्री चन्दन मल वैद—केवल १५ दिन में इनती बड़ी जांच होना संभव नहीं।

श्री हनवन्त सिंह—आपने फरमाया कि दूसरों का इलाका है, तो क्या बतायेंगे कि किसका इलाका है ?

श्री चन्दन मल वैद—मैंने इलाका नहीं कहा मैंने कहा था कि दूसरों की सम्पत्ति है।

श्री हनवन्त सिंह्—क्या इसकी जांच के लिये कोई अधिकारी भेज दिया गया है ?

श्री चन्दनमल वैद—नहीं।

श्री हनवन्तसिंह्—तो फिर कैसे कहा गया है कि जल्दी ही जांच पूरी हो जायगी ?

श्री चन्दन मल वैद—आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न संख्या १७९६

देवस्थान विभाग के आधीन मन्दिरों के हिसाबों का ऑडिट किया जाना

श्री चांदमल मेहता—क्या देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) देवस्थान विभाग के मातहत कितने मन्दिर हैं ?

(ख) उक्त मन्दिरों में १ लाख से ज्यादा आमदनी वाले कितने हैं ?

(ग) उक्त मन्दिरों के आमद व खर्च के हिसाबात आडिट किये जाने की क्या व्यवस्था है ?

(घ) ऐसे कितने मन्दिर हैं जिनके हिसाबात राजस्थान के निर्माण के बाद ऑडिट नहीं किये गये हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (देवस्थान मंत्री)—(क) देवस्थान विभाग के अन्तर्गत कुल १०३४६ मन्दिर हैं, जिनमें ३६६ मन्दिर सीधे देवस्थान विभाग के अन्तर्गत हैं, ३८ आत्मनिर्भर हैं, ४८ कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नीरीक्षण में हैं तथा ८८६४ मन्दिर सरकार से वार्षिक आर्थिक सहायता (ग्रान्ट इन एड) प्राप्य हैं।

(ख) कोई भी मन्दिर एक लाख से अधिक वार्षिक आमदनी वाला नहीं है।

(ग) उपरोक्त मन्दिरों के आय व व्यय के हिसाब का ऑडिट करने का कार्य एग्ज़ामिनर, लोकल फन्ड एकाउन्ट्स विभाग के सुपुर्द किये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

(घ) झालावाड़ के मन्दिरों को छोड़ कर अन्य मन्दिरों के ऑडिट कुछ कठिनाइयों के फलस्वरूप नहीं हो सके हैं जिनका ऑडिट करने का कार्य शीघ्र गति से चालू है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग कायम होने से लेकर अब तक इसके हिसाब का ऑडिट नहीं हुआ है, अब तक इन मन्दिरों के हिसाबात का ऑडिट नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह बात सही नहीं है, झालावाड़ में ऑडिट हुआ है और बाकी जगह कार्यवाही जारी है।

श्री चांदमल मेहता—पुराने हिसाब का ऑडिट अब जो हो रहा है। अब तक ऑडिट नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—भिन्न भिन्न स्थानों के भिन्न भिन्न मन्दिर थे। उनके एकीकरण वगैरह की कई कठिनाइयां थीं। उनको अब दूर कर लिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—यह ऑडिट कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, पर इसके लिये अलग स्टाफ रख दिया गया है बहुत जल्दी की जा रही है तो भी १-२ साल तो लगेंगे ही।

श्री कंवरलाल जेलिया—राजस्थान सरकार जिन मन्दिरों को सहायता देती है उन मन्दिरों में हरिजनों को जाने का अधिकार क्यों नहीं है ?

श्री भोगीलाल पण्डया—नहीं, यह बात नहीं है। हरिजन वहां जाते ही नहीं हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या माननीय मंत्री इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे कि राजस्थान सरकार के खजाने से जिन मन्दिरों को रकम दी जाती है, तो उनमें हरिजनों के जाने में यह असुविधा क्यों है ?

एक माननीय सदस्य—यह दूसरों के धर्म में हस्तक्षेप है।

श्री भोगीलाल पण्ड्या—नहीं, ऐसी बात नहीं है। धर्म में हस्तक्षेप जैसी कोई बात नहीं है। सभी सार्वजनिक स्थान जिनमें सार्वजनिक पैसा लगता हो, सब के लिये खुले हैं। सरकार इस बारे में व्यवस्था सोच रही है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—हरिजन किस किस मन्दिर में जाते हैं?

श्री अध्यक्ष—Order! Next.

प्रश्न संख्या १७६७

श्री अध्यक्ष—श्री रामरतन टिक्कीवाल

(प्रश्नकर्त्ता - अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७६८

मेड़ता तहसील के अस्पताल, आयुर्वेदिक औषधालय तथा नर्सें

श्री भोपाल सिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) मेड़ता तहसील में कुल कितने अस्पताल हैं और कितने आयुर्वेदिक औषधालय?

(ख) सरकार की तरफ से इन अस्पतालों और औषधालयों में नर्सेज किन किन में और कितनी हैं?

(ग) आबादी के लिहाज से क्या वे अस्पताल, औषधालाय व नर्सेज काफी हैं?

(घ) क्या सरकार ने कोई आधार बनाया है कि कितने माइल की दूरी पर या कितनी जनसंख्या में कितने अस्पताल औषधालय या नर्सेज़ होनी चाहिये?

श्री कुंभा राम आर्य (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) मेड़ता में एक डिस्पेन्सरी एवं एक प्रसूति गृह है और थांवला एवं रीयां में एक एक आयुर्वेदिक एड पोस्ट हैं।

(ख) मेड़ता डिस्पेन्सरी में दो मेल नर्सेज़ हैं एवं प्रसूतिगृह में एक मिडवाइफ व एक दाई

Page No.25

[श्री कुंभाराम आर्य]

है। इसके अतिरिक्त एक स्थान हैल्थ विज़िटर का भी है जिस पर उपयुक्त व्यक्ति मिलते ही नियुक्ति हो जायगी।

(ग) मेड़ता से भी अधिक आबादी वाले स्थानों में इतनी व्यवस्था का भी अभाव देखते हुए काफी है।

(घ) ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री भोपाल सिंह—ये जो सरकार के विचाराधीन योजनाएं रहती हैं क्या कभी पूरी होती भी हैं ?

श्री कुंभाराम आर्य—यथा शीघ्र। (हंसी)

श्री भोपाल सिंह—जब आप इस तरह के टालमटोल जवाब देते रहेंगे तब तक हम कैसे समझेंगे कि शीघ्र ही ऐसी विचाराधीन योजनाएं पूरी हो जायंगी ?

श्री कुंभाराम आर्य—मैं आप की मुरादें पूरी करने की कोशिश करूंगा। (हंसी)

श्री भोपाल सिंह—मेरे पूछने का मतलब यह है कि मेड़ता जैसे बड़े कस्बे के लिये जहां तहसील है वहां एक अस्पताल काफी है ?

श्री कुंभाराम आर्य—इसका उत्तर में (ग) में दे चुका हूं।

श्री जवान सिंह—उनकी मुरादें जो आप पूरी करेंगे वह व्यक्तिगत हैं या और भी लोगों की हैं ?

श्री कुंभाराम आर्य—मैं पूरे हाउस के लिये कह रहा हूं।

(हंसी)

श्री भोपाल सिंह—क्या वहां की जनसंख्या घट जायगी तब इस ओर ध्यान दिया जायगा ?

श्री कुंभाराम आर्य—भगवान ने दया रखी तो जनसंख्या तो और भी बढ़ जायगी।

(हंसी)

श्री भोपालसिंह—जब भी आपको सवाल पूछा जाता है, आप हमेशा गोलमटोल जवाब देते हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री कुंभाराम आर्य—मैंने जवाब दिया कि मैं आपकी मुरादें जल्दी ही पूरी करने की कोशिश करूंगा।

(हंसी)

श्री भोपालसिंह—मेरी मुरादें तो मेरे दिल में ही रह जायेंगी और कोई काम पूरा नहीं होगा।

श्री कुंभाराम आर्य—भगवन ने चाहा तो ऐसा ही होगा।

श्री भैरोंसिंह—(वि० सं० १६) क्या आपकी मुरादें यह हैं कि आप गोलमटोल जवाब दिया करें ?

श्री कुंभाराम आर्य—जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह—फिर जिस मुराद का आप जिक्र कर रहे हैं उसका क्या मतलब है ?

श्री कुंभाराम आर्य—इस प्रश्न में पूछे गये आवश्यक विषयों को पूरा करना।

प्रश्न संख्या १७६६

तहसील जैसलमेर के कुछ बंधों का निर्माण

श्री हनवन्तसिंह—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:
(क) क्या सरकार तहसील जैसलमेर में निम्नलिखित खडिनों को बन्धवाने का विचार रखती है ?

रेल बरजाग वाल, सलून लोडिया गाली :

(ख) क्या सरकार इनके अलावा भी कोई खडिन (बांध) जैसलमेर तहसील में बन्धवाना चाहता है ?

श्री चन्दनमल वैद —(उपमंत्री) (क) इसकी जांच पड़ताल जारी है। जांच हो जाने पर उचित समझा जावेगा तो बन्धवाया जायगा।

[श्री चन्दनमल वैद]

(ख) अभी कोई ऐसी योजना नहीं है। जांच करने के बाद अगर कोई योजना उचित जान पड़ी तो कार्यवाही की जायगी।

श्री हनवन्त सिंह—इसकी पहले भी जांच हो चुकी है, आपने जवाब दिया।

श्री चन्दनमल वैद—पहले जवाब दिया और अब जवाब दिया गया है उसमें ५-७ मिनट का ही फर्क है।

श्री हनवन्त सिंह—तहसीलों का फर्क है।

श्री चन्दनमल वैद—इलाके का फर्क नहीं है।

श्री हनवन्त सिंह—वे बोर्डर पर हैं और बहुत दूर हैं लेकिन ये दूर नहीं हैं।

श्री चन्दनमल वैद—वे व्यतिगत संपत्ति है, इसलिये उनकी जांच कराना बहुत जरूरी है।

श्री हनवन्त सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि वे व्यक्तिगत प्रोपर्टी नहीं हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—आप सरकार को दिलादें तो बहुत अच्छी बात है।

श्री भैरुसिंह (१६)—सरकार ने जांच-पड़ताल की कार्यवाही कब से शुरू की है ?

श्री चन्दनमल वैद—अभी थोड़े दिनों से। अभी जांच-पड़ताल की कार्यवाही शुरू नहीं हुई है।

श्री सन्तोषसिंह—क्या वहां पर कर्मचारी वगैरह गये हैं या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद—आदेश दे दिया गया है।

श्री सन्तोष सिंह—क्या आदेश लिखित रूप में दिये गये हैं या जुबानी ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८००

भीनमाल कस्बे में सड़क निर्माण

श्री भोपाल सिंह—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री भोपालसिंह]

(क) क्या भीनमाल कस्बे में जहां पर अभी तक कोई सड़क नहीं है, सरकार सड़क बनाने का विचार करती है ?

(ख) अगर हां, तो कब तक सड़क बनवाने का कार्य शुरू कर दिया जावेगा ?

श्री चंदनमल वैद: (उप मंत्री)—(क) भीनमाल कस्बे में १ मील लम्बी पक्की सड़क है जो भीनमाल स्टेशन से शहर तक है, और सड़के बनाने का तखमीना म्युनिसिपल बोर्ड भीनमाल ने इस विभाग से मांगा है। ये तखमीने बन रहे हैं

(ख) तखमीने मिलने के बाद नगरपालिका अपनी मर्जी के अनुसार जब चाहे सड़कें बनवा सकती है।

श्री भोपाल सिंह—क्या पंचवर्षीय योजना में कोई सड़क बनाने की सरकार की मंशा है?

श्री चंदनमल वैद:—भीनमाल में नहीं बनाई जावेग

श्री भोपाल सिंह—भीनमाल में कोई सड़क नहीं है। क्या कोई सड़क भीनमाल में बनाने की सरकार की योजना है ?

श्री अध्यक्ष—उत्तर दे दिया गया है कि नहीं। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८०१

डग तथा गंगधार तहसीलों (जि० झालावाड़) के निवासियों के लिये चद्दरों की व्यवस्था

श्री भगवानसिंह तरंगी—क्या खाद्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला झालावाड़ की डग और गंगधार तहसीलों के निवासियों के लिये चद्दरें (कॉरीगेटेड शीट्स) कहां से मिलने की व्यवस्था है ?

(ख) गत वर्ष कितने शीट्स उक्त तहसीलों को सप्लाई किये गये ?

(ग) क्या यह सही है कि कोटा की जो पार्टी झालावाड़ जिले को चद्दरें भेजने के लिये अधिकृत है वह अधिकांश चद्दरें काले बाजार को दे देती है ?

[श्री भगवानसिंह तरंगी]

(घ) क्या सरकार अब उक्त तहसीलों को चद्दरें नियमित रूप से मिलते रहने की व्यवस्था करेगी ?

श्री **भोगीलाल पंड्या** (खाद्य मंत्री)-(क) झालावाड़ जिले के आइरन एन्ड स्टील स्टॉकिस्ट एम. के. एम. मूसाभाई की दुकान से लोहे की चद्दरें झालावाड़ जिले की सभी तहसील के निवासियों को दिलाये जाने का प्रबन्ध है। वहीं से उपर्युक्त तहसीलों के निवासी भी चद्दरें परमिट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) गत वर्ष डग व गंगधार तहसीलों की जनता के लिये झालावाड़ के कोटे में से ६६ चद्दरें दी गई हैं।

(ग) इस कार्यालय में एम. के. एम. मूसाभाई अमीन, जो कोटा डिविजन के लोहा व स्पात के अधिकृत विक्रेता हैं, के विरुद्ध काले बाजार में सामग्री बेचने की अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है।

(घ) उक्त तहसीलों की जनता को चद्दरें जिले के हैडक्वार्टर (झालावाड़) से ही मिलेंगी क्योंकि प्रत्येक तहसील में रजिस्टर्ड स्टॉक होल्डर नियुक्त करना सम्भव नहीं है और राजस्थान को लोहे व स्पात की मात्रा बहुत कम मिलती है।

श्री भगवानसिंह तरंगी—क्या सरकार इन दोनों तहसीलों के लिये ६६ चद्दरें देना पर्याप्त समझती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं काफी तो नहीं समझता, लेकिन जितनी चद्दरें मिलती हैं वे आबादी के हिसाब से लगभग दी जाती हैं।

श्री भगवानसिंह तरंगी—काले बाजार में चद्दरों की भरमार है तो फिर वहां चद्दरें कहां से आती हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके लिये लोग बाहर से लाते हैं। मैं नहीं कहता कि व्यापारी नहीं लाते। व्यापारी बाहर से लाते होंगे। इसके अलावा एक निश्चित तारीख मुकर्रर होती है। उस तारीख में नहीं बिकतीं तो फिर वे उसको बेच सकते हैं।

श्री भगवानसिंह तरंगी—कोटा में इस प्रकार की कई शिकायतें हैं, क्या सरकार के ध्यान में है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसी शिकायत हमारे सामने नहीं है। अब आपने सूचना दी है। कृपया आप लिखित रूप में बतावें तो इस सम्बन्ध में पूरी पूरी जांच की जावेगी।

Page No.30

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि लोहे का माल व्यापारी सीधा दूसरे व्यापारियों को भेज देते हैं और उन स्थानों को नहीं मिलता जिनके लिये कोटा मुकर्रर किया जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसी सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। जांच होती है तो रजिस्टर वे लोग बताते हैं, जिसमें एन्ट्रीज़ होती है। अगर आप किसी प्रकार खास मिसाल बतावेंगे तो उस सम्बन्ध में जांच की जावेगी।

श्री कंवरलाल जेलिया—यह बात कहां तक सही है कि पिछले दिनों चद्दरों के मामले पर एन्टीकरप्शन विभाग ने प्राइस कन्ट्रोल के एक व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ा था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं आपका प्रश्न समझ नहीं सका।

श्री कंवरलाल जेलिया—चद्दरें लोगों को मिलती नहीं। उसके लिये परमिट नहीं मिलते। इसके लिये सप्लाई डिपार्टमेंट में भी क्या कोई ऐसा अधिकारी एन्टीकरप्शन द्वारा पकड़ा गया रंगे हाथ, जो गड़बड़ करता था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसा मुझे मालूम नहीं, अगर आप बतावें तो जानकारी हासिल की जा सकती है।

श्री कंवरलाल जेलिया—तो क्या सरकार यह समझती है कि चद्दरों के परमिट जो मिलते हैं, वे पर्याप्त हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—चद्दरें कम मिलती हैं और आबादी के हिसाब से दी जाती हैं। शहर में ४० प्रतिशत, गांवों के लिये ४ प्रतिशत अलग होती हैं और इन्डस्ट्रीज़ के लिये अलग होती है। सबको चाहिये, मगर जितनी जरूरत होती है उतनी नहीं दे सकते।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि कोटा से जो चद्दरें मिलती हैं वे गरीब किसानों को नहीं मिलतीं और सारी की सारी लखपतियों और मालदार व्यक्तियों को मिल जाती हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह असंभव सी बात है। कोटा की कोटा में मिलती है और गांव की गांव में मिलती हैं, इसलिये यह नहीं कह सकते। हो सकता है कि किसी किसान को मिली हो और किसी किसान को नहीं मिली हो।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्या सरकार को यह मालूम है कि आम तौर से यह जवाब दिया जाता है कि चद्दरें नहीं हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हो सकता है कि चद्दरें नहीं हों। जिस समय परमिट वाला लेने के लिये जावे।

श्री बृज सुन्दर शर्मा—क्या जो लोग परमिट देते हैं उनके पास भी कोई रजिस्टर होते होंगे जिसके आधार पर वे लोग परमिट इश्यू करते होंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हां, जब तक वे जारी करते हैं और पहले वाले परमिट के लोग ले जाते हैं और बाद में कोई चद्दर नहीं रहते।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह जरूरी होता है कि जिस दिन परमिट जारी होता है, उसी दिन वह चद्दरें लेने को जावे और उसको नहीं मिले।

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसी बात मेरे ध्यान में नहीं आई है। हो सकता है कि उसके जाने से पहले ही किसी को दे दी हो। जहां तक स्पेसिफिक केस नहीं बतावें, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री मोतीराम चौधरी—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि जिस जगह के लिये कोटा मुकर्रर होता है वह कोटा उस जगह पहुँचता ही नहीं और रास्ते में ही दूसरी जगह पहुँचा दिया जाता है और उसका काला बाजार होता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह जरूरी है कि कई वर्षों से यह कोटा मूसाभाई के नाम के व्योपारी हैं, उनको ही दिया जा रहा है यह क्यों ? जिसका विरोध भी हुआ है...

(घंटी)

श्री भोगीलाल पंड्या—यह भारत सरकार की ओर से मुकर्रर सारे राजस्थान के लिये होते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई निश्चित रूप से शिकायत आवेगी तो उसका कोटा सस्पेन्ड भी हो सकता है, जैसा कि जोधपुर में किया गया।

(श्री कंवरलाल जेलिया के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री दासगोयल गोयल—क्या यह सही है कि कोटा देते वक्त मियाद मुकर्रर की जाती है कि इतने समय में कोटा उठा लो वरना डीलर्स को स्वतन्त्र होगा को वे बेंच सके ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह मैं पहले ही बता चुका हूं कि यदि समय के अन्दर कोटा नहीं उठाते हैं तो डीलर्स को स्वतन्त्र है कि वे बेच सकें।

श्री श्रीदास गोयल—क्या मन्त्री महोदय महसूस करते हैं कि नाजायज फायदा उठाने के लिए डीलर्स लोग ऐसा करते हैं कि किसी न किसी तरह से समय निकाल देते हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—हो सकता है कि वे लोग स्वार्थवश ऐसा करते हों। ऐसी बातों को सरकार के सामने अवश्य लाना चाहिए, ताकि उचित कार्यवाही उनके खिलाफ की जा सके।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्या मन्त्री महोदय महसूस कर चुके हैं कि कोटा होल्डर्स परमिट् की मयाद निकलने के बाद स्टाक में जो चद्दरें बच जाती हैं, वे उनको ब्लेक में बेच देते हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह एक जनरल बात कह दी गई है। वैसे कह देने से तो काम नहीं बनता है। यदि आप कोई पर्टिकुलर केस बतायें तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके और ऐसे डीलर्स को सजा दी जा सके।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार की जानकारी में है कि कोटा डिविजन में लोगों को चद्दरें नहीं मिलती हैं। समाचार-पत्रों में भी आरोप लगाये जाते हैं, तो क्या माननीय मंत्री महोदय को इस ओर भी कोई ध्यान गया है।

श्री अध्यक्ष—They are not to take cognizance of newspaper news. If there is any specific complaint the Hon'ble Members can make.

प्रश्न संख्या १८०२

सवाई माधोपुर की विभिन्न डिस्पेन्सरीज़ व अस्पतालों में सन् ५२ से ५४ तक भेजी गई औषधियें इत्यादि

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सवाई माधोपुर जिले की भिन्न २ डिस्पेन्सरीज़ व अस्पतालों को सन १६५२-५३ व ५४ में कितने २ रुपयों की दवाई व सामान सप्लाई किया गया?

(ख) बजट के मुताबिक प्रत्येक अस्पताल को कितना कम और कितना अधिक सप्लाई हुआ और क्यों?

श्री कुम्भाराम आर्य—(स्वास्थ्य मंत्री) (क) इस सम्बन्ध की एक तालिका सदन मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(ख) प्रत्येक डिस्पेन्सरी का पहले अलग बजट नहीं बनाया जाता था। जितनी डिस्पेन्सरीज़ को दवा व अन्य सामान की जरूरत होती थी, इन्डेन्ट के अनुसार दे दी जाती थीं।

श्री रिद्धीचन्दपालीवाल—क्या इस साल दवाइयां बजट से कम कर दी गई हैं?

श्री कुम्भाराम आर्य—नहीं।

Page No.33

श्री श्रीदास गोयल—क्या कारण है कि सन १९५२-५३ में जो मात्रा दी गई थी यानि जहां ५००) की दवाइयां दी जाती थीं वहां २००) और २५०) की ही दी जाती हैं?

श्री अध्यक्ष—कभी नहीं आई।

श्री कुम्भाराम आर्य—अभी साल खत्म नहीं हुआ है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा—क्या दवाइयाँ डिस्पेन्सरीज़ को देते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जनसंख्या बढ़ रही है?

श्री कुम्भाराम आर्य—इस तरह समझदार लोगों को भी ख्याल रखना पड़ेगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि सन् १९५२-५३ के मुकाबले में सन ५३ ५४ में ६० प्रतिशत ही दवाइयां मिली हैं?

श्री कुम्भाराम आर्य—आवश्यकता के अनुसार ही दी जाती हैं।

श्री भोपालसिंह—क्या ऐसे भी औषधालय मौजूद हैं जहां कि बिल्कुल ही दवाइयां नहीं हैं?

श्री कुम्भाराम आर्य—जहां बिल्कुल ही दवाइयां नहीं हैं, ऐसा औषधालय मेरे ध्यान में नहीं है।

श्री भोपालसिंह—अगर जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मैं आपको दे चुका हूं और देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—जानकारी दीजिये ना।

श्री भोपालसिंह—मेड़ता तहसील में रीयां ग्राम की डिस्पेन्सरी में दवा नाम मात्र भी नहीं है।

श्री कुम्भाराम आर्य—ऐसा नहीं है।

श्री भोपालसिंह—आप चाहें तो आदमी भेजें, हम आपको बता सकते हैं।

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं बड़ा कृतज्ञ होऊंगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—केवल कृतज्ञ होने से क्या होगा? दवाइयां नहीं हैं तो क्या वहां पहुँचा दी जायंगी!

श्री कुम्भाराम आर्य—हां, उसके बाद यह होगा।

Page No.34

श्री श्रीदास गोयल—सन् ५२-५३ का साल खत्म हो चुका है, यह साल भी खत्म होने आ रहा है। इन दोनों सालों में जो दवाइयां दी गई हैं तो क्या ५२-५३ के मुकाबले में इस साल ५३-५४ में ५० प्रतिशत कम नहीं दी गई हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह डिमांड पर निर्भर करता है।

श्री श्रीदास गोयल—जब बजट में पूरा प्रोविजन होता है, तो फिर बाकी की दवाइयां कह रह जाती हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जहां २ डिस्पेन्सरीज़ में आवश्यकता होती है, वहां२ आवश्यकतानुसार भेज दी जाती हैं। कभी कहीं अधिक आवश्यकता होती है, कभी कहीं कम।

श्री श्रीदास गोयल—पूरे जिले की दृष्टि से जो शिड्यूल बताया गया है उस हिसाब से दवाइयां आधी रह गई हैं और दोनों वर्ष समाप्त हो गये हैं।

श्री कुम्भाराम आर्य—वह इसलिए कि डिमान्ड कम होगी।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह अनुभव किया गया या सरकारी अधिकारी द्वारा जांच कराई गई कि डिमान्ड कम होने का मतलब तन्दुरुस्ती लोगों की बढ़ गई है इसलिए दवाइयां कम चाहिए ?

श्री कुम्भाराम आर्य—तन्दुरुस्ती तो आपकी ही दिखाई देगी। किन्तु डिमन्ड के आधार पर ही दवाइयां भेजी जाती हैं।

श्री श्रीदास गोयल—किन २ अधिकारियों को आपने नियुक्त किया है जांच करने के वास्ते कि डिमांड कम हो गई है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मेडिकल विभाग पूरा जिम्मेदार है।

श्री श्यामलाल गोयल—क्या यह सही है कि डिस्पेन्सरीज़ में दवाइयां नहीं मिलती हैं ; बार बार डिमान्ड की जाती है फिर भी दवाइयां वहां नहीं पहुँचती है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—अब ऐसा नहीं रहा।

श्री श्यामलाल गोयल—क्या अभी भी गंगापुर की डिस्पेन्सरी में टिन्चर जैसी साधारण दवा भी नहीं है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—आपने अभी बताया।

श्री श्यामलाल गोयल—क्या इससे पूर्व माननीय मन्त्री महोदय के पास इस सिलसिले में पत्र नहीं आये ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मेरे ध्यान में नहीं हैं, आपके ध्यान में होगा।

श्री श्यामलाल गोयल—मैं पत्र डाल चुका हूँ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री भोपालसिंह।

प्रश्न संख्या १८०३

मीनमाल कस्बे में जल कष्ट निवारणार्थ नालों द्वारा जल वितरण की व्यवस्था

श्री भोपालसिंह—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या भीनमाल कस्बे में पानी की जटिल समस्या हल करने हेतु नालों द्वारा पानी वितरण कराने के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

(ख) क्या एसेसमेन्ट आदि बन गये हैं ? अगर बन गये हैं तो वह काम कब से शुरू होगा ?

(ग) इस योजना पर राजस्थान सरकार कितनी रकम खर्च करेगी ?

श्री चन्दनमल बैद (उप मन्त्री)—(क) भीनमाल में नल द्वारा पानी सप्लाई करने की योजना बनाने के लिए नक्शा तैयार करने को ओवरसियर भेजा जा रहा है। जल की जांच आदि आरम्भिक कार्यवाही की जा चुकी है।

(ख) एस्टीमेट अभी नहीं बना है। नक्शा बनने में तीन चार महीने लगेंगे। एस्टीमेट उसके बाद बनेंगे।

(ग) योजना में साढ़े तीन लाख, चार लाख रुपया खर्च होने का अन्दाजा है। खर्च करने का प्रश्न स्थानीय नगरपालिका से सम्बन्ध रखता है।

श्री जवानसिंह—यह नल व्यवस्था के लिए जवाब दिया गया है, यहां तो नालों के लिए है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री सुगनचन्द।

प्रश्न संख्या १८०४

वेंगू सब डिविजन के टूटे तालाबों का जीर्णोद्धार

श्री सुगनचंद जैन—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री सुगनचन्द]

(क) बेंगू सब डिविजन में कितने तालाब टूटे हुए हैं और कौन २ से ?

(ख) इन तालाबों में कौन कौन से तालाबों की इस साल सरकार मरम्मत कराना चाहती है ?

(ग) इन तालाबों की अब तक मरम्मत नहीं कराने का क्या कारण है

(घ) अब कब तक मरम्मत पूरी हो जाने की संभावना है ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) इलाका बेंगू विशेषतः जागीर का है इसलिए टूटे हुए तालाबों की लिस्ट अभी तैयार नहीं की गई है।

(ख) इस साल काटून्दा नंदवई के टूटे हुए तालाबों की मरम्मत कराने की तजवीज़ है।

(ग) यह एरिया करीबन सब-जागीरी होने की वजह से सरकार ने पहले कोई काम हाथ में नहीं लिये थे।

(घ) उम्मीद की जाती है कि अगले दो-तीन सालों में द्रव्य व्यवस्था होने पर मरम्मत की जा सकेगी।

श्री सुगनचन्द जैन—जो तालाब टूटे हुए हैं उनकी फहरिस्त सरकार के सामने पेश करूं तो क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री चन्दनमल वैद—जरूर।

श्री अध्यक्ष—श्री रिद्धिचन्द पालीवाल।

प्रश्न संख्या १८०५

वस्तुओं पर अनियन्त्रण होने के फलस्वरूप डिक्लेरेशन व अन्य पाबन्दियां समाप्त न होना

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या खाद्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) अधिकांश चीजों का डिकन्ट्रोल हो चुकने और कोई पाबन्दी नहीं रहने पर भी डिक्लेरेशन व अन्य पाबन्दियां अभी तक क्यों नहीं खत्म की गई हैं ? कब तक ये पाबन्दियां खत्म की जावेंगी ? इन्हें जारी रखने से क्या फायदा है ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या (खाद्य मंत्री)—राजस्थान सरकार ने भी भारत सरकार की नीति के साथ साथ खाद्य व अन्य वस्तुओं के आयात और निर्यात पर से नियन्त्रण हटा दिया है, परन्तु भारत सरकार के फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेन्ट लाइसेन्स ऑर्डर के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त करना व डिक्लेरेशन देना अनिवार्य है। भारत सरकार की नीति में परिवर्तन होने पर राजस्थान सरकार भी अपनी नीति में संशोधन कर देगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री रिद्धिचन्द पालीवाल।

प्रश्न संख्या १८०६

डाक्टरों की फीसें निर्धारित करने सम्बन्धी

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) डॉक्टरों की विज़िट की निर्धारित फीसें क्या हैं ?

(ख) ये फीसें किस ध्येय को रख कर किसने निर्धारित की हैं ?

(ग) क्या उक्त फीसें राजस्थान की गरीब जनता का ध्यान रखते हुए निर्धारित की गई हैं ?

(घ) क्या इसमें सरकार सुधार करने का विचार करेगी ?

श्री कुम्भाराम (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) इस सम्बन्ध की तालिका सदन की टेबल पर रख दी गई है।

(ख) १७ मई १९५१ से पूर्व एकसी फीस की तालिका नहीं थी, अतः सरकार ने यह तालिका निश्चित की थी।

(ग) जनता का हित तो सरकार के ध्यान में था ही और इसीलिए एक तालिका निश्चित की गई थी।

(घ) इस तालिका में सुधार का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री जवानसिंह—फीस कम करने के लिये या ज्यादा करने के लिए क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री कुम्भाराम—यह विचार पर निर्भर करता है।

श्री जवानसिंह—यह विचार धारा किस ओर प्रवाहित हो रही है ?

श्री कुम्भाराम—यह बैठकर चर्चा करेंगे तब बनेगी।

श्री जवानसिंह—बैठकर क्या; हम और आप यहां बैठे हुए हैं।

श्री कुम्भाराम—आप यदि इच्छा रखते हैं तो आपकी सलाह भी लेंगे।

श्री जवानसिंह—मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला है। कम करने की विचारधारा है या बढ़ाने की ?

श्री कुम्भाराम—मैंने यह निवेदन किया कि जो उचित लगे वह राय दे दें।

श्री श्रीदास गोयल—जैसा कि इस तालिका में बताया गया है, एक एक डाक्टर की फीस डेढ़ डेढ़ सौ रुपया है क्या इसे सरकार वाजिब समझती है ?

श्री कुंभाराम आर्य—इस सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—ज्यादा से ज्यादा किस डाक्टर की और कम से कम किस डाक्टर की फीस है ?

श्री कुंभाराम आर्य—मैं समझा नहीं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—ज्यादा से ज्यादा किस ओहदे के डाक्टर की फीस है और कम से कम कौनसे ओहदे की है।

श्री कुंभाराम आर्य—यह तालिका में दी हुई है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—तालिका ही से बताइये कि किसकी ज्यादा फीस है और किस डाक्टर की कम है ?

श्री कुंभाराम आर्य—आप तालिका देखने की कृपा करें।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है लेबर्स के लिये; जो १५० रुपये की फीस है, वह बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि वे डिलीवरी में मर जांय किन्तु उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती। इसके लिये सदन को पूरी तरह से जानकारी दी जाय।

श्री कुंभाराम आर्य—इसके ऊपर पुनर्विचार हो रहा है।

श्री श्रीदास गोयल—यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर इतनी ढ़िलाई के साथ विचार होता है, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है?

श्री वृजसुन्दर शर्मा—Mr. Speaker, Sir, the House is very much interested in having a general discussion on this question regarding the medical fees. This subject should be discussed in the House

श्री श्री दास गोयल—Half-an-hour discussion must be allowed on such an important question.

श्री वृजसुन्दर शर्मा—Half-an-hour discussion must be allowed on such an important question.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष जी, इस पर हाफ एन अवर डिस्कशन के होने से भी कोई फायदा निकलने वाला नहीं, क्योंकि डेफीनिट जो सवाल पूछा जाता है उसका भी उत्तर गोलमाल दिया जाता है। इस तरह से आध घंटे के डिस्कशन से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—कम से कम उद्गार तो प्रगट होंगे।

श्री कुम्भाराम आर्य—मेरी भाषा को माननीय मित्र ने कम समझने की कोशीश की। यह जो तालिका है उसके ऊपर आप लोगों ने जो एतराज किया है, उस फीस में कम-बेसी करने के लिये सरकार विचार कर रही है। मैं समझता हूँ। यदि आप लोग सहयोग देंगे तो हम इसमें परिवर्तन भी कर देंगे और आप लोगों की सलाह का आदर भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सब से अधिक कौन से डाक्टर की फीस है और सबसे कम किस डाक्टर की है।

श्री कुम्भाराम आर्य—तालिका में पूर्ण रुप से स्पष्ट है कि २०,३०,५० और १५० तक की फीस है।

पूरे दिन की २०) रुपया, रात्रि को ११ से ५ तक ३०) रुपये हैं; ऑपरेशन माइनर के ५० हैं और मेजर ऑपरेशन के १५० हैं।

श्री तेजमल बापना—यह तालिका कब बनी है?

(चुप्पी)

श्री हिम्मतसिंह अटरू—अध्यक्ष महोदय, इस पर हाफ एन ऑवर के डिस्कशन के लिये इजाजत दी जाय।

Page No.40

श्री अध्यक्ष—Not now.

श्री श्रीदास गोयल—यह तालिका १७ मई, १९५१ को बनी है और यह सितम्बर, १९५४ तक चली आ रही है। तीन वर्षों तक का समय इन तालिकाओं में लग गया तो फिर आम लोगों को यह कैसे राहत पहुंचा सकती है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—इसके बारे में सब से ज्यादा बातें आपकी ओर से ही आई हैं।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार इन तालिकाओं में दुरुस्ती करने की अपनी जिम्मेवारी नहीं समझती है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—सरकार तो निभाती ही है। पहले यह तालिका नहीं थी, यह तालिका हमने सब से पहले बनवाई है, इस पर दुबारा विचार किया जा रहा है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सारे राजस्थान के लिये यूनिफॉर्मल है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—पहले सब जगह अलग नियम थे। अब उनको एक करने के लिए ही यह कदम उठाया गया है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह जो फीस बतायी गयी है, वह क्या सब जगह यूनिफॉर्म रूप है या अलग अलग है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—राजस्थान में समान है।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या सरकार को यह मालूम है कि इन तालिकाओं की वजह से डॉक्टर लोग पहले फीस लेते हैं और फिर होस्पिटल में डिलीवरी के केसेज़ एडमिट करते हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं आई है।

श्री श्रीदास गोयल—फीस की जो तालिका बनी हुई है उसमें १००) (१५०), रुपया तक फीस के हैं। इसलिये डाक्टर लोग मरीजों को प्राइवेट आने के लिये एडवाइज़ करते हैं, क्या यह सही है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है। यह तो मैं माननीय मित्र से ही सुन रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member contemplates to put an application for half-an-hour discussion. So it is not wasting time. प्रश्न संख्या ८०७ का उत्तर नेक्स्ट टर्न पर दिया जायगा, इसके बारे में फीगर्स कलेक्ट किये जा रहे हैं।

Page No.41

प्रश्न संख्या १८०८

सराड़ा तहसील (जि. उदयपुर) की डिस्पेंसरीज तथा औषधियों के प्रबन्ध सम्बन्धी

श्री लक्ष्मण हीरालाल—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) उदयपुर जिला सराड़ा तहसील में कितनी और कहां कहां डिस्पेन्सरीज़ हैं ?

(ख) जो डिस्पेन्सरीज़ हैं वे किस आधार पर खोली गई हैं ? क्या वे आबादी के लिहाज से पर्याप्त हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि वहां औषधालयों की व्यवस्था ठीक नहीं है और हर वर्ष कई व्यक्ति मलेरिया तथा नहारू की बीमारी से पीड़ित रहते हैं ।

(घ) नहारू की बीमारी की रोक-थाम के लिये सरकार द्वारा क्या २ प्रयत्न किये गये हैं और उनमें कहां तक सफलता मिली है ।

(ङ) इस वर्ष कितनी और कहां कहां डिस्पेन्सरीज़ खोली जायंगी ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) सराड़ा (तहसील सराड़ा) में एक डिस्पेन्सरी है एवं पोटला में एक औषधालय है।

(ख) यह भूतपूर्व राजस्थान के समय से चली आ रही है, आबादी एवं अर्थाभाव को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त है ।

(ग) ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है । डिस्पेन्सरी में आवश्यकतानुसार औषधियों का स्टॉक रहा है और बीमारियों का उपचार किया जाता है ।

(घ) एक बाला हकीम की भी नियुक्ति की जा चुकी है और कमिश्नर की रिपोर्ट है कि उपचार में सफलता मिल रही है । इसके अतिरिक्त बावड़ियों को कुओं में परिणित करके नहारू की बीमारी की रोक-थाम की विशाल योजना प्लानिंग कमीशन के सहयोग से तैयार की जा रही है । स्वास्थ्य विभाग इस रोग को रोकने के लिये औषध विशेष का अन्वेषण कर रहा है ।

(ङ) अभी प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्या कोटड़ा सराड़ा तहसील में है ।

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है ।

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मंत्री)—कोटड़ा नहीं पोटला है ।

श्री सोहनलाल भटनागर—सराड़ा में कितने वर्षों से डॉक्टर नहीं है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—डाक्टर नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। डाक्टर तो आते-जाते रहते हैं ।

कु.० श्री जसवन्तसिंह—क्या कभी ऐसा वक्त भी आया जब डाक्टर वहां नहीं था ?

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या माननीय मंत्रीजी को यह पता है कि इस डिस्पेन्सरी में करीब चार वर्ष से कोई डाक्टर नहीं था ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं इसकी जांच करवाऊंगा ।

श्री श्रीदास गोयल—जिन डिस्पेन्सरीज़ में चार-चार वर्ष से डॉक्टर नहीं पहुँचते क्या उनकी जानकारी माननीय मंत्री को नहीं रहती है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—चार वर्ष तक डॉक्टर नहीं पहुँचा, इस तरह की जानकारी किसी ने मुझे दी नहीं ।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या यह सही है कि इस बारे में कई बार लिखा गया और डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एन्ड हेल्थ को भी सूचना दी गई ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मेरी पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री कंवरलाल जेलिया—इसके (ड) भाग का उत्तर सरकार के पास क्या है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह प्रश्न विचाराधीन है ।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—क्या यह समझा जाय जैसा कि माननीय मंत्री ने फरमाया कि चार-चार वर्ष तक डाक्टर न पहुँचने की सूचना गवर्नमेंट के ध्यान में लाई जाय, तो क्या इतने अर्से में वहां कोई बीमार ही नहीं पड़ा या गवर्नमेन्ट ने वहां भेजने की जरूरत ही नहीं समझी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—डॉक्टर पहुँचते हैं और उनकी व्यवस्था भी की जाती है। गत कुछ अर्से से डाक्टरों की कमी रही है, इसलिये जहां पहले डाक्टर भेजना जरूरी होता है, उसी हिसाब से भेजा जाता है। डॉक्टर के बिना वहां काम नहीं चलता हो ऐसी बात नहीं है। एम. एल. ए. महोदय ने जो शिकायत पेश की है, उसके संबन्ध में जानकारी करने की कोशिश करेंगे ।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—मेडिकल कॉलेज़ के होते हुए भी क्या डाक्टरों की कमी है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जी हां ।

श्री कंवरलाल जेलिया—बजट मन्जूर हो चुका और सितम्बर महीने तक हम विचार नहीं कर सके तो आने वाले मार्च तक विचार होता रहेगा क्या ?

श्री कुम्भराम आर्य—शीघ्र हो जावेगा ।

श्री कंवरलाल जेलिया—शीघ्र का मतलब मार्च से लगावें क्या ?

श्री कंवरलाल जेलिया—दिनों का लगावें आप ।

श्री चांदमल मेहता—सरवाड़ तहसील में इसी कारण से १०० में से ८५ आदमी नाहरु और बाले के शिकार होते हैं ।

श्री कुम्भाराम आर्य—कूओं और बावड़ियों का पानी बदलने के लिये सरकार सोच रही है । पंचवर्षीय योजना के लिये एक करोड़ रुपया खर्च होगा इस पर और इस साल २५ लाख रुपया रक्खा गया है इस काम पर ।

श्री सोहनलाल भटनागर—तो सराड़ा के लिये कितना रुपया खर्च होगा !

श्री कुम्भाराम आर्य—मांग आने पर होगा ।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या सरकार स्वयं इसके लिए कुछ नहीं करेगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह सारा काम पंचायतों के मार्फत होता है और वे ही इसके लिए एस्टीमेट आदि बनाकर भेजते हैं । फिर सरकार उनको विचार कर उचित कार्यवाही करती है ।

श्री सोहनलाल भटनागर—जब जनता बीमार होती है, तो सरकार स्वयं कुछ करना नहीं चाहती ?

श्री कुम्भाराम आर्य—पंचायतें इसकी देखभाल करती हैं । वे सरकार को इसकी सूचना देती हैं ।

श्री सोहनलाल भटनागर—जहां पंचायतें न हो वहां क्या होगा ?

श्री कुम्भाराम आर्य—कहीं कोई पंचायत न हो ऐसा कोई स्थान नहीं रहने दिया जावेगा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्या सरकार यह सोचती है कि सराडा तहसील से आधा रुपया मिले तो फिर बाकी का खर्चा सरकार करें ?

श्री कुम्भाराम आर्य—आधे खर्चे का कोई खास सवाल नहीं है ।

श्री सोहनलाल भटनागर—सगाड़ा तहसील में डाक्टर कब भेजा जावेगा ?
कुम्भाराम आर्य—जल्दी भेजा जावेगा ।
श्री चन्दनमल वैद—नहीं, भेज दिया गया है ।
श्री कुम्भाराम आर्य—भेज दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष (श्री रामरतन टिक्कीवाल के खड़े होने पर) orderplease ।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—मेरा एक प्रश्न रह गया है साहब ? मैं यहीं था ।

श्री अध्यक्ष—आप अनुपस्थित थे । मैंने प्रश्न कॉल किया था । माननीय सदस्य खड़े नहीं हुए । इसका दोष मुझ पर नहीं है ।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—ध्यान नहीं रहा साहब । अब इजाजत दे दी जावे ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न काल भी समाप्त हो गया है । अब तो १५ मिनिट भी उपर हो गये हैं ।

(विराम)

Yes, shri Tikkiwal Qustion No.1797

प्रश्न संख्या १७६७

ठिकाना उनियारा के जागीरदार द्वारा बिना अनुमति के पेड़ काटना

श्री रामरतन टिक्कीवाल—क्या वनमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह सही है कि टिकाना उनियारा जिला टोंक के जागीरदार ने जंगल में से सैंकडों पेड़ बिना इजाजत कटवा डाले हैं ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस ओर क्या कदम उठाया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार कोई जांच करने को उद्यत है ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)-(क) जी हां, यह सही है कि ठिकाना उणियारा में काफी तादाद में जंगल को कटा डाला है ।

(ख) यह मामला नियमानुसार एस. डी. ओ. के कोर्ट में दायर कर दिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या यह बात सही है कि पहले के एस. डी. ओ. ने यह रिपोर्ट दी थ कि यह बिलकुल गलत है ?

Page No.45

श्री अमृतलाल यादव—लेकिन बाद में एस. डी. ओ. से बात कन्फर्म हो गई कि बात गलत नहीं है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—बाद में तो समझा जा सकता है, यह भी सही है।

श्री अमृतलाल यादव—आपका मतलब ? मैं समझा नहीं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—पहले एस. डी. ओ. ने जो रिपोर्ट दी वह भी ठीक दी और बाद में जो दी वह बहुत बड़े राजस्थान के महानुभाव अफसर वहां पर गये और दूसरी रिपोर्ट दी, जिसमें यह कहा गया कि यह गलत है, यह भी सही है ?

श्री अमृतलाल यादव—बात ऐसी है कि मामला अब भी कोर्ट में है। अब कोर्ट ही इसका फैसला करेगी कि सही है या नहीं है या कितनी उसमें सच्चाई है और कितना झूंठ है।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Minister has informed the House that it is sub-judice. Had the Minister told this earlier I would not have allowed it.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह भी सही है कि पहले एस. डी. ओ. को कहा गया, धमकियां दी गईं कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जावेगा।

श्री कानसिंह—क्या यह भी सही है कि पहले के एस. डी. ओ. के कोर्ट से इस मुकद्मे को खारिज कर दिया गया था और इसके बाद में फिर वहां पर यहां से मैनन साहिब गये थे और उनके सुपुर्द यह मामला सौंपा गया ? उन्होंने लिखा कि एक कोई सज्जन पर मुकद्मा दायर किया गया, इसलिए सरकार को हैरान करने के लिए कहा जाना चाहिए। यह डोमेस्टिक अफेयर्स के लिए इस मामले को बढ़ाया गया है।

श्री अमृतलाल यादव—यह तो माननीय सदस्य की सूचना गलतफहमी पर आधारित मालूम पड़ती है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—On a point of order, Sir, when the matter is sub-judice no discussion be allowed on the floor of this House.

श्री अमृतलाल यादव—मैंने यह सूचना दी कि ज्यों ही यह पेड़ काटने की सूचना वन विभाग में आई त्योंही हमने उसको कोर्ट में दायर कर दिया। यह सबजुडिस मेटर है इसलिए इस पर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं नहीं समझता हूं कि जो मामला विचाराधीन अदालत है उसके बारे में इस सदन में कोई भी प्रश्न पूछा जावे और मैं आशा करता हूं, कि ट्रेजरी बैंचेन्ज़ भी इस दफ्तर को

[श्री अध्यक्ष]

यह सूचना तो कम से कम अवश्य दे दिया करेंगे कि कौनसा मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कौनसा नहीं। क्योंकि इस सूचना के अभाव में कोई भी प्रश्न यहां पूछा जा सकता है और उस पर जो वाद-विवाद हो यहां पर उससे अदालत के मामले पर असर पड़ सकता है, और इस मामले में अभी तक हमारे दफ्तर में ऐसी सूचना नहीं थी कि यह मामला कोर्ट के विचाराधीन है। फिर सदन के सदस्य पर भी इसका असर पड़ता है तो इसके लिए तो और भी हमें कोशिश रखना चाहिये कि किसी मामले से कोई पारस्परिक कटुता सदन में न पैदा हो।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री अर्जुनसिंह (वि० सं० ४) ने दिनांक २ सितम्बर, १९५४ से दिनांक १० सितम्बर, १९५४ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय?

एक माननीय सदस्य—ये तो पुरानी तारीखें हैं साहब।

श्री अध्यक्ष—अब उन्होंने नये रूप से एप्लाई किया है।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

सदन में १४ सितम्बर को पंखा गिरने सम्बन्धी घटना की जांच हेतु समिति का निर्माण

मैं सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व कल जो एक घटना इस सदन में हो गई थी कि बिजली का पंखा टूटकर ट्रेज़री बेंचों की सीट्स पर गिर पड़ा था, इस बारे में एक फैक्ट फाइन्डिग कमेटी की घोषणा करना चाहता हूं। वह मालूम करके अपनी रिपोर्ट देगी कि यह मामला कैसे हुआ, किसकी गलती रही, क्योंकि सदन के सारे सदस्यों का यह एक प्रिविलेज है कि इसमें कोई भी ऐसी घटना न घटे जिससे सदन के सदस्यों को किसी प्रकार की चोट पहुँचे और सदन की इस प्रतिष्ठा में फर्क आवे। इसलिए पांच सदस्यों की एक कमेटी में नियुक्त करता हूं; जिसके सभापति श्री लालसिंह शक्तावत, डिप्टी स्पीकर होंगे और दूसरे सदस्यों में—

(२) श्री जसवन्तसिंह,
(३) श्री चन्दनमल वैद,
(४) श्री किशनलाल शाह,

[श्री अध्यक्ष]

और (५) एक एक्सपर्ट चीफ इलेक्ट्रिकल इन्जीनियर श्री बशीर खां होंगे। यह एक सप्ताह के भीतर इस बारे की रिपोर्ट सदन को देगी कि यह घटना कैसे घटी।

श्री जवानसिंह—इसके पहले कि रिपोर्ट कमेटी पेश करे और सदन उस पर कोई कार्यवाही करे माननीय अध्यक्ष, क्या इस बात का खयाल रखेंगे कि इस तरह की व्यवस्था की जाय कि फिर ऐसी घटना की नौबत न आवे।

श्री अध्यक्ष—I have taken notice of that. This is a very grave matter and I am very thankful for the suggestion. Since this incident had happend I have been very much worried.

कु० श्री जसवन्तसिंह—इसके साथ साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी बधाई देनी चाहिये कि वे अपनी सीट पर नहीं थे।

श्री अध्यक्ष—I think the Hon'ble Member is little late.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—कुछ हो जाता तो आपको बड़ा खेद होता।

श्री अध्यक्ष— We come to the business of the day.

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १९५३
(अग्रेतर खण्डशः विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष—इसमें १४ क्लॉजेज़ ऐसी हैं जो विचाराधीन हैं। मैं समझता हूं कि पहले उन क्लॉजेज़ को ले लिया जाय। उसके बाद में फिर आगे बढ़ा जाय तो ज्यादा सहूलियत रहेगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—उन क्लॉजेज़ को रहने दिया जाय। बाद में एक साथ ले लेंगे, उन पेन्डिंग क्लॉजेज़ को।

मैं अध्यक्ष महोदय, और निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस चेप्टर १० को छोड़कर ११ वें चेप्टर से शुरू करें जिससे कि चेप्टर १० की कुछ क्लॉजेज़ जो हैं, उन पर ज्यादा वक्त न लगकर आपसी चर्चा से ठीक कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—Clauses 121 to 135 are being kept pending.

(विराम)

Then clause 136,

Page No.48

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—Let us start from clause 141.

श्री अध्यक्ष—Claues 136, chapter 11th—Grant of loans.

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—141 will come first.

श्री अध्यक्ष—Clauses 136, 137, 138, 139, 139A, 139B, 139C, 139D, 139E and 140. Then we come to clause 141. Shri BadriPrasad Gupta.

खण्ड १४१

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—I beg to move the following amendment to clause 141 In clause 141 the following sub-heading be retained—

"Grants at a favourable rate of rent."

श्री बृजसुन्दर शर्मा—हर एक अमेंडमेंट के साथ नम्बर आ जाय तो आसानी रहती है।

श्री अध्यक्ष—Amendment No. 317 the Hon'ble Member has moved. He will also move amendment No. 318.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—318 I move, Sir, It is;

"For the words 'sanctioned rent rates' the words "settlement rates' be substituted."

यह सैन्कशन्ड रेन्ट रेट्स के बजाय सेटिलमेंट रेट्स करने के लिए जो अमेंडमेंट पेश किया है वह सेटिलमेंट रेट्स होने जा रही है और सेटिलमेंट रेट्स कायम होने के बाद सेटिलमेंट रेट्स ज्यादा नहीं हैं इसलिए सैन्कशन्ड रेन्ट रेट्स के बजाय सेटिलमेंट रेट्स हो जाना चाहिये यह ज्यादा मौजूं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस एमेंडमेंट को मन्जूर कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल।

श्री श्रीदास गोयल—अमेंडमेंट नम्बर।

श्री अध्यक्ष—३७८।

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १४१ में मेरा एमेंडमेंट है;

"The Present clause 141 should be renumbered as sub-clause (1) of clause 141 and a fresh sub-clause be added as follows :-

[श्री श्रीदास गोयल]

'(2) On assessment of rent in accordance with settlement rates under sub-section (1) the grantee at favourable rate of rent shall be deemed to be a Khatedar-tenant.' "

तो यह फेवरेबल रेन्ट ऑफ रेट्स होने की हालत में वह किस प्रकार का टिनेन्ट होगा उसको ज्यादा क्लियर करने के लिए और किसी तरह का मुगालता न रहे, गलतफहमीयां न हों इस दृष्टि से खातेदार टिनेन्ट के हकूक मिलें और खातेदार टिनेन्ट समझा जाय। इस दृष्टि से मैंने यह एमेंडमेंट पेश किया है कि फेवरेबल रेट आफ रेन्ट होने की हालत में भी उसके लिए और कोई खयाल न हो। इसलिए एमेंडमेंट पेश करते वक्त प्रार्थना करता हूँ कि इसे स्वीकार फरमाया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो श्री श्रीदासजी ने धारा १४१ के अन्दर एक सब क्लॉज़ के रूप में जो एमेंडमेंट रखा है और उसमें यह चाहा है कि इसमें एक दूसरी क्लॉज़ और जोड़ दी जाय जिससे कि सेटिलमेंट रेट्स जो कि फेवरेबल रेन्ट रेट्स पहले से सेटिल्ड हैं उनके पूरी हो जाने के बाद में वह खातेदार टिनेन्ट होगा। मेरे खयाल से इस एमेंडमेंट की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी फेवरेबल रेन्ट रेट्स के जो ग्रान्टीज हैं वह खुद खातेदार हैं। आज भी उनके खातेदारी राइट्स माने जाते हैं। खातेदार बाद में भी रहेंगे, पूरे रेट्स हो जाने पर भी खातेदार रहेंगे और कम रेट्स होने पर भी खातेदार रहेंगे। इसलिए इस एमेंडमेंट की जरूरत नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जो एमेन्डमेंट्स मूव किये गये हैं उन्हें स्वीकार करने में कोई एतराज मुझे नहीं है जब कि इसके विरोध में भी नागौर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वह खातेदार समझे जायेंगे तो फिर इसके अन्दर और एड करने से फायदा क्या है ? उस स्थिति के अन्दर अगर इस एमेंडमेंट को स्वीकार किया जाय तो और क्लेरिफिकेशन हो जायगा बजाय इसका कन्ट्राडिक्शन होने के इसलिए जो एमेंडमेंट्स मूव किये गये हैं वह तीनों ही मुझे स्वीकार हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १४१ में श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखे हैं व श्री श्रीदास गोयल ने रखे हैं, वे स्वीकार किये जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४१ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज़ १४१ सन्शोधित रूप से विधेयक में अंग रूप से जोड़ा जाय।

(विराम)

क्लॉज़ १४२ है नहीं।

(विराम)

क्लॉज़ १४३, श्री जवानसिंह।

खंड १४३

श्री जवानसिंह -माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १४३ में मैंने एक एमेंडमेंट प्रस्तुत किया है।

इस क्लॉज़ में मेरा एमेंडमेंट यह कि इसका उप खण्ड (२) डिलीट कर दिया जाय। इस क्लॉज़ को डिलीट कराने में मेरा मतलब यह है कि इस कानून के तहत हमने खातेदार काश्तकारों को खातेदारी और ट्रान्सफर के राइट्स दिये हैं और जहां तक इन दोनों राइट्स का सवाल है हमने विलेज सरवेन्टस को इस सिलसिले में जो राइट्स दिये है उनको सीमित कर दिया है और विलेज सरवेन्ट के तहत में जो लोग आते हैं उनको इतने अधिकार नहीं दिये हैं जितने कि खातेदार काश्तकार को हैं। उनको यह अधिकार नहीं दिया है कि वह अपनी जमीन को एक साल से अधिक के लिए किसी को सब लेट कर सकें या बेच सकें। यदि उनको ये अधिकार नहीं दिये हैं तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि फिर हम उनको कौनसे अधिकार देना चाहते हैं जो खातेदारों के हैं। लैंड रेवेन्यु बिल जो पेश किया गया है उसमें इसके लिए प्रोविजन विशेषत कर दिया गया है उनके क्या राइट्स होंगे यह उसमें बताया गया है। यह चीज अमूमन लैंड रेवेन्यू एक्ट में ही हुआ करती है और जो बिल हमारे सदन में पेश हुआ है उसमें मौजूद है, इसलिए हमने खातेदार टिनेन्टस के मुकाबिले में जो राइट्स दिये हैं, एक अलग उपधारा एड करके उसकी यहां जरुरत नहीं है। उस पर भी हमने यह प्रतिबन्ध लगाया है जो १४३ (१) में साफ साफ है तो फिर यह रिडेन्डेंट उप धारा क्यों रखी जाय जिसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस उप-खण्ड को डिलीट कर दिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय अध्यक्ष, I move the following amendment :

"Sub-clause (2) substituted as follows :--

'(2) Subject to the provisions of sub-section (1), a village servant shall be deemed to be a Ghair khatedar tenant."' माननीय अध्यक्ष, इस अमेन्डमेन्ट को मूव करने

Page No.51

[श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता]

का तात्पर्य यह है कि १४३ में हमने सब क्लॉज़ (१) में विलेज सरवेन्ट्स को राइट्स दिये हैं। सब क्लॉज़ (१) और [२] आपस में मेल नहीं खाते इसलिये इस में "Subject to the provisions of sub-section (1) Khatedari rights" खातेदारी राइट्स के बजाय गैर खातेदारी राइट्स दिये जाने चाहियें। ये दोनों क्लॉज़ आपस में मेल नहीं खाते इसलिये मैं समझता हूं कि गैर खातेदार राइट्स कर दिया जाय, तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने अपने अमेन्डमेन्ट को इसलिए मूव किया है।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज़ १४३ में २ अमेन्डमेन्ट पेश हुए हैं। एक तो सब क्लॉज़ (२) को डिलीट करने के मुतलिक और दूसरा यह है कि १४३ (२) में खातेदार के बजाय गैर खातेदार शब्द लिख दिया जाय। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि १४३ (१) के मातहत विलेज सरवेन्ट्स को न तो ट्रान्सफर के राइट्स दिये गये हैं और न विलेज सरवेन्ट्स के पास जो प्रोपरटी है वह उनके वारिसों को मिलेगी। सिर्फ एक राइट हमने उनको दिया है और वह राइट यह है कि वे एक साल में एक दफे के लिये लीज़ दे सकेंगे और इस वजह से इसके सिवाय और कोई राइट्स नहीं है। इसमें यह भी साफ लिखा गया है कि अटेचमेन्ट और सेल एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री या ऑर्डर में नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही साथ सब सेक्शन (२) में सब्जेक्ट टु दि प्रोविजन्स ऑफ सब सेक्शन (१) करते हुए वे राइट्स दिये गये हैं जो खातेदार टिनेन्ट्स को दिये हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि सब क्लॉज़ (१) और (२) आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं यदि खातेदारी टिनेन्ट्स के राइट्स को हम देखे तो जो अमेन्डमेन्ट श्री बद्रीप्रसादजी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(राजस्व मंत्री) मैं समझता हूँ कि अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसको स्वीकार करने से माननीय सदस्य जो सिरोही से आये हैं उन्होंने जो आपत्ति की है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। पहले सब सेक्शन और दूसरे सब सेक्शन में जो मेल नहीं है वह भी दूर हो जाता है, इसलिये जो अमेन्डमेन्ट अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है उसको मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री जवानसिंह—मुझे सिर्फ यह कहना है कि एक अंधेरे को बचाने के लिये दूसरा अंधेरा रख दिया गया है। पहले जो धारा थी उस में एक निश्चित बात थी कि खातेदारी राइट्स होंगे उसके बजाय गैर खातेदारी किया गया है। मेरे ख्याल से यह ठीक नहीं है। यदि आप यह चाहते हैं कि गैर खातेदारी राइट्स दिये जायं तो उसको यहां लाने का कोई अर्थ नहीं होगा। यह लैंड रेवेन्यू एक्ट से गवर्न होगा लैंड रेवेन्यू एक्ट के माफिक सारी बातें होंगी। इसके बावजूद भी यदि वे इसको यहां रखना चाहते हैं तो मैं यही निवेदन करूंगा कि मेरे अमेन्डमेन्ट को वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

Page No.52

श्री अध्यक्ष—क्या हाउस की इजाजत है कि इनको अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

वापिस लेने की आज्ञा दी गई।

श्री जवानसिंह—मैं मेरा अमेन्डमेन्ट वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो अमेन्डमेन्ट क्लॉज़ १४३ में श्री बद्रीप्रसाद गुप्त ने रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४३ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४३ संशोधित रूप से विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

खण्ड १४४

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—"(a) In sub-clause (1) for the words 'on the suit of the estate-holder', the words, 'on the suit by the estate-holder or by the Tehsildar suo moto' be substituted:

(b) In sub-clause (2), for the word 'khatedar' the word 'ghair khatedar' be substituted.

कुछ माननीय सदस्य—Not audible

श्री अध्यक्ष—I will not mind if the Hon'ble Member steps on the front benches.

श्री जसवन्तसिंह—Lest he may lose his right.

श्री अध्यक्ष—Not, when I permit.

कु० श्री जसवन्तसिंह—This has been the convention and custom.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—मैंने क्लॉज़ १४३ में २ अमेंडमेंट मूव किये हैं। पहले के वर्डस् ये हैं :

(a) In sub-clause (1) for the words.........

श्री हिम्मतसिंह—फिर भी आवाज समझ में नहीं आती। The advantage is not there.

श्री अध्यक्ष—The voice is not audible.

श्री बद्रीप्रसाद—माननीय अध्यक्ष, "(a) In sub-clause (1) for the words 'on the suit of the estate-holder' the words 'on the suit by the estate-holder or by the Tehsildar suo moto' be substituted ;

(b) In sub-clause (2), for the word 'khatedar' the word 'ghair khatedar' be substituted."

मेरा जो पहला अमेन्डमेन्ट है वह सिर्फ लैंगवेज़ को ठीक करने के लिये है "On the suit of the estate-holder" के बजाय "On the suit by the estate-holder". इसके अनुसार यदि एस्टेट होल्डर न मूव करे तो तहसीलदार को इसके लिये पॉवर दी गई है। मेरे सेकन्ड अमेन्डमेन्ट में सब क्लॉज़ (२) में 'खातेदार' के बजाय 'गैर खातेदार' करने के लिये कहा है इसलिये कि यह इसका कांसेक्वेन्स है और सब क्लॉज़ (२) ऑफ क्लॉज़ १४३ में हमने ऐसा किया है। ये दोनों संशोधन जरूरी हैं इसलिये इनको मंजूर किया जाय।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन क्लाज़ १४४ के सब क्लॉज़ (१) में जहां पर शब्द 'एस्टेट-होल्डर' है उनकी जगह 'लैंड होल्डर' सब्सटिट्यूट करने के लिये है। मेरे से पहले बोलनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उनकी मंशा भी यही है। उनका ख्याल यह है कि 'लैंड होल्डर' शब्द न रखा जाय तो 'एस्टेट होल्डर' और 'गवर्नमेन्ट' दोनों का समावेश होना चाहिये और मेरा आशय था कि "लैंड होल्डर" शब्द रखना चाहिये जो कि अपने आप गवर्नमेन्ट को भी इन्क्लूयड करता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि 'लैंड होल्डर' अकेला ही रख दिया जाय जो 'एस्टेट होल्डर' और 'गवर्नमेन्ट' दोनों को इन्क्लूड कर देता है।

मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा हमारी परिभाषाओं की ओर कि जहां पर क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ (२६) में जो 'लैंड होल्डर' की परिभाषा की गई है उसमें 'एस्टेट होल्डर' को भी इन्क्लूड किया है। 'एस्टेट होल्डर' को हमने 'लैंड होल्डर' की परिभाषा में माना है।

[श्री जवानसिंह]

अगर 'लैंड होल्डर' कर दिया जावेगा तो यह 'एस्टेट-होल्डर' को भी इन्क्लूड करेगा। अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एस्टेट-होल्डर' के स्थान पर 'लैंड होल्डर' कर दिया जावे।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, 'एस्टेट-होल्डर' के बजाय 'लैंड होल्डर' शब्द सब्स्टीट्यूट करने का संशोधन माननीय श्री जवानसिंहजी चाहते हैं, वह उपयुक्त नहीं है। कारण यह है कि आपका अमेंडमेंट होने के बाद उपखण्ड (१) इस तरह पढ़ा जायगा :

"A village servant shall be liable, on the suit of the landholder, to ejectment from his village service grant on one or more of the following grounds."

मतलब इसका यह होगा कि लैंड होल्डर शब्द में आप कहते हैं कि गवर्नमेंट भी इन्क्लूडेड है, यह ठीक है, पर इस सूरत में "on the suit of the landholder" का मतलब यह हो जायगा कि अभी जो गवर्नमेंट को सूट लाने की जरूरत नहीं है, तहसीलदार बिना सूट के कर सकता है तो इस अमेंडमेंट को स्वीकार करने पर गवर्नमेंट को भी सूट करने की जरूरत पड़ जायगी और इस तरह गवर्नमेंट को सूट के प्रोसीजर में घसीटना ठीक नहीं होगा। इसलिये यह अमेंडमेंट ठीक नहीं है।

श्री बद्री प्रसादजी ने जो अमेंडमेंट पेश किया है वह ठीक है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री सोहन लाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, इस चेप्टर की क्लॉजेज़ १४३ और १४४ हैं वे विलेज सर्वेन्ट्स' के बारे में हैं। विलेज सर्विस छोटे-छोटे आदमी रेंडर करते हैं; बलाई, चमार आदि। उनको जो इसके लिये ग्रान्ट्स दी गई हैं उन पर उनका खातेदार टिनेन्ट के माफिक क जा है। क्लॉज़ १४३ से उनको गैर खातेदार टिनेन्ट बना दिया है। इसके बाद १४४ के सब क्लॉज़ (२) में दिया हुआ है कि :

"that he has ceased to render the service which he is bound to render or has failed to render it properly."

जो गांवों में रहते हैं और खास कर जागीर क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि इस प्रकार की छोटी छोटी ग्रान्ट्स देने के बाद उन बलाई, चमारों वगैरह से, नीचे के वर्गों से उनके बदले में बहुत काम लिया जाता है। कोई छोटा सा प्लॉट दिया हुआ है उसके एवज में जो उस प्लॉट से उनको आमदनी होती है उससे कई अधिक गुना पैसों का काम उनसे कराया जाता है, फोर्स से कराया जाता है।

[श्री सोहनलाल भटनागर]

तो ऐसी सूरत में सब क्लॉज़ (२) रखा गया तो इसका दुरुपयोग करेंगे और यह ओपन कर दिया जायगा कि जो काम आज तक वे करते आये हैं वह नहीं करेंगे तो उनको बेदखल कर दिया जायगा ।

क्लॉज़ १४६ में जो यह रखा गया है कि उसे खातेदार टिनेन्ट बना दिया जाय, लैंड रेवेन्यू लेने लग जायं तो उन छोटे छोटे आदमियों पर बड़ी हार्डशिप्स रहेंगी । इसलिये इस क्लॉज़ को पास नहीं किया जाय ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, जहां तक विलेज सर्विस ग्रान्ट करने का काम है इसके लिये मेरे मित्र ने कहा कि उन छोटे छोटे आदमियों से इस प्रकार के काम लेते हैं । इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह तो जिस समय लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत में विचार करेंगे कि उनकी क्या ड्यूटी होनी चाहिये, उनकी ड्यूटीज़ को लिमिट करेंगे उस समय कह सकते हैं कि इतना काम नहीं लिया जाना चाहिये । तो अभी इस पर विचार करना इस बिल के स्कोप के बाहर की चीज़ है । अभी तो हमारे सामने समस्या यह है कि अगर विलेज सर्विस जिनके जिम्मे है वे नहीं करते हैं तो क्या किया जाना चाहिये । That interest they get on account of rendering that service which they have to render under certain provision of law. तो वह काम नहीं करता है तो अपने आप इजेक्ट किया जा सकता है और दूसरा मुकर्रर कर देंगे । अगर इनको खातेदार टिनेन्ट मुकर्रर करेंगे तो इस तरह करते करते एक दिन जब हमारे पास जमीन नहीं बचेगी तो फिर किस तरह और कहां से विलेज सर्विस के लिये जमीन देंगे । इन लोगों को खातेदार टिनेन्ट बना देने से एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है कि हमारे पास जमीन नहीं रहे और विलेज सर्विस के लिये देने को हमारे पास जमीन नहीं बचेगी तो क्या देंगे ? इसलिये जो आशंका प्रकट की है वह ठीक नहीं है ।

रावत श्री शंभूसिंह—तो अमेंडमेंट १४४ में रखा है उसमें मैं एक अमेंडमेंड रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—अब ?

रावत श्री शंभूसिंह—अगर आपकी इजाजत हो तो मेरा नया अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट टू अमेंडमेंट है । बद्रीप्रसाद जी ने जो अमेंडमेंट रखा है उसमें अमेंडमेंट है । बद्रीप्रसाद जी ने जो अमेंडमेंट रखा है वह इस प्रकार है :

"A village servant shall be liable on the suit by the estate-holder or by the Tehsildar suo moto..."

[रावत श्री शम्भूसिंह]

इसके बाद वर्ड्स "after enquiry" इन्सर्ट कर दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—वेरी, सिम्पल अमेंडमेंट, आपको स्वीकार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुझे कोई एतराज नहीं है। I have no objection.

श्री अध्यक्ष—अमेंडमेंट उनका यह है कि :

"In sub-clause (1) after the words 'on the suit by the estateholder or by the Tehsildar suo moto' the words 'after enquiry' be inserted."

३२० नं० का अमेंडमेंट है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो उम्मीद की जाती है कि इन्क्वायरी करेगा ही।

श्री अध्यक्ष—आप स्वीकार करते हैं या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अर्ज किया कि इन्क्वायरी तो वह करेगा ही। फिर भी मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—जो अमेंडमेंट अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है वह मुझे स्वीकार है पर सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है कि एस्टेट होल्डर के बजाय लैंड होल्डर कर दिया जाय इसका परीणाम यह होगा कि स्टेट गवर्नमेंट भी अगर किसी के काम का फैसला कराना चाहे तो उसको भी सूट लाना होगा जब कि मौजूदा प्रोविजन के माफिक तहसीलदार इस पर एक्शन ले सकता है। तो यह पोज़िशन ठीक नहीं होगी कि गवर्नमेंट सूट वाले प्रोसीजर में पड़े।

तो जो अलवर के माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट रखा है वह मुझे स्वीकार है। बाद में भीलवाड़ा की सहाडा कॉन्स्टीट्युएन्सी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इन्क्वायरी का अमेंडमेंट रखा है वह तो इसमें इम्प्लाइड है, इसकी मुझे आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

इसलिये श्री बद्रीप्रसादजी द्वारा जो अमेंडमेंट रखा गया है उसे मैं स्वीकार करता हूं, बाकी के स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष—I am not able to understand what is the situation माननीय सदस्य जो अलवर से आये हैं उन्होंने तो स्वीकार कर लिया है। कि suo moto after enquiry........

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, बादमें उन्होंने कह दिया है कि यह रिडन्डेन्ट है।

श्री अध्यक्ष—(श्री शंभूसिंह को संबोधित करते हुए) क्या आप अपने अमेन्डमेंट को प्रेस करते हैं ? It is not very material.

श्री शंभूसिंह—Yes.

श्री जवानसिंह—Once it has been admitted.

श्री अध्यक्ष—This has been admitted by the mover of the amendment but not admitted by the treasury benches.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I will say like this कि जो एमेंडमेंट श्री बद्रीप्रशादजी ने रखा है उसको मूल रूप से मैं स्वीकार करता हूं लेकिन एमेंडमेंट में जो बातें उन्होंने कही है उनको स्वीकार नहीं करता।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा यह निवेदन है कि मैंने जो अमेन्डमेन्ट रखा था उसकी वजह यह थी कि तहसीलदार को हक होना चाहिये और यह प्रोसीजर होना चाहिये, वह व्यक्ति अपना हक एस्टेब्लिस कर सके और तहसीलदार जांच करके यह देखे कि वाकई गलती है या नहीं। अगर उसकी गलती हो तो उसको सजा मिलनी चाहिये। अलवर से आनेवाले सदस्य ने जो एमेन्डमेन्ट रखा था उससे यह मंशा पूरी हो जाती थी। माननीय अध्यक्ष, राजस्व मंत्री ने उसके एक हिस्से को मंजूर कर लिया है तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा प्रोसिजर नहीं हो सकता कि वे दूसरे हिस्से को नामंजूर करें। एक हिस्से को वे मन्जूर करें और दूसरे हिस्से को नामंजूर करें। अब स्थिति सदन के सामने यह है कि अलवर से आनेवाले सदस्य ने जो संशोधन रखा उस संशोधन के साथ में ओरिजिनल संशोधन भी सदन के सामने है। यह स्थिति हमारे सामने साफ होनी चाहिये कि एक संशोधन तो मंजूर कर लें और दूसरे संशोधन को ना मंजूर करें। इसलिये मत इस बात के लिये जावें कि ओरिजिनल संशोधन को मंजूर करते हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष—यदि आप इस प्रकार की टेक्नीकेलीटीज़ पर चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जावेगी। न तो यह अमेन्डमेंट मेरे पास आया और न लिखित रूप में आया है। It was accepted in the air and moved in the air.

श्री जवानसिंह—संशोधन सदन में मंजूर हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—Yes, I admit it.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, संशोधन को तो हमारे माननीय अ आने वाले सदस्य ने मंजूर कर लिया, यह तो ठीक है। फिर भी लेंग्वेज़ में कोई खराबी आती है तो

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

उसको सुधारना ही चाहिये। संशोधन मंजूर कर लिया उससे अगर कोई रिडन्डेन्ट वर्ड्स आ जाते हों तो ऐसी कोई गलत चीज़ हाउस में पास नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि इस बात को मेरे मित्र मंजूर करेंगे कि ये शब्द रिडन्डेन्ट हैं और "suo moto" की मंजूरी दी है तो इसका नतीजा यह होगा कि On enquiry he will do it.

श्री जवानसिंह—इन्क्वायरी कौन से शब्दों की तहत में होगी, आप जिसको प्रोज्यूम करते हैं। जरा वे शब्द तो मुझे बताने की कृपा करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—हर एक चीज़ की इन्क्वायरी होती है और जांच होने के बाद ही सरकार उसको मंजूर करती है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, प्रश्न यह है कि इसको फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की जा रही है।

श्री बद्रीप्रसाद—मैंने यह निवेदन किया कि यह क्लॉज़ है जिसमें तहसीलदार इन्क्वायरी करेगा। फिर भी मुझे इस अमेन्डमेंट को मानाने में कोई आपत्ति नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि अगर लेन्वेज में कोई खराबी होती है तो वह खराब की जावे और इसको मंजूर किया जावे।

There must be some enquiry. Every Government does that.

श्री अध्यक्ष—The Hon,ble members' attitude was that of a gentleman 's attitude. That was clear to the House.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्रीप्रसादजी के संशोधन के अन्तर्गत श्री शंभूसिंह जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन का संशोधन गिर गया।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

वापिस लेने की आज्ञा दी गई।

श्री जवानसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि श्री बद्रीप्रसाद ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १४४ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़, १४४ संशोधनानुसार विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १४५, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--In sub-clause (2) for the word 'looses' the word "loses' be substituted."

श्री अध्यक्ष—It is in the arrata. एरेटा में देखा ?

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४५ उस संशोधन के साथ जो एरेटा में दिया है विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४५, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १४६, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—My amendment is that at the end the words "and shall be liable to pay rent according to law" be inserted. They are deemed as a Khatedar tenant और गवर्नमेंट सरवेंट को खातेदारी राइट्स इसमें दिये गये हैं उनको रेन्ट देना लाजमी होगा।

Page No.60

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

अगर खातेदार बन जाते हैं तो उनको रेन्ट देना लाजमी हो जाता है। ऐसी बात का इसमें समावेश किया गया है।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १४३ में गैर खातेदार टिनेन्ट को सब क्लॉज़ (२) में उसी तरह के अधिकार दिये गये हैं और जब वे अधिकार खत्म हो जाते हैं तो उसका स्टेटस खातेदार टिनेन्ट का सा हो जाता है। यह एक ऐसी एनेलोजी है...

(अश्रव्य)

चूंकि वह मन्जूर किया गया है और अगर खातेदार टिनेन्ट को राइट्स दे देते हैं और यहां पर यह बात रखते हैं तो यह एक बहुत बड़ी विभिन्नता होगी।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, मैं इसका समर्थन नहीं करता। कारण इसका यह है, कि गवर्नमेंट सर्विस के सिलसिले में उनको जमीन दी जाती है, और जो जमीन गवर्नमेंट सर्विस के सिलसिले में दी जाती है वह उसके पास उसी वक्त तक रह सकती है जब तक वह सर्विस करता है और उसमें यह भी प्रोविज़न किया गया है कि अगर वह नौकरी नहीं करे तो क्लॉज़ १४३ में दिया हुआ है उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी और उसको इजेक्ट किया जा सकता है।

ऐसी सूरत में उनको खातेदारी राइट्स दिये नहीं जा सकते। सर्विस के सिलसिले में खातेदारी राइट्स कैसे दिये जा सकते हैं? हमने यह प्रोविज़न रखा है खातेदारी राइट्स देते हुए कि खातेदार टिनेन्ट को ट्रान्सफर कर सकता है। उसके इम्प्रूवमेंट और इन्हेरिटेन्स के भी राइट्स हैं। खातेदारी राइट्स देते हुए उसको वे राइट्स भी इपसो फेक्टो मिल जाते हैं। तो उसका मतलब यह भी होगा कि विलेज सर्विस के लिए चाहे यदि उसका लड़का काबिल होता है या नहीं, उसको जरूर खातेदार टिनेन्ट बनाना पड़ेगा। इसलिए उसको ज्यादा राइट्स नहीं दिये जा सकते। लेकिन एक सवाल आता है कि विलेज सर्विस खत्म हो गई और एक शख्स विलेज सर्विस कर रहा था, वह अब भी नौकरी करने के लिए तैयार है किन्तु नौकरी का मोका नहीं रह जाता। सर्विस तो उसको खत्म कर देते हैं। क्या किसी शख्स से किसी वजह से नौकरी नहीं ली जाती है तो क्या उसको बेदखल कर दिया जाय या उसको गैर खातेदार रखा जाय? तो ऐसे शख्स को जो बहुत समय से नौकरी कर रहा है और अब नौकरी नहीं ली जाती हो उसको प्रोवाइड करने के लिए खातेदारी राइट्स दिये गये हैं ताकि वह रेन्ट देता रहे। मैं समझता हूं कि इसमें कोई अनेमोली नहीं है। विशेष परिस्थिति के हेतु ही इसको रखा गया है।

मेरा दूसरा अर्ज करना यह है कि राइट्स दिये गये हैं उसमें यह है कि :

[श्री श्यामलाल गोयल]

"If the Collector declares that the services rendered by a village servant are no longer required, such village servant shall become a Khatedar tenant of the village service grant."

यह जो राइट्स कलेक्टर को दिये गये हैं, मैं यह समझता हूं कि इससे विलेज़ सर्विस वालों का ज्यादा हित होने वाला नहीं है। आज हम जानते हैं कि जागीरें रिज्यूम की जा रही हैं किन्तु जागीरों के रिज्यूम होने में अभी टाइम लगेगा, रिट पेश हो रही हैं, विलेज सर्वेन्ट्स को हटाया जा रहा है ऐसी इन्स्टान्सेज़ भी हमारे सामने आयी हैं। कलेक्टर की ओर से डिक्लेरेशन नहीं होगा। कलेक्टर रखा है वह ज्यादा रखा है। इसके लिये जरूर सोचने की जरूरत है कि कलेक्टर रहे या इसकी जगह तहसीलदार या और कुछ कर दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूँ कि इसमें 'कलेक्टर' शब्द के बारे में एतराज किया गया है। इसमें 'कलेक्टर' शब्द अवश्य रहना चाहिए क्योंकि हमें विलेज सर्विस की जरूरत नहीं है। इस बात का डिक्लिशन वह करके खातेदारी राइट्स को देने के अधिकारों का वही फैसला करेगा। इसलिये तहसीलदार वगैरह को ये अधिकार दिये तो उपयुक्त नहीं होगा। जो व्यवस्था इसमें की गई है वह उपयुक्त मालूम होती है।

इसके साथ अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट मूव किया है ऐसे अमेन्डमेन्ट के बिना भी इस क्लॉज़ से दूसरा अर्थ नहीं निकलता है। फिर भी उस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करने से इस क्लॉज़ का अर्थ और स्पष्ट हो जायगा, इसलिए मैं इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो सन्शोधन क्लॉज़ १४६ में श्री बद्रीप्रसाद ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४६, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज़ १४६, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

We now come to Chapter XII and there is an amendment for the deletion of the whole chapter by Shri Badri Prasad Gupta, from Clauses 147 to 150.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय अध्यक्ष : "My amendment is that Chapter XII be omitted."

इसकी वजह यह है कि चेप्टर १२ 'ग्रोव होल्डर्स' के विषय में डील करता है और इस सम्बन्ध में ग्रोव होल्डर्स पर जितनी लाएबिलीटी डालनी थी उसको एक्ट में अमेंड करके किया गया है। इम्प्रूवमेंट वगैरह मामलों में भी कई ऐसी बातें आई हैं कि ग्रोव होल्डर को जितनी लाएबिलीटी देनी थी वह दे दी गई। That has already been substituted in that. ऐसी सूरत में यह चेप्टर गैर जरूरी रह जाता है। इसलिये मेरे इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार किया जाय।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह संशोधन जो अभी प्रस्तुत किया गया है कि पूरे चेप्टर को डिलीट कर दिया जाय इस सम्बन्ध में मेरी राय मुखालिफ है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रोवहोल्डर को हमने जरूर मान लिया है कि वह खातेदार टिनेन्ट कहलायगा इस कानून के जरिये। लेकिन ग्रोव होल्डर का तल्लुक है जमीन से। जहां तक उस जमीन पर दरख्त उगाये जा रहे हैं और उससे पैदायश हो सकती है और उसका लगान देना पड़ेगा तो वह केवल दरख्तों से ताल्लुक रखता है। खातेदार टिनेन्ट का जमीन पर अधिकार रहता है। कोई फसल बोये और उससे किसी प्रकार से फायदा उठाये। यह उस खातेदार टिनेन्ट को उसकी जमीन को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है उस सम्बन्ध में लगान मुकर्रर किया गया है। अब सवाल यह आता है कि खातेदार टिनेन्ट के दरख्त किस प्रकार से काटे जावेंगे, किस प्रकार का बन्धन रखा जाय जिनकी तहत पेड़ों को काट कर बेच सकेंगे या नहीं या किस काम के लिये पेड़ काट सकेंगे। ये तमाम सुविधायें और बन्धन खातेदार टिनेन्ट पर रखें हैं। थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि खातेदार टिनेन्ट को केवल कॉमर्शियल यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर यूज़ के लिए दरख्त काटने का अधिकार होगा। तो फिर मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि ये अधिकार ग्रोव होल्डर को भी जरूरी है। ग्रोव होल्डर तमाम के तमाम उन पेड़ों की पैदायश करता है और चूंकि उस पर यह बन्धन लगा दिया जाय कि जहां तक सरकार की इजाजत वह हासिल नहीं कर लेता हैं वह पेडों को नहीं काट सकेगा क्योंकि वह उनको बेचना चाहेगा। तो मेरा खयाल है कि यह उस पर बड़ा भारी बन्धन होगा और जिस प्रकार से वह जमीन से फायदा उठाना चाहता है वह पेड़ों से फायदा नहीं उठा सकेगा। उस पर बहुत बड़ा यह बन्धन रहेगा, पेडों का मूल्य ज्यादा से ज्यादा आ सकता है। उस पर प्रतिबन्ध रहेगा कि वह वगैर

[श्री जवानसिंह]

सरकार की इजाजत के हासिल किये पेड़ों को काट सकेगा। तो यह उचित नहीं हो सकता है ग्रोवहोल्डर पर जो इस प्रकार के बन्धन लगाये हैं।

अगर पूरे चेप्टर को डिलीट कर लेते हैं तो जो प्रतिबन्ध खातेदार टिनेन्ट पर काश्त के लिए लगाये गये हैं वे कायम रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि ग्रोव होल्डर को भी यह अधिकार हो कि वह लकड़ी काट सके और बेच सके। ये अधिकार हम चाहते हैं कि ग्रोव होल्डर को रहे। इसलिए मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पहले की जो क्लॉज़ेज़ हमने पास की हैं उनमें पेडों को काट कर बेचने के लिए केवल डोमेस्टिक यूज़ के लिए खातेदार टिनेन्ट को अधिकार दिये हैं उन क्लॉज़ेज़ में दिये हुए अधिकारों को देखते हुए हम यह देख रहे हैं कि ग्रोव होल्डर्स के साथ हम न्याय नहीं कर रहे हैं।

मैं आशा करता हूं कि सदन इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर इस चेप्टर को इसी प्रकार रखेगा।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री जवानसिंहजी ने इस चेप्टर को रखने के लिये जो प्रस्ताव किया है मैं भी यही चाहता हूँ कि जिस वक्त इस चेप्टर को बिल्कुल डिलीट करने का संशोधन प्रस्तुत किया गया था उस वक्त प्रस्तावक महोदय स्पष्ट रूप से सदन के सामने यह बतलाते कि कौन कौन सी धाराओं को कौन से चेपटर में किस किस जगह प्रोवीजन्स दे दिये गये हैं ताकि सदन को यह मालूम पड़ता कि इस चेप्टर की आवश्यकता है या नहीं। और अगर ऐसा हो जाता तो शायद आपस में जो माननीय सदस्य को कहना पड़ा है या जो भाषण दे रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं रहती।

एक प्रश्न माननीय श्री जवानसिंह जी ने उठाया है वह है दरखतों के मुतल्लिक। दरखतों के लिए आपका कहना यह है कि खातेदार टिनेन्ट को सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज के लिये या डोमेस्टिक यूज़ के लिये दरखत काटने का अख्त्यार है अपनी खातेदारी जमीन से। तो आपका यह कहना है कि ग्रोव होल्डर की जमीन पर जहां काश्त नहीं होती है उसको राइट्स दिये जा चुके हैं वह दरखत काट सकता है और उसको बेच सकता है। मैं इसके लिये अर्ज करना चाहता हूं कि आज से पहले हम क्लॉज़ ६७ पास कर चुके हैं। ६७ का सब क्लॉज़ (७) जो है उसमें एक अमेंडमेंट प्रस्तुत किया जा चुका है। उस अमेंडमेंट की मंशा है कि जैसा कि माननीय श्री जवानसिंहजी का प्रस्ताव है उसके माफिक अमेन्डमेन्ट रखा जा चुका है उस अमेंडमेंट के अनुसार ग्रोव होल्डर्स को वही राइट दिये गये हैं जो राइट स्टेट गवर्नमेंट को है। उसको दरखत बेचने का, काटने का और नये दरखत लगाने का, जैसा कि क्लॉज़ १४७ में प्रोविजन है, वे पूरे अधिकार ग्रोव होल्डर्स को दिये गये हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जितने भी क्लॉजेज़ हैं उनको डिलीट करने का जो सवाल आया है उसके लिये मेरी प्रस्तावक महोदय से या माननीय मन्त्री से यह प्रार्थना है कि वे कम से कम यह तो

[श्री श्यामलाल गोयल]

बतलावें कि इनका प्रोवीजन अन्यत्र कहां कहां इस बिल में हो चुका है ताकि और कुछ हम कह सकें और सारी पोजीशन क्लीअर हो सके ।

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, इस १२वें चेप्टर को देखने से यह भी मालूम होता है कि इसमें ग्रोव होल्डर की एक खास परिस्थिति है और वह यह है कि जो वह दरख्तों को पैदा करता है उससे होने वाली आय का लाभ उठाता है। उसके साथ साथ उसके ऊपर लाइबिलिटी भी रखी है और आमतौर पर उसको खातेदारी के राइट्स हैं, वे एक्जीक्यूट किये गये हैं, एक्जीक्युशन डिक्री नीलाम वगैरह से हो सकेगी। उससे कोई भी डिग्री होल्डर फायदा उठा सकता है। जैसा कि चेप्टर १२ क्लॉज १४६ का है, उससे यह जाहिर होता है:

"(1) The interest of a grove-holder shall devolve according to the personal law applicable to him and"

"(2) Such interest shall be transferable by voluntary transfer or in execution of a decree or order or otherwise."

तो इस क्लॉज़ को देखने से यह भी पता लगता है कि एक्ज़ीक्यूशन ऑफ ए डिक्री इस प्रकार के जो राइट्स हैं ट्रान्सफर किये जा सकते हैं, जैसा कि अभी मेरे माननीय मित्र ने फरमाया और यह कहा कि वास्तव में इस चेप्टर को डिलीट करने के साथ यह साफ कर देना चाहिये ; इन तमाम प्रोवीज़न्स को दूसरी जगह किन किन स्थानों पर रखा है या अमुक २ धारायें हैं जिनके कारण यह डिलीट हो जाता है। अर्ज करने का यह मतलब है कि इस प्रकार के कोई प्रोवीज़न्स हैं भी या नहीं। इस सिलसिले में माननीय प्रस्तावक महोदय ने जो अमेंडमेंट रखा है वह उचित नहीं है। ग्रोव-होल्डर को अवश्य प्रोटेक्ट किया जाना चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, इस चेप्टर में जो तीन चार क्लॉज़ेज हैं इन तीनों चारों क्लॉज़ेज़ को हम पढ़ते हैं तो हरेक क्लॉज़ के पढ़ने से यह मालूम पड़ता है कि यह दूसरे क्लॉज़ेज़ से संबन्धित है और जहां जहां दूसरे क्लॉज़ेज़ में राइट्स दिये गये हैं वे इनमें भी दिये गये हैं। जैसा कि हमारे माननीय मित्र ने कहा अगर इन क्लॉज़ेज़ के जो प्रोवीज़न्स हैं वे प्रोवीजन्स दूसरे क्लॉज़ेज़ में कर दिये गये हैं तो सारा का सारा चेप्टर रिन्डडेन्ट हो जाता है। मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि जहां इन प्रोवीजन्स को लगाना था वहां एड कर दिया गया और उस तरह से अमेंडमेंट भी कर दिये गये। ट्रीज़ के बारे में रेस्ट्रिक्शन जो इस बारे में, वही राइटस ग्रोव-होल्डर को भी है, जो राइट्स स्टेट गवर्नमेंट को हासिल हैं। ट्रीज़ के बारे में रेस्ट्रिक्शन क्लॉज़ १४७ में लागू होता है:

"(1) Notwithstanding anything contained in Chapter VII a groveholder may cut and sell trees and may replant as they are cut or die."

तो जब इसमें प्रोवीजन है अब इसमें यह रखा गया है वह इस क्लॉज़ ६३ में कर दिया गया है, इसलिये ये सारी की सारी धारायें रिडन्डेट हैं इनको रखने की जरूरत नहीं।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

इम्प्रूवमेंट्स की जो धारायें है वहीं ग्रोव होल्डर के इम्प्रूवमेंट्स के बारे में प्रोवीज़न रख दिया गया है। इसलिये इम्प्रूवमेंट का क्लॉज़ भी रिडन्डेन्ट है। क्लॉज़ १४९ में यह कहा जाता है:

"Devolution and transfer of interest of a groveholder shall devolve according to the personal law application to him."

जब कि हम इस चेप्टर को सारे के सारे को रिमूव कर रहे हैं और दूसरी जगह इन क्लॉज़ेज़ को रख दिया गया है तो ग्रोव-होल्डर के लिये कोई स्पेशल प्रोवीजन रखने की जरूरत नहीं। जब हमने उसको नोट ट्रान्सफरेबल नहीं रखा तो वह अपने आप ट्रान्सफर हो सकता है। जब इसमें किसी किस्म की Sale पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है तो इसके पोज़ीटिव सेक्शन सारे बिल में मौजूद हैं। जब हम निगेटिव सेक्शन नहीं लगाते हैं तो वे पोजीटिव कायम रहेंगे। पोजीटिव प्रोवीजन्स के बाद में निगेटिव नहीं रखे गये हैं क्योंकि फिर इसकी जरूरत नहीं रहती।

क्लॉज़ १५० इस प्रकार है:—

"(1) While the land continues to be grove land a grove-holder shall be liable to ejectment only on any of the ground mentioned in section 129 and the provisions of sections 118, 119, 120, 121........."

और उनका इजेक्टमेंट का चेप्टर जिसको हम डिलीट करने वाले हैं उसमें ग्रोव होल्डर को रखा जाने वाला है। उनको दूसरी जगह प्रोवाइड किया जा सकता है। उसको यहां रखना अक्लमन्दी की बात नहीं होगी। मैं इसलिए इसका अनुमोदन करता हूं।

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—माननीय अध्यक्ष, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ग्रोव होल्डर की अलग डेफिनिशन क्यों रखी है। खातेदार की डेफिनिशन में उसको भी शुमार कर लेते तो क्या नुकसान होता ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्योंकि वह दूसरी किसी डेफिनेशन में नहीं आता है। पहली जगह ग्रोव होल्डर को राइट्स दे दिये हैं और फिर यहां वही राइट्स दिये जा रहे हैं तो यह रिडन्डेन्ट है सारा का सारा चेप्टर।

श्री श्यामलाल गोयल—ये जो डिवोल्युशन और ट्रान्सफर के राइट्स दिये गये हैं ये कौन कौन से सेक्शन्स में दिये गये हैं ? यह थोड़ा और खुलासा हो जाय तो अच्छा हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं स्पष्ट कर दूं कि ग्रोव होल्डर की डेफीनिशन जो है वह चेन्ज हो चुकी है और इसमें आपने ग्रोव होल्डर को खातेदार मान लिया है। इससे ओटोमेटिकली यह प्रश्न हल हो जाता है।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—इसमें एक और दिक्कत है। मेरा पोइन्ट दूसरा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि जैसे कोटा में ग्रोव होल्डर की यह पोजीशन है कि वहां वह एक मुश्त नजराना देकर २०-३० साल की लीज पर एग्रीमेंट पर ले लेता है और फिर उसका रेन्ट नहीं लेता है। तो इस कानून में उसकी क्या पोजीशन होगी? अगर इसका अलग चेप्टर नहीं होता तो उन पर लेण्ड रेवेन्यू फिर लगेगा या नहीं। अगर लगेगा तब तो एक साथ जो उन्होंने बीस या तीस साल का नजराना दे दिया है उसका क्या होगा और अगर नहीं लगा तो इसके लिए एक अलग चेप्टर की आवश्यकता होगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि यह तो डिफरेन्ट एग्रीमेंटस की बात है। अगर पहले से ही लेण्ड लीज़ पर ले ली है तो इससे तो वह वेराइ नहीं करेगा। इसके साथ साथ इसकी जो डेफिनेशन स्वीकार की गई है वह अर्ज कर दूं कि :

"Grove-holder shall mean, so long as a grove retains its character, Khatedar tenant or holder of "khudkasht, who has a grove in whole or a part of his holding and has got it registered with the Tehsildar."

यह डेफीनिशन हम पहले स्वीकार कर चुके हैं। इसमें डीवोल्यूशन और ट्रान्सफर वगैरह जो आते हैं वे इससे गवर्न हो जाते हैं।

श्री श्रीदास गोयल—क्लॉज २३ का क्लेरिफिकेशन हो जाना जरूरी हो जाता है। आप ने फरमाया लीज़ पर लिया गया है। यह लीज पर नहीं पर कोटा में ऐसा नजराना देकर खरीदा गया है। ऐसी हालत में लगान दिया जाता है तो उन पर ज्यादती हो जाती है। ऐसा एग्रीमेंट वहां है। जो वहां का नजराना देकर खेतों में बन्धे हुये हैं उनको अगर रेन्ट चार्ज किया जाता है तो उनके खिलाफ यह पड़ेगा तो वह कोई पक्की टर्म पर या लीज पर नहीं है, पर्मानेन्टली दी हुई है। permanently named as Bila Nami, not only for a fixed period, What will be the fate of such crops?

अगर उनको खातेदार मान लिया जाता है तो यह फिर क्यों नहीं बिना लगान ही माना जावे। उसमें फसल करें या पेड़ लगावें, कुछ भी करें, इसमें फिर क्या फर्क है। What will be the difference! That I want to know.

श्री अध्यक्ष—I want to ask one thing, although I am not entitled to take part in the discussions. If this chapter on Grove holders is kept, pending will the problem be solved? What the Hon' ble Member has to say.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—The point is this. If this Chapter is retained then we would like to bring in an amendment to keep this provision.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि इस तरह का अमेंडमेंट न सदन के सामने है और न इस चैप्टर में इस प्रकार का जिक्र ही है। वह तो नई बात है। वह तो एग्रीमेंट से डील होने वाली चीज होगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—रेन्ट वाला चेप्टर जो है जब वह आवेगा उस वक्त इसकी चर्चा आने वाली है। ऐसे जमीनें हैं जिन पर लगान न लिया जावे। वहां रेन्ट फिक्स किया जाता है।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—मैं यह बतला दे चाहता हूं ना कि यह एग्रीमेंट का सवाल नहीं है। बन्दोबस्त में भी इस प्रकार का प्रोवीजन रखा गया है। कई काश्तकारों के साथ कोई सेप्रेट एग्रीमेंट नहीं होता है, न हुआ ही है। बन्दोबस्त की मन्शा यह है कि वह चाहे तो अपनी आरजी खेती में बाग लगावे, चाहे तो वह २० टाइम्स नजराना देकर बाग लगा सकता है और खेती भी करे तो बिना लगान डिक्लेअर कर दिया जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह तो और ही चर्चा का विषय बन गया जो इस क्लॉज़ से सम्बन्धित नहीं है। अगर अमुक क्लॉज़ से अमुक रहट चला जाता हो तब तो बात दूसरी है।

श्री वेदपाल त्यागी—यह ग्रोव होल्डर का जो चैप्टर है उसे उडा दिया जाय। अब किसी कोवोनेन्टिंग स्टेट पर लागू है वह तो उसको आप किसी और जगह सुरक्षित नहीं रख सकते। यह सुरक्षित रखने का सवाल है। इसलिये उन्होंने फरमाया कि अमेन्डमेंट पेश करना चाहते हैं। यह ठीक है कि कोटा में इस तरह के खातेदारी राइट्स दिये गये थे। अगर बीस साल का नजराना देकर फ्री रेन्ट करार दे सकते हैं तो इससे तो पुश्तैनी हक हो जाता था, वह उसमें बाग लगाकर भी फायदा उठा सकता है और फसल अगर करे तो रेन्ट नहीं देना पड़ता है। अगर ग्रोव होल्डर के लिए चैप्टर में प्रोवीजन नहीं रहेगा तो इस प्रकार का कोई प्रोवीजन इन्ट्रोड्यूस नहीं किया जावेगा।

श्री श्यामलाल गोयल—क्लॉज़ १४६ है......

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—आपने क्वेश्चन रक्खा था?

श्री श्यामलाल—यह छोटा सा है, क्लॉज़ १४६ का सब क्लॉज़ (२) इस प्रकार है:

(2) "Such interest shall be transferable by voluntary tranrsfer or in execution of a decree or order otherwise."

[श्री श्यामलाल गोयल]

यह खातेदार टिनेन्ट का तो राइट नहीं है। क्या ग्रोव होल्डर्स के लिए यह प्रोविजन अन्यत्र कर दिया गया है ? अगर नहीं, तो ऐसे प्रोविजन को रखने की जरूरत होगी। वरना खातेदार टिनेन्ट को तो ट्रान्सफर के कम राइट्स हैं।

इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह बतला दिया जावे कि क्लॉज़ १४९ की सब क्लॉज़ (२) का इस एक्ट में प्रोविजन कर दिया है या नहीं, नहीं तो इस चैप्टर का रक्खा जाना जरूरी होगा या इसके पर्टिक्यूलर सैक्शन को ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने चैप्टर बारह को ओमिट करने का एक सुझाव पेश किया है वह वास्तव में बिलकुल सही है।

डेफीनिशन का चैप्टर जिस वक्त इस-सदन में डील किया जा रहा था उस वक्त माननीय श्री बृजसुन्दर जी की तरफ से एक तरमीम पेश हुई थी और वह थी ग्रोव होल्डर की डेफीनिशन के बारे में और वह इस किस्म की थी कि जब तक ग्रोव अपना करेक्टर कायम रक्खे तब तक ग्रोव होल्डर वही शख्स समझा जावेगा और उसको वे ही अधिकार प्राप्त होंगे जो खातेदार टिनेन्ट के हैं। ऐसी सूरत में जो मौजूदा चैप्टर १२ है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ४ सैक्शन्स हैं; १४७, १४८, १४९ और १५०।

१४७ का जो सैक्शन है उसकी तरमीम क्लॉज़ ६३ में कर दी है जो सदन ने स्वीकार कर ली। इस तरह क्लॉज़ १४७ बिल्कुल बेकार हो जाता है।

१४८ का सैक्शन यह है :

"A grove-holder may make any improvement which a Khatedar tenant may make and the provisions of Chapter V1 shall apply to him as if he were a Khateder tenant."

तो वह डेफीनिशन में ही शामिल कर लिया गया है। इसलिये क्लॉज़ १४८ भी रिडन्डेन्ट हो जाता है।

अब १४९ वां क्लॉज़ यह बतलाता है:

"(1) The interest of a grove-holder shall devolve according to the personal law applicable to him.

(2) Such interest shall be transferable by voluntary transfer or in execution of a decree or order or otherwise."

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

खातेदार टिनेन्ट होने की वजह से खातेदार टिनेन्ट को भी जो इन्टरेस्ट्स हैं वे भी पर्सनल लाइन पर ही डिवोल्व होते हैं, इसलिये सबक्लॉज़ (१) का डिफरेन्ट नहीं होता। सब क्लॉज़(२)में यह अधिकार दिया गया था कि उसका इन्टरेस्ट जो है वह सेलेबल है और वालन्टरी ट्रान्सफर की भी पर्मिशन दी गई थी पर जो तरमीम की गई है इससे साफ प्रकट है कि अब इसका इन्टरेस्ट जो सेलेबल था वह रोका गया है और न वह किसी डिक्री में एग्ज़ीक्यूट होगा जैसा कि खातेदार टिनेन्ट का नहीं हो सकता क्योंकि इसकी परिभाषा खातेदार टिनेन्ट के माफिक रक्खी है। इसलिये क्लॉज़ १४९ की सब क्लॉज़ (२) की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। उनको तो बेचने का अधिकार दिया जावे और दूसरों नहीं दिया जावे यह गलत चीज़ होगी जब कि क्लॉज़ ६३ के माफिक पेड़ों को बेचने का, बगैर किसी अड़चन के अधिकार दिया गया है। उसलिये यह १४९ वां क्लॉज़ भी बेकार हो जाता है, क्योंकिः

"(2) Such interest shall be transferable by voluntary transfer or in execution of a decree or order or otherwise."

लेकिन जैसी की हमने तरमीम इस कानून में की है उनकी विचार धारा को देखते हुए ग्रोव होल्डर का इन्टरेस्ट भी वॉलन्टरी सेल से ट्रान्सफर नहीं किया जाना चाहिये इसलिये खातेदार टीनेन्ट को अख्तियार दिया जावे कि इस रूप में इसको ट्रान्सफर नहीं किया जा सकता। इस तरह दफा १४९ भी बेकार हो जाती है।

अब क्लॉज़ १५० इजेक्टमेंट ऑफ ग्रोव होल्डर है इसमें लिखा है :

"Ejectment of grove-holder. (1) while the land continues to be grove land a grove-holder shall be liable to ejectment only on any of the grounds mentioned in section 129 and the provisions of sections 118, 119, 120, 121 and 122B..."

and all these clauses deal with ejectment.

तो जो खातेदार टेनेन्ट के इजेक्टमेन्ट के प्रोवीजन्स हैं वे के वे प्रोवीजन्स ग्रोव होल्डर के इजेक्टमेंट के लिए रखे गये हैं। क्लॉज़ १५० की भी ऐसी स्थिति है। सारी की सारी जितनी दफाएं हैं उनका समावेश दूसरे सेक्शन्स में कर लिया गया है। खातेदार टिनेन्ट बनने के बाद में कोई ऐसी बात बाकी नहीं रह जाती है कि जिससे यह चेप्टर कायम रखा जाय। यह सारा चेप्टर रिडन्डेन्ट है। यानी जो ओमीशन के लिए सुझाव माननीय श्री बद्रीप्रसादजी ने दिया है वह सही है और इस चेप्टर को ओमिट कर दिया जाय।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १४९ के सिलसिले में यह स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि जो माननीय प्रस्तावक महोदय ने यह प्रस्ताव रखा है तो उन्होंने केवल यह कहा था कि जितने भी प्रोवीज़न्स हैं वे दूसरे स्थानों पर इसी एक्ट में आ चुके हैं इसलिये केवल यही कारण

[श्री श्रीदास गोयल]

बतलाते हुए उन्होंने डिलीट करने के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन अभी हमारे नीम के थाने से आने वाले माननीय मित्र ने यह कहा कि क्लॉज़ १४६ के सब क्लॉज़ (२) को हम डिलीट करना इसलिए जरूरी समझते हैं कि खातेदार टिनेन्ट्स के जो अधिकार हैं वे पूरे अधिकार ग्रोव होल्डर्स के हैं। इस दृष्टि से और ऐसी हालत में जो क्लॉज़ २३ है वह लागू हो जाता है लोन वगैरह के सिलसिले में उनको पूरा प्रोटेक्शन मिल जाता है। यह जो नई दलील आपने दी है यह एक दम नई दलील है। ग्रोव होल्डर के सिलसिले में किसी ने नहीं कहा है। खातेदार टिनेन्ट और ग्रोव होल्डर दोनों की परिस्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। खातेदार टिनेन्ट को काश्तकार की हालत में जमीन में काश्त करते हुए उसके साथ में खास तौर से कन्सेशन दिया गया है। उन कन्सेशन्स को, उन जेनेरोसिटीज़ को कहां तक ग्रोव होल्डर के मामले में लागू करना और कहां तक नहीं करना है, यह एक समस्या है, यह एक विचाराधीन प्रश्न है। जो कुछ इस सिलसिले में मेरे माननीय मित्र ने अभी सुझाव दिया है कि क्लॉज़ १४६ की सब क्लॉज़ (२) में ग्रोव होल्डर को तमाम प्रोटेक्शन दिये हैं, इस दृष्टि से कि खातेदार टिनेन्ट्स को दिये हैं इसलिये इनको डिलीट करना चाहिए। मैं इससे विथ ड्यु रेस्पेक्ट थोड़ा विरोध करता हूं और वह इसलिए डिफर करता हूँ कि ग्रोव होल्डर्स अपना स्पेशल स्थान रखते हैं। वह फलदार और दूसरे वृक्ष लगाने के लिए और अधिक से अधिक वृक्षों को लगाने के लिए प्रोत्साहित हों, ग्रोव होल्डर्स उनको दिया करते हैं। जगह जगह वृक्ष हुआ करते हैं उन लोगों के लिए सेलिंग करने के लिए प्रश्न पैदा नहीं होता है। किसी के पास ६० एकड़ या ३० एकड़ के होते हैं। जिनसे लाखों की, हजारों की आमदनी हो सकती है, आम वगैरह दूसरे कीमती वृक्ष लगा कर। तो इस प्रकार से उनको प्रोटेक्ट करने के लिये सोचते हैं। उनके वास्ते लाएबिलीटीज़ रेन्ट वगैरह को या कर्जे वगैरह के सम्बन्ध में, लोन वगैरह के सम्बन्ध में ऐसी लाएबिलीटीज़ के वास्ते प्रोटेक्शन देकर क्लॉज़ २३ के अन्दर शील्ड करना जरूरी हो जायगा। इस क्लॉज़ में जो खातेदार टिनेन्ट को प्रोटेक्शन दिया गया है वह ग्रोव होल्डर को स्पेशल परिस्थितियों के कारण नहीं दिया जाना चाहिये, नहीं तो बहुत अनुचित बात हो सकती है। उनको भी यह नुकसान होगा कि वह डिस्करेज होंगे लोन वगैरह के लिये, ग्रोव वगैरह लागने के लिए। ऐसी स्थिति में जो कुछ कहा है कि क्लॉज़ १४६ के सब क्लॉज़ (२) को डिलीट करना चाहते हैं, बड़े सरल सरल शब्दों में कह गये हैं। खास रीज़निंग इस सिलसिले में कोई नहीं दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इस चेप्टर में दूसरी क्लॉज़ेज़ के साथ इस क्लॉज़ के सब क्लॉज़ (२) की स्थिति को खास तौर से ध्यान में रखते हुए कृपया स्पष्टीकरण करेंगे और दुबारा विचार करेंगे कि वास्तव में कहां तक दुरुस्त रहेगी जो कि माननीय नीम के थाने से आने वाले मित्र ने कहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय चेयरमेन, अभी जो सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ग्रोव होल्डर्स की स्पेशल पोज़ीशन बतलाते हुए इस चेप्टर को कायम रखने के लिए जो उसूल और सिद्धान्त की बातें कहीं कि ग्रोव होल्डर्स की एक स्पेशल पोज़ीशन है और वह अपने दरख्त लगाते हैं। उनको लोन मिलने में खातेदारी राइट्स के देने में सहूलियत नहीं रहेगी

Page No.71

[श्री नाथूराम मिर्धा]

और उनको जो खातेदार की जमीन में जिस तरह डिग्री से बचाने का प्रोटेक्शन दिया है वह उन्हें मिलना चाहिये। यह जो बातें दलील में दी गई हैं मेरे ख्याल से यह इसलिये कि इस समय यह बात कहना जरूरी नहीं है जब कि आवश्यक बातें, जैसा कि माननीय कपिलदेव अग्रवाल, जो कि नीम के थाने से आने वाले सदस्य हैं, ने तमाम बहस की। उस बहस के दौरान में क्लॉज़ बाई क्लॉज़ जो इसके क्लॉज़ेज़ हैं उनको किस तरह से अलग अलग टिनेन्सी बिल की अलग अलग दूसरी क्लॉज़ेज़ में जोड़ दिया गया है। उनको जोड़ने के बाद सारी क्लॉज़ेज़ को हम पास कर चुके हैं। इस हाउस में सारी क्लॉज़ेज़ पास हो चुके हैं तो इस स्टेज़ पर यह सवाल उठाना कि स्पेशल तरीके से उनके हक कायम रहेंगे जब कि यह चेप्टर कायम रहेगा, यह बहुत लेट है। कोई स्पेशल पोज़ीशन, ऐसी डिफीकल्टीज़ उन ग्रोव होल्डर्स को नहीं आने वाली है। उनकी सारी बातों का समावेश अलग अलग क्लॉज़ेज़ में इस टिनेन्सी बिल में अलग अलग जगह हो चुका है। ऐसी सूरत में उनका वह सजेशन स्टेज के बाहर है। जो कुछ उन्होंने (श्री कपिलदेव अग्रवाल ने) कहा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय चेयरमेन, यहां इस क्लॉज़ के मुतल्लिक जो कुछ कहा गया है मैं समझता हूँ कि इसमें एनेमोलीज़ पैदा हो सकती हैं। उन एनेमोलीज़ को बिल्कुल ही नहीं सोचा गया है। खातेदार को सबलीज़ करने के २, ४ या ५ साल के अधिकार हैं। खातेदार अपनी जमीन को सब लीज़ पर इससे ज्यादा पर नहीं दे सकता है लेकिन एक ग्रोव होल्डर...

श्री सभापति—शायद आप पहले बोल चुके हैं।

श्री श्यामलाल गोयल—पहले मैंने सिर्फ एक्स्प्लेनेशन ही पूछे थे, इस क्लॉज़ पर नहीं बोला था।

श्री सभापति—यह आउट ऑफ ऑर्डर होगा कि पहले एक्स्प्लेनेशन दें।....

श्री श्यामलाल गोयल—मैंने तो सिर्फ स्पष्टीकरण चाहा था। लेकिन जहां तक मूल क्लॉज़ है इस पर बोला नहीं। अगर इजाजत दे दी जाय तो बोल दूं।

श्री सभापति—अच्छा बोलिये।

श्री श्यामलाल गोयल—तो इसमें एनेमोलीज़ बहुत पैदा होगी। एक ग्रोव लेन्ड है, उसमें दरख्त हैं और वे फलदार दरख्त हैं, आम के हो सकते हैं, संतरे के हो सकते हैं, नीबू के हो सकते हैं, दूसरे के हो सकते हैं। अगर आप खातेदार टिनेन्ट रखते हैं तो उसका मतलब है कि वह पांच साल तक उसको सबलीज़ कर सकता है और उस पांच साल के बाद ग्रोव होल्डर का फर्ज होगा कि जितनी भी फसलें होंगी वे खुद ही काटे और खुद ही सींचे। वह सबलीज़ नहीं कर सकता है

Page No.72

[श्रीश्यामलाल गोयल]

जिस वक्त वह क्लॉज़ेज़ पास हो रहे थे तो यह चेप्टर बदस्तूर मौजूद था इसलिए उस वक्त अमेन्डमेन्ट पेश करना जरूरी नहीं मालूम हुआ था। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उस वक्त ट्रान्सफर और एग्ज़ीक्युशन के इस चेप्टर में यह स्पेशल प्रोवीज़न्स थे इसलिये हमने वहां अमेन्डमेन्ट पेश करने की जरूरत नहीं समझी। अब यह कहा जाता है कि जिस वक्त वह क्लॉज़ेज़ डिस्कस हुई थीं उस वक्त अमेन्डमेन्ट पेश करना चाहिये था। यह मैं समझता हूं कि न्यायोचित बात नहीं है। एक प्रोवीजन यहां पर खास तौर से अगर हम अमेन्डमेन्ट के द्वारा बढ़ाते तो यह कहा जाता कि यहां पर ग्रोव होल्डर का चेप्टर है उसमें वह प्रोवीजन है। हम यह प्रोवीजन रखवांना चाहते हैं वहां। यह न्याय संगत नहीं है। ग्रोव होल्डर के लिये एक स्पेशल पोजीशन है और हर जगह स्पेशल अख्त्यार दिये गये हैं तो वह पोजीशन यहां से हटा देना न्यायोचित नहीं है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि जो प्रोवीजन ऑलरेडी आ चुका है, जिनके लिये हम नहीं कहते हैं कि उन प्रोविज़न्स को यहां पर रखवायें। एक स्पेशल स्थिति पैदा कर दी गई है और स्पेशल प्रोविज़न्स क्लॉज़ १४६ के सबक्लॉज़ (२) में बढ़ जाने के मुतालिलक प्रोविज़न्स को स्पेसीफिकली रखा जाना चाहिये। कम से कम इस क्लॉज़ को रखा जाना चाहिए। बाकी को डिलीट कर दें तो इसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन्स नहीं है।

यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि समय समय पर इस सदन में जो अमेंडमेंट्स पेश हुए हैं उन पर माननीय सदस्यों ने एतराज किया है कि ये प्रोविजन्स दूसरी जगह पर आ गये हैं इसलिये यहां नहीं आने चाहिये। लेकिन यह कहकर कि दुबारा आ जायं तो कोई हर्ज नहीं है, इनको रखा गया। आज भी यही हुआ। यह थोड़ा डुप्लीकेशन है लेकिन इससे ग्रोव होल्डर्स के राइट्स स्पष्ट होते हैं तो इनको रखा जाय तो कोई हर्ज नहीं। मैं कहता हूं कि ग्रोव होल्डर के जो राइट्स है वे १४६ (२) में रखे गये हैं, वे जरूर रखे जाने चहिये। इसलिये मैं कम से कम यह विरोध करता हूं कि यह क्लॉज़ डिलीट नहीं होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (डि० नं० १६)—माननीय उपाध्यक्षजी, सदन के समक्ष चेप्टर १२ को हटाने का प्रश्न है कि इस चेप्टर को हटाया जाय या नहीं। इस संबंध में हमको यह विचार करना पड़ेगा कि राजस्थान में ग्रोव होल्डर की परिस्थिति क्या है। खातेदारों की परिस्थिति क्या थी और इस कानून के पास होने के बाद किस प्रकार की परिस्थिति उनकी बनेगी? यदि इस दृष्टिकोण से हमने इसको हटाने के संबंध में विचार किया तो मैं समझता हूं कि हम इस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुँचेंगे और हमारे सामने यह बात आयगी कि राजस्थान में ग्रोव्ज को बढ़ाने की आवश्यकता है तो हमें उनको इस प्रकार के अधिकार देने पड़ेंगे जो शायद खातेदारों से ज्यादा हों, लेकिन इस मेन्टेलिटी को encourage करने वाले हों जिसकी वजह से ग्रोव्ज ज्यादा से ज्यादा हों, उसकी चेष्टा करें। जिन्होंने इस चेष्टा को हटाने का प्रस्ताव किया है और उसके लिये जो दलील दी है वह इस तरह की है कि जो क्लॉज़ इस चेप्टर में हैं उनका समावेश दूसरी जगह हो जाता है इसलिये उनको यहां रखने की आवश्यकता नहीं है। अन्य महानुभावों ने यह दलील दी कि जो विशेष अधिकार मिलने वाले हैं उन पर कुठाराघात

[श्री भैरूसिंह]

होगा और मैं भी यही समझता हूं कि यदि इस प्रकार का चेप्टर जिस प्रकार का कि ओरिजिनल बिल में है उसको हटाया गया तो उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो इस कोशिश में हैं कि राजस्थान में जल्दी से जल्दी ग्रोव्ज की उन्नति हो, उनकी चेष्टाओं में निराशा होगी। हम यह मानलें कि खातेदारी राइट्स उनको मिलते हैं तो दो दलीलें आपके सामने रखता हूं। एक तो यह कि खातेदारी राइट्स वालों को ट्रान्सफर के राइट्स दिये गये हैं, लेकिन वे इनके लिये रेस्ट्रिक्टेड हैं और दूसरा प्रश्न है पेडों का। यदि ग्रोव होल्डर के सामने यह दिक्कत आवे कि आम के पेड जो उसने लगाये हैं वे किसी बीमारी या रोग के कारण एक साथ बेकार हो गये हैं और बेकार हो जाने की सूरत में उसके सामने सिवाय इसके दूसरा कोई चारा नहीं है कि वह उन पेड़ों को जल्दी से जल्दी कटावे और उनके स्थान पर दूसरे पेड लगावे। लेकिन आप की कोशिश यह हैं कि जिस प्रकार के खातेदार को अधिकार दिये हैं इसी और जो बंधिश रखी है उसके अनुसार ग्रोव होल्डर के लिये यह लाजमी हो जाय कि वह तहसीलदार से परमिशन ले कि वे पेड़ डोमेस्टिक काम में नहीं आते हैं। उन पेडों को काटने के बाद वे और किसी काम के नहीं हैं, सिवाय इसके कि उनको बाजार में जाकर बेचा जाय लकड़ी के रूप में। इसमें दिक्कत तहसीलदार के सामने यह आयगी कि इजाजत दें या न दें। इस दिक्कत को दूर करने के लिये ग्रोव होल्डरखुद को पेड़ काटने और नये लगाने की इजाजत होनी चाहिये।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—That has already been given

श्री कपिलदेव अग्रवाल—वह खुद क्लॉज़ ६३ के तहत काट सकता है।

श्री भैरोंसिंह—लेकिन गवर्नमेंट ने अड़चन रखी है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—गवर्नमेंट की और से कोई अड़चन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—यदि गवर्नमेंट की अडचन नहीं है तो विशेष अधिकार दिये गये है। जो अमेंडमेंट श्री कपिलदेवजी ने रखा था उनके वर्डिंग्ज़ को देखेंगे तो क्लियर मतलब समझ में आ जायगा। उसमें लिखा है कि :

"Notwithstanding anything contained in Chapter VII,. a groveholder may cut and selltrees and may replant trees as they are cut are die."

इस प्रकार की स्पष्ट चीज़ अमेंडमेंट में नहीं है।

यदि यह मान लिया जाय कि इस प्रकार से पेड़ काटने का अधिकार ग्रोव होल्डर को है तो दूसरी दिक्कत है ट्रान्सफर के संबंध में। खातेदारी राइट्स दिये हैं उनमें ट्रान्सफर के rights रेस्ट्रिक्टेड हैं और यह आवश्यकता सामने आती है कि ग्रोव होल्डर को भी ऐसे अधिकार दिये जावें जिन में किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिये। मेरी यह राय है कि यदि हमें ग्रोवholders को ज्यादा एन्करेज करना है, यदि हमें ग्रोव्ज़ की संख्या बढ़ानी है, यदि ऐसी स्प्रिट पैदा करनी है तो जितने न्यायोचित अधिकार ग्रोव होल्डर को दे सकते हैं उतने देने चाहिये। ग्रोव्ज का मतलब यह

Page No.74

[श्री भैरोंसिंह]

है कि आज पेड़ लगाते हैं तो कोई ६ महीनों बाद उसका फायदा होता है। इस प्रकार की भी ग्रोव्ज़ होती हैं कि ६ साल तक उन पर बेगार करनी पड़ती है, पैसा लगाना पडता है और पैसा लगाने के बाद भी यदि पेड़ खराब हो जाय, रोग लग जाय या रिटर्न उतना नहीं हो जितना कि इन्वेस्टमेंट किया गया है, खर्चे को रिटर्न मीट नहीं कर सके और इस कारण से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाय तो ग्रोव को पूरी तरक्की देने के लिये आवश्यकता पड़ेगी धन की और धन-प्राप्त करने के लिये दूसरा कोई उपाय नहीं है, सिवाय इसके कि जमीन बेचकर धन लावे या रहन रखकर धन लावे या और किसी साधन से पैसा लगाकर ग्रोव की तरक्की करे। इस प्रकार की सुविधा ग्रोव होल्डर को देनी चाहिये। यदि खातेदारी राइट्स के साथ उन पर बंधन डालेंगे तो इंप्रूवमेंट या तरक्की नहीं हो सकेगी और जो ग्रोव्ज पहले ही से कम हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ सकेगी। आज आवश्यकता यह है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रोव्ज बढ़ें। ज्यादा से ज्यादा ग्रोव्ज़ होल्डर हों, इस बात की आवश्यकता को समझते हुए जितने अधिक अधिकार, न्यायोचित अधिकार दिये जा सकें दिये जाने चाहिये। प्रमुख अधिकार यह होता है कि ट्रान्सफर करने का अधिकार ज्यादा हो और आवश्यकतानुसार ट्रान्सफर कर सके, ऐसा अधिकार हो। यदि यह समझा जाय कि ऐसा अधिकार देंगे तो उसका दुरूपयोग होगा, तो यह समझ की भूल होगी। जो व्यक्ति ज्यादा पैसा खर्च करेगा कि उसका ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हो वह यह कोशिश कैसे करेगा कि इसको बेच दे। जिनको पेड़ों के साथ प्रेम हो जाता है, उनके साथ जिनका संबन्ध हो जाता है उसका विच्छेद वे कभी नहीं करना चाहते। इस पर भी यदि हम यह समझें कि उनको बेचने का अधिकार हुआ तो वह उस अधिकार का दुरूपयोग करेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह हमारे समझ की भूल है। ऐसा समझने वालों को ग्रोव्ज की स्थिति को सामने रखकर समझना चाहिये। इसलिये मैं कहूँगा कि इस चैप्टर को रखा जाय। इस प्रकार का चैप्टर यू. पी. टिनेन्सी एक्ट में भी है। वे चीजें जो खातेदारी से संलग्न हैं वे भी हैं और स्पेशल राइट्स भी हैं। स्पेशल राइट्स का अलग चेप्टर है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको इसी हालत में रखा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—इस चैप्टर के क्लॉज़ १४७ के सब क्लॉज़ (५) के बाबत मेरा एक अमेंडमेंट है जो मैं पेश करना चाहता हूं वह; यह है :

"Delete sub-clause (5)."

श्री वेदपाल त्यागी—वह अमेंडमेंट तो तब पेश किया जा सकेगा जब पहले यह तय हो जायगा कि इस चैप्टर को रखा जाय या नहीं। जब यह निर्णय हो जाय कि इस चैप्टर को ही रखने की जरूरत नहीं है तो इस अमेंडमेंट पर विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि यह चैप्टर रखा जाता है तो बाद में यह अमेंडमेंट भी आ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष— अभी तो इस पर जनरल डिस्कशन हो रहा है, अमेंडमेंट की बात तो बाद में आयगी।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—(जारी) इसको ओमिट करने के बाबत जो अमेंडमेंट दिया है उसके खिलाफ मुझे यह अर्ज करना है जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि कोटा जिले में बागात लगाने, जिसे कि ग्रोव होल्डर कहते हैं, की विशेष स्थिति है। उसको देखते हुए इस चैप्टर को डिलीट कर दिया जायगा तो वहां के ग्रोव होल्डर की स्थिति है, उनके वहां बागात लगाने का तरीका जो चलता आया है, उसमें बड़ी बाधा आ जायगी। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस चैप्टर को डिलीट नहीं किया जावे और इसे बदस्तूर रखा जावे।

श्री श्रीराम गोयल—मेरा यह सुझाव है कि अगर चेप्टर १२ को डिलीट किया जा रहा है तो क्लॉज़ १४७ नया एड करके तरमीम कर दी जाय और उसे : "Transfer of an interest" कर दिया जाय। यह तो इसका हैड नोट है।

"Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act, the interest of a grove-holder shall be transferable by voluntary transfer or in execution of a decree or order of a Court or otherwise."

यह एक नया क्लॉज़ इसमें एड हो जाय १४७ के नाम से क्योंकि चैप्टर १२ अगर डिलीट होता है तो चंद क्लॉज़ेज़ डिलीट करने पड़ते हैं; क्लॉज़ेज़ १४७,१४८ १४९ और १५० डिलीट होते हैं। तो क्लॉज़ १४९ के सब क्लॉज़ (२) में है कि वह इन्ट्रेस्ट को ट्रान्सफर कर सकता है, इसमें गड़बड़ी नहीं होगी और दूसरी मंशाएं है वे भी पूरी हो जाती है और अगर ग्रोव होल्डर के नाम से चैप्टर रहता है, १४७ रह जाता है तो अधिक ठीक रहेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, प्रश्न मूल में यह है कि क्या हम ग्रोव होल्डर को खातेदार टिनेन्ट से वर्स्ट पोज़िशन में रखना चाहते हैं या उसको उसी पोज़िशन में रखना चाहते हैं जो पोज़िशन कि एक खातेदार टिनेन्ट की है।

हमने पीछे जो क्लॉज़ेज़ पास किये हैं उनमें खातेदार टिनेन्ट को इतने अधिकार दिये हैं कि खातेदार टिनेन्ट अपनी जमीन में ग्रोव लगा सकता है और लगाने के बाद जब तक पेड हैं वह ग्रोव होल्डर की तरीफ में आयेगा। अगर यहां यह रख देते हैं कि उसके इन्ट्रेस्ट का किसी डिक्री के एग्जीक्यूशन में सेल हो सकता है, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा; इस तरह प्रोवाइड कर देते हैं तो खातेदार टिनेन्ट से उसकी पोज़िशन खराब हो जायगी क्योंकि इसमें कोई सेफ नहीं रही। एग्जीक्यूशन सेल करने से उसको सेफ नहीं रहेगी, और इस तरह उसकी बदतर हालत हो जायगी और इस तरह कोई भी खातेदार टिनेन्ट आगे जाकर पेड नहीं लगायेगा और उसकी पोज़िशन इससे खराब होगी। अगर हम ग्रोव्ज़ को एनकरेज करना चाहते हैं तो ग्रोव होल्डर की पोज़िशन खातेदार टिनेन्ट से किसी कदर कम नहीं रखनी चाहिये। ग्रोव होल्डर की डेफिनिशन के बारे में मैंने तरमीम पेश की थी और उसमें मेरी दलील यह थी कि ग्रोव होल्डर की परिभाषा रूप में टिनेन्ट मान लिया जाना चाहिये और उसको हाउस ने माना है, ग्रोव होल्डर को टिनेन्ट माना है।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

तो इसकी पोज़िशन को ज्यादा खराब करना मेरे खयाल से उचित नहीं होगा। जब डेफिनिशन में ग्रोव होल्डर को खातेदार टिनेन्ट मान लिया है तो जो कुछ खातेदार टिनेन्ट के राइट्स हो सकते हैं वही इसके भी होने चाहिये। ट्रान्सफर, सेल, मोर्टगेज और एग्जीक्यूशन आदि के बारे में भी अगर उसके विपरित करते हैं तो हम अब तक जितनी डेफिनिशन पास कर चुके है उसके खिलाफ जायगें। वह डेफिनिशन जो है वह इस प्रकार है:—

"Grove-holder" shall mean, so long as a grove retains its character, a Khatedar tenant or holder of Khud- kasht who has a grove in whole or a part of his holding and has got it registered with the Tehsildar."

अगर हम इसके विपरीत आगे जाकर चेप्टर में स्पेसिफिक प्रोविजन्स रखते हैं कि ग्रोव होल्डर इन इन बातों में खातेदार टिनेन्ट नहीं माना जायगा, तो यह बिल्कुल गलत बात होगी। पर ज्यादा सुविधा जनक तरीका यह होगा कि ग्रोव होल्डर को वही अधिकार दिये जायं जो खातेदार टिनेंट को हासिल हैं; तो फिर जो ये क्लॉजेज़ १४९ व १५० आदि हैं वे रिडन्डेन्ट हो जाते हैं। इसलिये इस चेप्टर की आवश्यकता नहीं है। अगर मूलभूत सिद्धान्त मानते हैं कि ग्रोव होल्डर को भी वही संरक्षण दिया जाय जो कि खातेदार टिनेन्ट को दिया गया है तो इस चेप्टर को डिलीट कर दिया जाना चाहिये।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, अभी मेरे माननीय मित्र बृससुन्दरजी ने फरमाया कि जब हम ग्रोव होल्डर को खातेदार टिनेन्ट के बराबर पॉवर दे रहे हैं तो फिर ग्रोव-मैनों को प्रोत्साहन देने के लिये अलग चेप्टर क्यों रखा जाता है?

हम लोगों की ख्वाहिश है कि ग्रोव लैंड की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि खेती की। किसी हालत में हम चाहते हैं कि फलों के वृक्ष और इस तरह के ओर्चार्ड्स होने चाहिये। तो ऐसे स्थानों को प्रोत्साहन देने के लिये, ज्यादा ओर्चार्ड्स लगाने के लिये कहो कहीं तो ग्रोव होल्डर्स को खातेदार टिनेन्ट से भी ज्यादा सुविधाएं देनी होंगी। रीयल सेंस में देखा जाय तो ओर्चार्ड्स ज्यादा जल्दी फायदा नहीं पहुँचाते जितना कि खेती जल्दी फायदा पहुँचाती है। पर ओर्चार्ड्स आगे जाकर ४-५ वर्ष में जाकर फायदा पहुँचाते हैं।

चेप्टर अलग रहना इसलिये आवश्यक हो जाता है कि ग्रोव होल्डर को खातेदार टिनेन्ट से भी ज्यादा सुविधा देनी होगी। तो मैं नहीं समझ सकता कि उस तरफ बैठे हुए सदस्यों को अलग चेप्टर रखने में क्या एतराज हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा यह एतराज हो सकता है कि यह फिजूल होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि नुक्सान भी इससे कुछ नहीं होगा। रिडेन्डेन्ट अगर है तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत इस तरह की रिडन्डेन्ट बातें भी होनी चाहिये।

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

मैं तो फिर निवेदन करूंगा कि थोड़ी बहुत रिडन्डेन्सी भी हो तो वह रहने दी जाय और इस वक्त कोटा की स्थिति के बारे में ध्यान दिलाया गया था; बगीचे हैं, फल हैं, वे इस चेप्टर में आ सकते हैं। ऐसी सूरत में ग्रोव होल्डर का चेप्टर अलग होना आवश्यक है।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष, बहुत देर से इस पर विचार चल रहा है कि आया ग्रोव होल्डर के लिये टिनेन्सी बिल में अलग चेप्टर रखा जावे या नहीं। मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह से विचार प्रकट किये गये हैं उनसे यह समझा जाता है कि उनको खातेदार के हकूक नहीं मिलेंगे। मैं समझता हूँ कि यह सोचने का तरीका गलत है। मैं तो यह कहूंगा कि खातेदारी राइट्स के अलावा कुछ ज्यादा हकूक मिलने चाहिये तब जाकर उनको कुछ प्रोत्साहन मिलेगा। जब उनको प्रोत्साहन मिलेगा तभी वे लोग बाग लगावेंगे। कोटा में उनको बहुत सहूलियतें थीं, तभी वहा पर इतने बाग देखते हैं। उनसे लगान नहीं लिया जाता था, जिसका नतीजा यह है कि वहां आज बागात बहुत नजर आते हैं। बागात के लिये मैं कुछ कह कर आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं यह कहूंगा कि बागात कितना जरूरी है और राजस्थान जैसे मुल्क में जहां सब जगह सूखा ही सूखा पड़ा है। अगर वृक्ष लगाये जावेंगे तो वे हमारे रेगिस्तान को रोकने के लिये भी बहुत कारगर होंगे इसलिये हमें उनको न केवल वेही हकूक दिये जाने चाहिये जो खातेदारों को दिये जाते हैं बल्कि उससे भी ज्यादा हकूक दिये जाने चाहिये और वे तभी दिये जावेंगे जब आप उनको कानून में रख देंगे। खातेदार के लिये सब-लेटिंग के लिये कई रेस्ट्रिक्शन्स लगाये हुए हैं और अगर वे रेस्ट्रिक्शन्स ग्रोव होल्डर के लिये भी लगा दिये जाते हैं तो उनको बहुत मुसीबत हो जावेगी। अगर उनके लिये ५ साल का प्रतिबन्ध लगा दिया जावे तो उनको बहुत मुश्किल होगी। ५ साल में नतीजा यह होगा कि जो कुछ उन लोगों ने पिछले सालों में मिहनत उस बागात पर की है वह सब ५ साल में बरबाद हो जावेगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे न केवल ग्रोव होल्डर के चेप्टर को रिटेन करें बल्कि उनको यह हक दिया जावे, जो कि कोटा रियासत में दिये गये हैं ताकि कोटा की सी स्थिति पैदा हो और बड़ेबड़े बागात लगाये जावें। इससे लाभ न केवल उनको ही होगा बल्कि सारी पब्लिक को व देश को भी होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं रखा जावे जिससे ग्रोव होल्डर को इसमें बाधा हो। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसको रिटेन किया जाना बहुत जरूरी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्ष, इस चेप्टर को डिलीट करने के सम्बन्ध में काफी चर्चाएं हुई है। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी यह मंशा नहीं है कि उनको एनकरेज नहीं किया जावे या इस प्रकार का कोई क्लॉज़ रखा जावे जिससे कि उनके हक पर कोई असर हो। इस प्रकार की बहुत सी बातें हमारे सामने आई हैं। मैं यह समझता हूं, जो एमेन्डमेंट इस पर आये हैं, उन पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया जावे और बाद में इन अमेंडमेंट्स पर विचार किया जावेगा। फिलहाल ये स्थगित कर दिये जावें तो ठीक होगा।

श्री उपाध्यक्ष—इसको मुल्तवी किया जावे।

क्लॉज़ १५१, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ १५१ पर मेरा अमेंडमेंट यह है:
"In item (iv) of sub-clause (I) the words 'rent free grantee or' be omitted." क्लॉज १५१ में इजारदार और ठेकेदारों को जो हकूक दिये गये हैं एक्सरसाइज़ेबल हैं; सब क्लॉज़ (१) (२) (३) और (४) में दिये गये हैं। वे एक्सरसाइज नहीं करेंगे। सब क्लॉज़ (४) में यह दिया गया है:

" (iv) right to sue a rent free grantee or a grantee at a favourable rate of rent under the provision of Chapter XI." मैंने यह अमेंडमेंट रखा है "rent free grantee" को हटा दिया जाय। इसकी वजह यह है कि रेन्ट फ्री ग्रान्टी के खिलाफ दावा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि वह रेन्ट देता ही नहीं। इसलिये मैंने यह अमेंडमेंट रखा है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि बद्रीप्रसादजी गुप्ता ने जो अमेंडमेंट रखा है, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉज़ १५१ पर किसी को कुछ कहना है क्या ?

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, मुझे कुछ कहना है। सब क्लॉज़ (१) में यह है:

(i) "the right to sue for the enhancement of rent or the ejectment of a tenant." इसमें इजेक्टमेंट ऑफ टीनेन्ट के लिये प्रतिबन्ध लगाया है वह नहीं होता तो अच्छा होता। दूसरा एक शख्स है ठेकेदार, उसको कोई जमीन ठेके पर दी गई ३० वर्ष के लिये। एक शख्स उस जमीन पर काश्त करता है और लगान नहीं देता और बराबर लगान नहीं देता है १० या १५ वर्ष से नहीं देता। क्या वह उसको इजेक्ट नहीं कर सकता ? आप जब एक ठेकेदार को जमीन देते हैं तो आप उसको एक ऐसी परिस्थिति में डाल देते हैं कि टीनेन्ट उसको लगान नहीं देता। मगर आप तो उससे पूरे ठेके के पैसे ले लेते हैं। अगर आप उसको यह राइट नहीं देते कि वह दूसरे को बेदखल करा दे तो उसको बहुत नुक्सान होगा। यह जो प्रतिबन्ध इजारदार और ठेकेदार पर हैं वे बहुत खराब है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मित्र ने जो अभी बातें कहीं वे तो संभव नहीं क्योंकि ठेकेदार को जमीन ठेके पर दी हुई है। अगर वह शख्स जो उसमें काश्त करता है और उसका लगान नहीं देता तो ठेकेदार को हक है कि वह दावा करके उससे रकम वसूल कर सकता है। उसको इसी वजह से इजेक्टमेंट का हक नहीं दिया गया है। ठेकेदार को तो रकम से मतलब है। वह दावा करके रकम वसूल कर सकता है। वह टीनेन्ट ठेकेदार का टीनेन्ट नहीं है। वह उस जमीन पर पहले से टीनेन्ट है और उस पर काबिज रह सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५१, एज़ एमेन्डेड, बी एक्सेप्टेड।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५१ संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया

(विराम)

क्लॉज़ेज़ १५२, १५३ (ए), १५४, १५५ १५५-ए

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ १५२, १५३, १५३ ए, १५४, १५५ व १५५ ए विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ १५२ से १५५ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

चेप्टर १४, क्लॉज़ १५६, इस पर भी कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—चेप्टर १४ जो है वह प्रोसिजर एण्ड जुरिसडिक्शन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स के बारे में है। कम्पन्सेशन वाले चैप्टर को पोस्टपोन कर दिया गया था। उस सम्बन्ध में पहले बातचीत कर ली जाय और उसके पश्चात् ही इसको लेना चाहिए। जो सबस्टेन्टिव प्रोविज़न्स बिल के बाकी रह गये हैं, उन पर निर्णय होजाने के बाद ही इन पर निर्णय लेना चाहिए। इजेक्टमेन्ट के बारे में अलग प्रेस्क्राइब कर दिया गया था। माननीय उपाध्यक्ष, मेरा सुझाव है कि चैप्टर १४ को रहने दिया जाय और जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स है उन पर निर्णय होना बाकी है। अतः पहले उनको लिया जाय ताकि अलट्रावायर्स न हों।

Page No.80

श्री श्रीदास गोयल—कभी कभी सुझाव वाजिबही आते है, इसलिए इसे मंजूर ही करना चाहिए।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—कभी कभी का क्या मतलब ?

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Let us take Chapter on Ejectment. Page 48.

श्री उपाध्यक्ष—चैप्टर १० इजेक्टमेंट ।

(विराम)

११६ (ए) पास कर दिया था ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह पोस्टपोन ही रहने दिया जाय और क्लॉज १२२ ले लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—Clauses 116 and 121 are postponed

क्लॉज़ १२२, श्री कपिलदेव अग्रवाल ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १२२ में मेरे तीन चार साधारण से अमेंन्डमेन्ट्स हैं जिनसे इस सेक्शन की भावना में परिवर्तन तो नहीं आता है, किन्तु भाषा की जो खराबी है उसको दूर करने का प्रयत्न किया गया है ।

पहला अमेंन्डमेंन्ट तो यह है कि "In sub-clause (I), before the words 'proceed in the following man ner', the words 'determine the value of such crops or trees and' be added."

तो यह होगा कि "If on the date of the delivery of possession pursuance of a a decree or order for ejectment of a tenant, there exist on the holding any ungathered crops or any trees vested in the tenent, the court, executing the decree or order, shall determine the value of such crops or trees and proceed in the following manner...

दूसरा 'ए' में सिर्फ यह अमेन्डमेन्ट है कि "In item (a) of sub-clause (1) omit the the words 'the' at the beginning of line 4."

ग्रेमेटिकली 'the' फिट नहीं होता है, इसलिए अमेंड करने का सुझाव रखा है ।

प्रोविज़ो यह लगा हुआ है कि ;

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

"provided that no trees shall be cut and removed by a tenant and he shall be not liable to ejectment until his claim for compensation as decreed by the Court has been satisfied."

इसकी जगह ग्रेमेटिकली यह होना चाहिए कि:

"nor shall he liabee to ejectment until his claim for compensation as decreed by the Court has been satisfied."

और क्योंकि अब जो अमेंडमेंट पेश किया है वह क्लॉज़ १२२ (ए) में डिटर्मिन करेगा इसलिए क्लॉज १२२ का सब क्लॉज़ (२) बेकार हो जाता है।

"(2) On an application made by the tenant of the landholder, the court executing the decree or order of ejectment may determine the value of the crops or trees and the compensation payable by the tenant under the provisions of clause (b) of sub-section (1)."

क्लॉज़ १२२ (ए) के अमेंडमेंट से यह बात ऊपर आ गई है, इसलिए इसे ओमिट कर दिया जाना चाहिए।

ये सारे साधारण से अमेंडमेंट हैं जो क्लॉज़ १२२ में कोट किये गये हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई सिद्धान्त का प्रश्न नहीं है। ये तो सिर्फ भाषा को ठीक करने के लिए ही अमेंडमेंट पेश किये गये हैं, इसलिए इनको पास किया जाना चाहिए।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज़ १२२ में प्रोविजो है कि :

"Provided that no trees shall be cut and removed by a tenant and he shall not be liable to ejectment until his claim for compensation as decreed by the Court has been satisfied."

तो मेरा अर्ज करना यह है कि इसमें लफ्ज लिखे हैं, "as decreed". लेकिन अगर क्लॉज़ १२० को हम देखें तो पता चलेगा कि उसमें यह है कि :

"A court ordering ejectment of a tenant from his holding or any part there of shall, if the tenant claims compensation for any improvement made by him and the claim is found to be admissible, assess the amount of compensation due to the tenant on account of such improvement."

तो क्लॉज़ १२० में डिक्री के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। उसमें जो प्रोविजन है, उसके अनुसार कम्पेन्सेशन को असेस किया जायगा और यहां पर यह आया है कि :

[श्री श्यामलाल गोयल]

"until his claim for Compensation as decreed by the Court has been satisfied."

तो जब कि कम्पेन्सेशन की कोई डिक्री नहीं होती है उसका सिर्फ असेसमेंट होगा और जो असेस्ड अमाउन्ट है, वही दिया जायगा ऐसी हालत में यहां जो डिक्रीड शब्द है वह मुनासिब नहीं मालूम होता है। इसके बजाय असेस्ड होना चाहिए ताकि पहले जो वर्ड आया है, उससे कौरस्पोन्ड हो जायगा और आयन्दा दिक्कत न होगी और जिस तरह से कम्पेन्सेशन का असेसमेंट होगा उसी प्रकार असेस्ड हो जायगा। यह मेरा सुझाव है। इसको मंजूर कर लिया जाय तो ठीक होगा।

श्री उपाध्यक्ष—अमेंडमेंट आप लिख कर दें।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १२१ में यह लिखा हुआ है:

"If the compensation determined under the foregoing section exceeds the amount recoverable from the tenant as arrears of rent, whether decreed or not, on account of the holding together with costs, if any, the decree order for ejectment shall be conditional on the payment of the balance due to the tenant within such time as the Court may direct."

तो प्रश्न यह है कि जिस वक्त कोर्ट से इजेक्टमेंट की डिक्री आती है या कन्डीशन्स आती हैं, इतना कम्पेनसेशन तो वाजिब हो गया है। इसलिए आपका यह कहना कि डिक्री नहीं, सही नहीं है। कोर्ट क्लॉज़ १२० की तहत एक अमाउन्ट असेस करता है और क्लॉज़ १२१ में डिक्री देता है इजेक्टमेंट की। इजेक्टमेंट के लिये कोर्ट फैसला देता है या ऑर्डर देता है कि यह कम्पेन्सेशन का पेमेंट करेगा लेन्ड होल्डर या उस टिनेन्ट को। जहां कम्पेन्सेशन का अमाउन्ट क्लॉज़ १२० में असेस किया गया है। यह 'असेस' शब्द सही नहीं है, डिक्रीड सही है। इसलिये मेरा कहना है कि डिक्रीड और ऑर्डर शब्द सही है। जो वर्डिंग्ज हैं वे ही सही हैं।

श्री गोपीलाल यादव—उपाध्यक्ष महोदय, 'डिक्रीड' जो शब्द है वह गलत है, असेस ठीक है। अभी जैसा कि मेरे मित्र ने कहा "If any the decree or order for ejectment..."

इजेक्टमेंट के लिए जहाँ कम्पेन्सेशन का सवाल है वहां कोई डिक्री नहीं That is assessed.

"If the compensation determined under the foregoing section..."

वह कम्पेन्सेशन डिर्मिटन किया गया 'decreed' नहीं।

Page No.83

[श्री गोपीलाल यादव]

इस क्लॉज़ में पहले यह था 'whether decreed or not' शब्दों को हटा दिया गया है और इसको मौजूद रखा गया है। इस कम्पेन्सेशन की जो डिक्रीटल अमाउन्ट है वह तय की जायगी। कोर्ट डिक्री की तहत में डिटर्मिन करेगा। डिक्री हो जाने के बादकम्पेन्सेशन असेस कर सकता है। उसमें एरियर ऑफ रेन्ट का अमाउन्ट भी शामिल है और कुछ एरियर्स भी बकाया पड़ा हुआ है:

"Provided that no trees shall be cut and removed by a tenant and he shall not be liable to ejectment until the claim for compensation as decreed by the Court has been satisfied."

तो कम्पेन्सेशन का कोई डिक्री या सूट नहीं था। सूट तो इजेक्टमेंट का था। कन्वे न तो कोर्ट द्वारा असेस किया है कि इसका इतना कम्पेन्सेशन है, डिक्री का तो सवाल ही नहीं है। या तो 'assessed' or 'determind' शब्द रख लें या 'claim for compensation as determined by court' or 'as assessed by Court" शब्द रख लें, लेकिन 'डिक्रीड' शब्द ठीक नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्ष, जैसा कि संशोधन रखने वाले माननीय सदस्य ने स्पष्ट किया १२१ वें क्लॉज़ में जो शब्द कार्म में लिए गये उनमें से इन शब्दों को हटा के बाद में लिखा हुआ है :

"On account of the holding together with costs, if any, the decree or orders for ejectment......"

डिक्री की गुन्जाइश और रेफरेन्स वहां पर मौजूद है और 'डिक्रीड' शब्द यहां पर भी है। इसके होने से कोई गलती नहीं होगी यह तो उपयुक्त है। अत: इन शब्दों को यहां रहनेदेना चाहिये। अत: नीमके थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री श्रीराम गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ १२२ के सिलसिले में अभी माननीय श्री कपिलदेवजी ने जो कुछ अपना अमेंडमेंट रखा और उस पर माननीय मित्र ने कुछ सुझाव रखा। यह लीगल फ्लॉ है या नहीं इस सिलसिले में माननीय मंत्रीजी ने कुछ फरमाया है। जैसा कि इजेक्टमेंट का चेप्टर है बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रोवीज़न्स आ गये हैं। क्लॉज़ १२२ का उन आगे के क्लॉज़ से बहुत सम्बन्ध रहता है। इसलिए इस पूरे चेपटर पर पूरी गंभीरता के साथ जबतक विचार न कर लें क्लॉज़ १२२ को पास न किया जाय। माननीय उपाध्यक्ष इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस क्लॉज़ को पेन्डिंग रख दिया जाय।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक तरमीम का प्रश्न है वहां तक मैंने इस सदन में अपनी तरमीम रख दी है। क्लॉज़ १२२ का असर यह है कि एक टिनेन्ट जिसके

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

खिलाफ बेदखली की डिक्री हुई है उसको दो अधिकार हैं, पहला तो यह कि वह आकर प्रोटेस्ट करे कि उसको इम्प्रूवमेंट्स की कीमत बेदखली होने से पहले दी जाय।

इसके अलावा अगर इसके काश्त की कीमत और पेड़ की कीमत भी लगाई जावे और अगर इसके लगाने के बाद वह रकम उसके एरीयर ऑफ रेन्ट से ज्यादा है तो इसमें यह प्रोवीजन रक्खा गया है कि इसका डिफरेन्स लैंड होल्डर को कर दे और उस टीनेन्ट को इजेक्ट कर दिया जावे। तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे इस सारे एक्ट के प्रोवीज़नों के विपरीत है। अगर एक टीनेन्ट पर पांच सौ रुपयों की डिक्री है और अगर उसकी काश्त की कीमत और उसके पेड़ों की कीमत सात सौ रुपये हैं तो यह जरूरी नहीं कि लैंड होल्डर उसको २००) रुपये दे और वह इजेक्ट हो जावे।

मेरी गुजारिश यह है कि ऐसी स्थिति में लैंड होल्डर सात सौ रुपये ले सकता है उस फसल से और पेड़ों से तो दो सौ रुपया वापिस लौटा दे फिर टीनेन्ट बेदखल क्यों होगा! तो जो प्रोवीजन १२२ में है वह यह कहता है कि...

"If on the date of the delivery of possession in pursuance of a decree or order for ejectment of a tenant, there exist on the holding any ungathered Crops or any trees vested in the tenant, the court executing the decree or order shall determine the value of such crops or trees and proceed in the following manner ...."

After the amendments I am reading, Sir ;

"(a) If after deducting the compensation, if any, assessed under Section 120 the amount due from the tenant is equal to or greater than the value of such crops or trees, the court shall deliver possession of the holding to the landholder and all rights of the tenant in such crops or trees shall pass to the landholder.

(d) If after deducting the compensation, if any, assessed under section 120, the amount due from the tenant is less than the value of such crops or trees, and

(i) the landholder pays the difference between such amount and such value to the tenant, the court shall deliver the possession of the holding to the landholder and all rights of the tenant in such crops or trees shall pass to the landholder, or

(ii) the landholder does not pay such diffeence, the tenant shall have

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

a right of tending, gathering or removing such crops, paying such compensation for the use and occupation of land as the court may fix.

Provided that no trees shall be cut and removed by a tenant and he shall not be liable to ejectment until his claim for compensation as decreed by the court has been satisfid."

तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक टीनेन्ट के ट्रीज़ की और क्रोप की कीमत एरियर ऑफ रेन्ट से ज्यादा है तो डिफरेन्स पे करेगा टीनेन्ट को और टीनेन्ट को इजेक्ट कर देगा ? डिफरेन्स पे करने तक तो ठीक है पर इजेक्ट क्यों कर देगा ? उसको यह राइट तब नहीं होना चाहिये कि वह टीनेन्ट से उसकी प्रोपर्टी ले ले। मेरे ख्याल से यह तो बड़ा सख्त प्रोवीजन है। तो जो क्लॉज़ १२२ में रखा गया है.......

एक माननीय सदस्य—उसका आप घोर विरोध करते हैं ?

कपिलदेव अग्रवाल—घोर विरोध की तो स्थिति में मैं नहीं हूँ। इस पर कोई संशोधन नही रखा गया है इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इसको विचारार्थ डेफर कर दिया जावे ताकि इस पर फिर पूरी तरह से विचार किया जा सके क्योंकि अगर इस क्लॉज़ को आप पास कर देंगे तो एक बड़ी गलती होने की सम्भावना है जैसी कि हमने ११६ ए को पास करके की है जिसमें हमने लिख दिया है कि क्लॉज १२७ के अलावा डिक्री एक्वायर नहीं हो सकती। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी एरियर ऑफ रेन्ट की डिक्री उस काश्तकार के सिवाय इजेक्ट के और तरह से वसूली नहीं हो सकती, जो हमारे सही सिद्धान्तों के विपरीत आकर पड़ता है। इसलिए ऐसी बात न करें जिससे कोई बड़ी गलती हो जाने की सम्भावना हो।

ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ यह कि क्लॉज़ १२२ जो है डिफर कर दिया जावे तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री मोहनलाल सुखाड़िया से) आप भी डेफर करना चाहते हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जो दलिल इस क्लॉज़ को डेफर करने के लिए दी और इसके पहले संशोधन प्रस्तुत किया उसके बाद में उनको यह कहना कि यह क्लॉज़ ही बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाता है।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

इसका कारण वे यह बता रहे हैं कि जैसे किसान को बेदखल करने को डिक्री दे दी गई है तो उसके बाद में उस किसान के जो कुछ इम्प्रूवमेंटट्स उस खेत पर किए हुए हैं और जो कुछ काश्त उसकी उस जमीन पर खड़ी है या दरख्त खड़े हैं उन दरख्तों की जो कीमत है या उन सारे इम्प्रूवमेंट्स की जो सारी कीमत है उस सारी कीमत को मिलाकर अगर डिक्री से ज्यादा है तो लैण्ड होल्डर उस डिफरेन्स को चुका दे और तब किसान को जमीन छोड़नी पड़ेगी। यह उनकी समझ में बेजा बात है।

देखने में यह सारी चीज एबसर्ड और बेजा दीखती है पर, इसके बारे में एक बिल्कुल सीधी सी बात कहना चाहूँगा कि जिस आदमी के खेत की, दरख्तों की, क्रॉप की और जिसके इम्प्रूवमेंट्स हैं जमीन में उनकी कीमत इतनी है कि एरियर ऑफ रेन्ट की डिक्री करने के बाद में जो उस डिक्री की अमाउन्ट है उससे ज्यादा पड़ती है तो ऐसी सूरत में कभी बेदखल होने का और एरीयर ऑफ रेन्ट के चढ़ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा।

वह किसान जिसके पास में रूपया देने की ताकत है और उसको अगर इस बात का डर है कि रूपया होते हुए भी या अपनी केपेसिटी के मुताबिक बाहर से उधार लाकर भी एरियर चुका सकता है तो कभी वह ऐसी नौबत नहीं आने देगा कि वह रूपया पहले न चुका सके और जबर्दस्ती से अपनी जमीन का मोह छोड़ने के लिये बाध्य किया जा सके। अगर उसको मोह हो तो वह उसे छोड़ने के लिए इतनी सारी कार्यवाही भी करावे, अदालतों में जावे और कम्पेन्सेशन भी तय करावे, यह सारी कार्यवाही वह करावे तो यह सब तो वह तभी करावेगा जबकि उसे जमीन से मोह न रह गया हो और स्वयं बेदखल होकर और अपने इम्प्रूवमेंट्स का कम्पेन्सेशन लेकर जाना चाहता हो। अगर उसको जमीन से मोह होगा तो वह यह नौबत कभी नहीं आने देगा। अगर उसे मोह होगा तो वह कहीं से लाकर भी दे देगा चाहे उस समय उसके पास न भी हो तो। वह ऐसी नौबत कभी नहीं आने देगा, रूपया देने की केपेसिटी में रहते हुए वह ऐसी नौबत कभी नहीं आने देगा।

इसलिए मैं जो कुछ सुन और समझ सका हूं सदस्यों की बहस से, उस पर यह निष्कर्ष निकाल सका हूँ कि उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो उनका जो कुछ डर है वह थियोरेटिकल बात का है, यह कभी प्रेक्टिकेबल नहीं होगी। इसलिए ऐसी सूरत में यही अगर उनकी दलील है तो मैं समझता हूं कि यह काफी नहीं है और कतई ठीक नहीं है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मिर्धा साहब की बात से तो मैं काफी प्रभावित हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया----मैं समझता हूं कि जो अमेन्डमेंट मूव किया गया है उसके अलावा इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसे पास किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री कपिलदेव ने प्रस्तुत किया है क्लॉज़ १२२ पर वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२२, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२२, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १२२ ए, श्री कपिलदेव।

श्री कपिलदेव—माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज़ ए में सब क्लॉज़ (डी) में सिर्फ मेरा इतना सा संशोधन है कि :

"(d) The recorded numbers of the holding and of each field..."

The words 'and of each field' be deleted;

दी वर्ड्स 'and of each field' डिलीट कर दिये जावें। इसमें कोई खास बहस की आवश्यकता नहीं है और मैं समझता हूँ कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि नोन के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है मामूली शब्दों के हेर फेर का है और उसे स्वीकार करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १२२ ए पर श्री कपिलदेव अग्रवाल ने प्रस्तुत किया वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

Page No.88

[श्री उपाध्यक्ष]

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२२ ए, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १२२ ए, संशोधित रूप में, विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १२२ बी, श्री कपिलदेव।

श्री कपिलदेव—माननीय उपाध्यक्षजी, इसमें सिर्फ मार्जिनल नोट नहीं है। यह हैडिंग और इसमें एड कर दिया जावे यह मैंने सुझाव दिया है।

"Tenants not to be ejected from residential houses."

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इतना लम्बा कहने के बजाय १२२ वें में जो नोट था ओरिजिनल में वही रख दिया जावे। "Immunity from ejectment from residential houses."

श्री कपिलदेव—इसमें तो है ही नहीं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—ऊपर देखिये आप।

'Immunity from ejectment......" यह तो है शोर्ट! अब इसके बजाय इतना लम्बा आप लेना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि जो डिलीट कर दिया गया है पहले वाला वह शोर्ट रहेगा। वही रख दिया जाना चाहिये।

श्री कपिलदेव—इसमें मुझे विशेष ओब्जेक्शन नहीं होगा। पर सिर्फ वर्ड इम्युनिटी के बारे में शंका है कि इससे इधर उधर के माने न लगा लिये जावें। वैसे यह भी ठीक हो सकता है। मुझे इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—'इम्युनिटी' के माने वही लगाये जावेंगे कि जो आप चाहते हैं।

"Tenant not to be ejected......"

[श्रीजसवन्तसिंह]

सिर्फ चेन्ज ऑफ शेप आप रखना चाहें तो रख सकते हैं।

श्री कपिलदेव—कुंवर साहब का यह सुझाव बुरा नहीं है। I accept it.

(हंसी)

I am the mover of the amendment and I have got every right to accept the amendment moved by......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(राजस्व मंत्री)— I have got no other option but to accept the amendment moved by Shri Kapil Deo Agrawal. I agree with the amendment. Of course now this has already been approved. So the position would be that instead of these words " Tenant not to be ejected from his residential house" the original words should be there "Immunity from ejectment etc."

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह समझ नहीं पाया कि यह एमेंडमेंट केवल मार्जिनल नोट के लिए था या पूरी क्लॉज के लिए।

श्री जसवन्तसिंह—मार्जिनल नोट के लिए।

श्री श्यामलाल गोयल—मेरा यह निवेदन है कि जो ओरीजिनल क्लॉज था वह रहे और सिलेक्ट कमेटी ने जो क्लॉज़ रखी है वह नहीं रखी जानी चाहिए। ओरीजिनल क्लॉज़ जो बिल में था वह बिल्कुल ठीक है। सिलेक्ट कमेटी ने जो क्लॉज़ रखी है वह बहुत एम्बीगुअस है और कोर्टस ऑफ लॉ में जाने के बाद दिक्कतें आवेगीं। मैं इसको एक्स्प्लेन करना चाहता हूँ कि वह किस तरह से है। ओरीजिनल कलॉज जो है वह बिल्कुल सिम्पल है वह इस तरह से है:—

"No tenant shall be liable to ejectment from his residential house in a village merely because he has been ejected from his holding in his village" This is the original clause इसमें कोई डिफीकल्टी किसी तरह की नहीं आती है, कोर्ट्स को इन्टरप्रिटेशन में। एमेंडेड क्लॉज़ जो है वह इस तरह से है

"No tenant shall be liable to ejectment from his residential house in a village, other than a house erected as an improvement under the provisions of section 48, merely because he has been ejected from his holding in that village."

don't know इसका सेन्स क्या है। क्लॉज़ ४८ में जो भी पॉवर्स दिये हैं वह खातेदार टिनेन्ट को अपने होल्डिंग पर मकान बनाने के लिए दिये हैं। तो इसको बढ़ाने से सेन्स क्या है? उसका एग्ज़ेम्पशन है ही नहीं। जो ओरीजिनल क्लॉज़ इस बिल में था उसके मुताबिक एग्ज़ेम्शन

[श्री श्यामलाल गोयल]

दिया गया था। रेज़ीडेंशियल हाउसेज़ के लिए और उस ओरीजिनल क्लॉज में भी होल्डिंग्ज में हाउसेज़ थे उसके लिए कोई एग्वेजेम्शन नहीं था इसलिए अलग प्रोवीज़न करने की जरुरत नहीं है। यह एक सर्कमस्टान्स है।

दूसरी तरह भी यह वर्ड्स नहीं होने चाहियें, यह मैं बतलाता हूं। वह इसलिए कि क्लॉज़ ४८ उन इम्प्रूवमेंट से डील करता है....

श्री उपाध्यक्ष—क्या नहीं होने चाहियें।

श्री श्यामलाल गोयल—यह वर्ड्स नहीं होने चाहियें "other than a house erected as an improvement under the provisions of section 48" वह जो वर्ड्स यहां बढ़ाये हैं सिलेक्ट कमेटी ने, ओरीजिनल बिल में जो सेक्शन था उसमें यह वर्ड्स नहीं थे "other than a house erected as an improvement under the provisions of section 48"

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह वर्ड्स जो बढ़ाये हैं वह इसमें से डिलीट कर दिये जाने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—यह कौनसा एमेंडमेंड है ?

श्री श्यामलाल गोयल—यह मेरा सजेशन है।

इसमें जितने आगे गैर खातेदार टिनेन्ट्स हैं उनका भी जो इसमें क्लाज़ेज़ पास की हैं उनमें हमने अपने होल्डिंग्ज़ को इम्प्रूव करने के राइट्स दिये हैं। तो इसमें क्लॉज़ ४८ लिखकर अगर स्पेसिफिक्ली इसको यहां पर रखने की जरूरत समझते हैं तो खातेदार टिनेन्टस के लिए यह प्रोवाइड कर दिया है कि उनके होल्डिंग्स में जो हाउसेज़ हैं उनसे वे इजेक्ट हो सकते हैं तो what ambiguities about Ghair Khatedar tenants ? तो इसमें पैदा हो जायगीं। यह वर्ड्स अन-नेसेसरी हैं जो कन्सीडर कर लिये जायं और हटा दिये जायं तो बहुत अच्छा है। जो पर्पज़ है, जिस पर्पज के लिए, वह क्लॉज़ रखी गई है तो ओरीजिनल बिल में जो क्लॉज़ थी उससे वह कम्प्लीट हो जाता है। कोर्ट्स ऑफ लॉ में और वकीलों को तरह तरह से इन्टरप्रेट करने का मौका नहीं मिलेगा। कोर्टस् को तरह तरह से इन्टरप्रेट करने का मौका नहीं मिलेगा, और जो क्लियर क्लॉज़ है वह रखा जाय।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा यह निवेदन है कि सिलेक्ट कमेटी ने इस क्लॉज़ को खास तौर से विचार कर जो मौजूदा क्लॉज़ है उसको इस प्रकार से रखा है और जैसी कि शंका माननीय सदस्य गंगापुर से आने वाले ने की है, वह शंका उस वक्त खयाल में थी और उस

[श्री जवानसिंह]

वजह से उस शंका को यहां पर कानून के रूप में रखना खास तौर से सिलेक्ट कमेटी के ध्यान में था। उन्होंने रेफर किया यू० पी० के टिनेन्सी एक्ट को भी। वहां पर यह क्लॉज़ दिया हुआ है मैं इसको आपको रेफर कर दूं इस वक्त मेरा खयाल है वह क्लॉज़ था १६२ जो कि इस प्रकार से है :

"No tenant shall be liable to ejectment from his residential house in a village other than a house erected under the provisions of section 51, merely because he has been ejected from his holding in that village."

तो यह क्लॉज़ इस प्रकार से वहां मौजूद है। इस प्रकार की हमने क्लॉज़ सिलेक्ट कमेटी में रखी और वह जो आपकी शंका है उसका समाधान करती है। आपने यह कहा कि इसमें मिस-अन्डरस्टेन्डिंग है और मिसइन्टरप्रिटेशन होने की गुन्जाइश है तो मेरा खयाल है कि यह हमारे सामने मौजूद है और उस पर डिसीज़न्स हो चुके हैं। रास्ता साफ करने के बाद हमारे सामने फ्रेस डिसीज़न्स हो चुके हैं जिनके आधार पर कोई शंका नहीं हो सकती है। यह क्लॉज़ सिलेक्ट कमेटी ने पास कर रखा है और उसी को पास करना चाहिए।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्षजी, गंगापुरसे आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है कि ओरिजनल बिल का क्लॉज़ १२२ बी बेटर था। जो क्लॉज़ सिलेक्ट कमेटी ने अब सदन के सामने पेश किया है उससे, मैं कतई सहमत नहीं हूं। सिलेक्ट कमेटी ने बहुत सोच-विचार के बाद यह लफ्ज़ बढ़ाये हैं :

"other than a house erected under the provisions of section 48"

प्रश्न यह पैदा होता है कि 'विलेज' की क्या परिभाषा है? विलेज आप किस को मानेंगे? हमारे राजस्थान में किसान ज्यादातर कूओं पर रहते हैं और जिनको हम ढाणियों के नाम से पुकारते हैं। एक किसान का परिवार एक वक्त में एक कूए पर काश्त करने जाता है और उसके छोटी फेमिली होती है और उसमें काश्त करता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी फेमिली बढ़ती है वह दूसरे कूए पर काश्त करने लग जाता है, लेकिन उसके परिवार के आदमी उसी जगह रहते हैं। तो क्या उस सेक्शन को कायम रखते हुए यह मतलब समझा जाथा कि वह किसान जो गांव में नहीं रहता है खेत से इजेक्ट हो जायगा? वह कोठी से भी इजेक्ट किया गया तो दूसरी कोठी पर काश्त करने के लिये जाता है और ढाणी में भी रहता है, बहेसियत काश्तकार के नहीं, बल्कि वह बुजुर्गों के समय से उस ढाणी में रहता है तो क्या वह वहां से हटा दिया जाय? तो इसको स्पष्ट करने के लिये कि कोई काश्तकार किसी रेजिडेन्शियल हाउस में रहता है कि जो क्लॉज़ ४८ इम्प्रूवमेंट के तहत में नहीं बनाये गये हैं तो वह इजेक्ट नहीं होना चाहिये; सिवाय इसके कि वह जमीन पर काश्त नहीं करता है। वह जमीन से बेदखल हो गया है इसलिए वह अपने कूए पर बने मकान से बेदखल नहीं किया जायगा। इसलिये इसको स्पष्ट करने के लिये यह खास तौर से लाया गया है। ओरीजिनल क्लॉज़ यह कहता है :

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

"No tenant shall be liable to ejectment from his residential house in a village, merely because he has been ejected from his holding in that village."

इसका यह मतलब होता है कि यदि एक काश्तकार एक कूए से बेदखल हो जाता है और उस कूए पर उसकी ढाणी बनी हुई है तो वहां से वह बेदखल नहीं होगा। इसके पहले यह था कि कूए पर उसकी ढाणी है तो वहां से उसको हटा दिया जाय क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। यदि हाउसिंग पर्पज के लिए बना हुआ है तो बेदखल नहीं होगा। यह स्पष्ट किया हुआ है कि यदि वह मकान इम्प्रूवमेंट की तारीफ में नहीं, बल्कि रेजिडेंशियल पर्पज के लिए हैं तो वह बेदखल नहीं होगा। ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं कि काश्तकार दूसरे कूओं पर काश्त करते हैं और रहते दूसरी जगह पर हैं। यदि यह क्लॉज़ नहीं हो तो वे बेदखल कर दिये जायेंगे। यह प्रोविजो खास तौर से सोच समझ कर रखा गया था और उसका रहना बहुत आवश्यक है, वरना बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जो शब्द बढ़ाये गये हैं वे जरूरी हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो क्लॉज़ मौजूदा १२२ बी रखा है और जो सिलेक्ट कमेटी से एप्रूव होकर आया है उसके लिए नीम के आने से जो माननीय सदस्य आये हैं उन्होंने जो कहा वैसी हमारे राजस्थान की परिस्थिति है नहीं। सब बातों को देखकर खास तौर से ये शब्द ओमिट किये गये थे। क्लॉज़ ४८ की तारीफ में जो आते हैं उनको छोड़कर जो मकान हाउसिंग के लिए बने हैं जैसे बीकानेर के कई इलाकों में, जोधपुर के कई इलाकों में और खास तौर से बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के शेरगढ़ और फलोदी तहसीलों में ऐसे इलाके आम तौर से हैं जहां लोग बसे और सेटल हुए हैं, उनको वहां ढ़ानियें कहते हैं। आप चाहे उनको घर कहें, गांव कहें या चाहे आप उनको किसी भी नाम से पुकारें, वे अपने होल्डिंग में जाकर रहते हैं। उन इलाकों में, मैं सदन की सूचना के लिए कहना चाहता हूं यदि ऐसे इलाके किसी ने नहीं देखे हों, बहुत से गांव हैं जिनको असल गांव के नाम से पुकारते हैं, असली गांव जिसका मायना दूसरे लोग विलेज से समझते हैं। घरों का जहां समूह है वह गांव असल में कहा जाता है। वहां पर चाहे ४-५ घर ही मिलें और ढ़ानियों में चाहे १५-१५ घर हों तो भी हम उस १५ घर की जगह को ढ़ाणी ही कहते हैं और जहां ४ घर बने हैं और २ नीम के दरख्त हैं उनको गांव के नाम से पुकारते हैं। ऐसी स्थिति हमारे राजस्थान के खास इलाकों की है। तो जैसा असली फॉर्म क्लॉज़ का था और सिलेक्ट कमेटी ने अमेंड नहीं किया होता तो तमाम लोग इस होल्डिंग से इजेक्ट हो जायेंगे और ढ़ानियें छोड कर उनको जाना पड़ेगा। यह दिक्कत सामने आ रही थी तब इसको ध्यान में रखकर राजस्थान की परिस्थिति को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया। यह इसी रूप में रहना चाहिये और माननीय सदस्यों ने जैसा सुझाव रखा वैसा नहीं होना चाहिये।

श्री श्रीदास गोयल—क्लॉज़ १२२ बी के सिलसिले में माननीय मित्रों ने सुझाव दिये। लेकिन सिलेक्ट कमेटी ने जो नये सुझाव दिये हैं वे वास्तव में ज्यादा दुरुस्त हैं और ओरिजिनल बिल

[श्री श्रीदास गोयल]

में जिस तरह का क्लॉज़ था उसको उसी तरह रखने दिया जाता तो टिनेन्ट्स जो दानियां या मकान बनाते हैं और जो रेज़िडिन्शियल पर्पज़ के लिये काम आते हैं उनसे उनको बेदखल किया जा सकता था। मैं यह अर्ज करूंगा कि यहां शब्द टिनेन्ट है और जब टिनेन्ट्स की डेफिनिशन देखी जाती है तो उसमें खातेदार, गैर खातेदार आदि सब आ जाते हैं और क्लॉज़ ४८ इसमें डेस्क्राइब कर दिया है :

"other than a house erected under the provisions of Section 48."

लेकिन जो हाउसेज़ क्लॉज़ ५१ के अन्तर्गत बनाये जायंगे उनके सिलसिले में क्या होगा :

"Right of other tenants to make improvements. No Ghair Khatedar tenent or tenant of khudkasht or sub-tenant shall make any improvement unless he has obtained the consent in writing of his landholder."

तो क्लॉज़ ४८ के साथ साथ ५१ के लिये वे क्या प्रोविजन रखना चाहते हैं ? इस सिलसिले में कोई स्पष्टीकरण माननीय मित्रों ने अपनी दलील में नहीं दिया। ओरिजिनल क्लॉज़ के मुकाबले में सिलेक्ट कमेटी द्वारा निर्दिष्ट क्लॉज़ को और ओरिजिनल क्लॉज़ को गंभीरता के साथ हरेक शब्द का मायना निकालते हुए समझा जाय तो मैं निवेदन करूंगा कि

"Immunity from ejectment from residential houses"_

यह एक जनरल प्रोविजन है और जैसा कि माननीय श्यामलाल जी ने कहा उससे बहुत साफ पोज़िशन हो जाती है और फेक्ट्स फाइन्ड आउट करने के लिये कठिनाई नहीं होती। वे शब्द हैं : "No tenant shall be liable to ejectment from his residential house in a village merely because he has been ejected from his holding in that village."

तो "holding in that village" शब्द आने के बाद विलेज की परिभाषा और प्रकार की है, यह दलील नहीं होती। क्योंकि विलेज एक कॉम्पेक्ट एरिया होता है जिसमें केवल आबादी की ही लैंड नहीं होती बल्कि वहां पर अन्य चीजें भी शामिल होती हैं। वहां पर होल्डिंग भी होते हैं, चरागाह भी होते हैं, घर तालाब आदि सब विलेज एरिया में इन्क्लयूडेड होते हैं। तो आबादी लैंड और विलेज एरिया में बड़ा फर्क है और विलेज की परिभाषा 'आबादी' रख दी जाय तो विलेज में होल्डिंग भी शामिल है। ऐसी हालत में विलेज को परिभाषा बहुत स्पष्ट है और उसमें हरेक चीज शामिल है। यह १२२ बी सब के फायदे के लिये है। यदि एक व्यक्ति का रेजिडेन्शियल हाउस किसी होल्डिंग में है तो मान्य किया जायगा और बावजूद इसके कि उसको होल्डिंग से हटा दिया गया है तो ओरिजिनल बिल की १२२ बी जो है उसके रहने से बदस्तूर कायम रखा है और ४८ के साथ साथ सिलेक्ट कमेटी का है उसमें दिया गया है :

[श्री श्रीदास गोयल]

"other than a house erected under the provisions of Section 38."

उसमें एक एक्सेप्शन करके ख्याल किया गया है लेकिन पूरी सुविधायें हो नहीं पातीं क्यों कि जो मकान बतौर चारा, घास, मवेशी आदि के काम में लिया जाता है उसको बेदखल इसलिये किया जा सकता है कि यह इम्प्रूवमेंट में आ जाता है और उसके पैसे मिल जाते हैं तो ऐसे हाउसेज़ को बेदखल करा दिया जायगा। लेकिन एक आदमी ने केवल रहने के लिये मकान बनाया है और वह जमीन के साथ साथ मकान से भी बेदखल कर दिया जाता है तो उस गरीब के रहने के लिये और उसके बाल बच्चों के लिये जगह कहां होगी ? इसलिये १२२ बी जो सिलेक्ट कमेटी द्वारा रखी गई है वह ज्यादा स्वस्थ है और ओरिजिनल १२२ से ज्यादा अच्छी है।

श्री जवानसिंह—१२ बजने का समय आ गया है।

श्री उपाध्यक्ष—और भी किसी के बहस करने की बात है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर—इसमें कुछ गलतफहमी है। मैं सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर था इसलिये कुछ अर्ज करना चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष—आज समय हो गया है इसलिये इसको कल के लिये रख लें। अब सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही १२ बजे मध्यान्ह को बृहस्पतिवार दिनांक १६.९.५४ को प्रातःकाल ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-१५ सितम्बर, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १८०२ का उत्तर देखिये)

१९५२-५३ व ५३-५४ में सवाई-माधोपुर जिले की विभिन्न डिस्पेन्सरीयों को वितरण की गई दवाईयों इत्यादि की तालिका

डिस्पेन्सरी का नाम	मूल्य १९५२-५३	सप्लाई की तारीख	मूल्य १९५३-५४	सप्लाई की तारीख
माछीलपुर	६९५ रू०	२७-१-५३ व ६-६-१९५३	३०४ रू०	१३-४-५४
सवाई माधोपुर	३१२५ रू०	२४-१२-५२ व २-४-१९५३।५-५-५३ या १८-७-५३	१६६७ रू० ८ आने	३-४-५४
टोड़ाभीम	६५५ रू०	२६-१२-५३	५१७ रू० ६ आने	६-४-५४
समोतरा	१२१६ रू०	२३-२-५३ व २-३-१९५३	२८२ रू०	६-४-५४
करोली; सिटी डिस्पेन्सरी	८२८ रू०	२-१-५३	२८६ रू०	२६-३-५४
सनठार	४५६ रू०	१५-१२-५२ व ३-४-५३	४९८ रू०	२६.३-५४
करोली अस्पताल	५२६० रु०	७-१-५३ व २५-११-५२ व २६-११-५२ व २-५५३-	४६५४ रू०	२८.३-५४
हिन्डोन	२८१८ रु०	१०-११-५२ व ११-२-५३।२१-४-५३	१५२६ रू०	४-४-५४
ईसरदा	६३० रु०	१-६-५३	५१८ रू० ११ आने	८-४-५४

१	२	३	४	५
मन्डरेल	६५६ रु०	१८-२-५३	३२१ रू०	१४-४-५४
मलारना	७२३ रु०	२४-१-५३ व ४-६-५३	५५८ रू०	११-४-५४
महुआ	८६६ रु०	६-१२-५२ व २८-१-५३ व ४-२-५३	६२६ रू० १३ आने	५-४-५४
नारोती	१११६ रु०	२०-२-५३ व १४-५-५३	२६४ रू०	१५-४-५४
बोली	१५२२ रु०	१६-१२-५२ व २०-१२-५२ व २-७-५२	४३४ रू०	१०-४-५४
चौथ का बरवाड़ा	२५५६ रू०	३१-१२-५३ व २३-६-५३	४६४ रू० १४ आने	१२-४-५४
गंगापुर	३५३६ रु०	३० २-५२ व ४-५-५३	१६७१ रू० ६ आने	२-४-५४
घामवास	६६३ रु०	१५-१-५३ व ३-८-५३	४८३ रू०	७-४-५४
मानटाकर्ला			४४४ रू०	३-४-५४

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १८०६ का उत्तर देखिये)

Schedule of Fees to be charged by the Rajasthan Medical Services.

( )	Day.	Night. (From 11 p.m. to 5 A.M.)	Operations Minor	Operations major.	Labour. Normal.	Labour. Abnormal.
1. Specialist whose pay is over Rs. 750/-p.m.	20/-	30/-	50/-	150/-	50/-	150/-
2. Specialist whose pay is below Rs.750/-p.m.	15/-	20/-	25/-	100/-	25/-	75/-
3. other medical Officers upto the status of District Medical and Health Officers.	10/-	15/-	20/.	75/-	20/-	60/-
4. Civil Assistant Surgeon class I whose pay is Rs. 400/-p.m. or above.	7/-	10/-	15/-	60/-	15/-	50/-
5. Civil Assistant Surgeon class I whose pay is below Rs. 400/-p.m.	5/-	7/-	10/'	,	10/-	30/-
6. Civil Assistant Surgeon Class II.	3/-	5/-	8/-		8/-	20/.
7. Nurses having B.P.N.A. qualifications. midwives and compounders Grade 1.	2/-	4/- whole day duty Rs.10/- Whol[illegible] night duty Rs. [illegible]	,		6/-	,

1	2	3	4	5	6
8. Nurses, Dais, Junior Nurses and compounders grade II.	2/-	4/- Day duty Rs.5/-night duty Rs. 8/-			4/-
9- Nurses & Compounders grade III & IV.	1/-	1/8/-.			4/-

Note No. 1. If any instrument and appliances and ward furniture are used for private patients to the Medical Officer will see that Rs 30/-out of the above fees are paid to the Government Treasury for major operations and Rs. 10/-for minor operations.

2. The charges for Govt. servants and their families will be 50% of the above schedule.